सत्यमेव जयते

वार्षिक रिपोर्ट

2017-2018

राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग
भारत सरकार
नई दिल्ली

सत्यमेव जयते

वार्षिक रिपोर्ट 2017-18

राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग की भारत के राजपत्र, असाधरण, भाग-III, खंड-4 (परिशिष्ट-I) में प्रकाशित 01 जून 2005 के भारत सरकार के संकल्प में यथापेक्षित, बारहवीं रिपोर्ट प्रस्तुत है ।

इसमें, 01 अप्रैल 2017 से 31 मार्च, 2018 तक की अवधि की रिपोर्ट और आयोग द्वारा की गई अनुशंसाओं का संक्षिप्त ब्योरा भी दिया गया है ।

राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग
नई दिल्ली

आभार-ज्ञापन

राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग विभिन्न क्षेत्रों के उन सभी विशेषज्ञों, सरकारी विभागों तथा वरिष्ठ अधिकारियों का अत्यंत आभारी है जिनके साथ इसने अपने कामकाज के सिलसिले में विचार-विमर्श तथा परामर्श किया था । उनकी भागीदारी तथा सहयोग के बिना, आयोग के लिए अपने दायित्वों का प्रभावी ढंग से निर्वहन कर पाना संभव न होता ।

यह आयोग भारत के पूर्व सांख्यिकीविद तथा आयोग के सचिव डॉ टी.सी.ए. अनंत का आभारी है जिनका आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों के साथ सतत विचार विमर्श तथा सुझाव, आयोग को अपनी अनुशंसाएं करने में अत्यंत उपयोग रही है । यह आयोग श्री के.वी.ईपन का भी आभारी है जिन्होंने सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव के रूप में 01 फरवरी, 2018 को अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण किया और तभी से आयोग के कार्यकलापों में गहन दिलचस्पी दिखाई ।

यह आयोग डॉ. विद्या धर, उपमाहनिदेशक तथा सांख्यिकी आयोग के अन्य सहयोगी स्टाफ द्वारा प्रदत्त सेवाओं की भी सराहना करता है जिनके विभिन्न मंत्रालयों/विभागों तथा राज्य सरकारों के साथ समन्वय तथा निरंतर अनुवर्तन में योगदान से राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग को अपने दायित्वों पर ध्यान केंद्रित करने में सहायता मिली है ।

(डॉ. राजीव मेहता)

(डॉ. मनोज पांडा)

(डॉ. जे.वी. मीनाक्षी)

(श्री पी.सी. मोहनन)

(श्री अमिताभ कांत)

(डॉ. आर. बी. बर्मन)

विषय-सूची

अध्याय सं.	विवरण	पृष्ठ सं
	संक्षिप्तियां	**1-3**
	कार्यकारी सार	**4-7**
1.	प्रस्तावना	**8-13**
2.	केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय के सांख्यिकीय कार्यकलापों की समीक्षा	**14-21**
3.	राष्ट्रीय प्रतिदर्श सांख्यिकी कार्यालय के सांख्यिकीय कार्यकलापों की समीक्षा	**22-39**
4.	अन्य केंद्रीय मंत्रालयों के सांख्यिकीय कार्यकलापों की समीक्षा	**40-42**
5.	राज्य डीईएस की सांख्यिकीय गतिविधियों की समीक्षा	**43-52**
6.	आयोग की कार्यविधि का मूल्यांकन तथा आगामी रणनीति	**53-58**

अनुलग्नक

अनुलग्नक 1	दिनांक 1 जून **2005** की अधिसूचना में भारत के राजपत्र साप्ताहिक **(9-15** मई **2015)** अधिसूचना सं 19 के द्वारा संशोधन किया गया, जिसके माध्यम से नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को **24** मार्च **2015** से सचिव, योजना आयोग के स्थान पर एन एस सी का पदेन सदस्य बनाया गया	**61-64**
अनुलग्नक 2	एन एस सी का संविधान और एनएससी द्वारा गठित पांच व्यावसायिक समितियों में से प्रत्येक के लिए विस्तृत विचारत विषय	**67-81**
अनुलग्नक 3	भारत के मुख्य सांख्यिकीविद के लिए संशोधित सेवा शर्तें	**85-86**

संकेताक्षर की सूची

एडीजी	अपर महानिदेशक
एएचएल	एब्रिज्ड हाउस-लिस्टिंग
एड्स	अखिल भारतीय ऋण और निवेश सर्वेक्षण
एएसआई	वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण
बीआर	बिजनेस रजिस्टर
बीएसी	ब्रॉड गतिविधि कोड
सीएपी	समन्वय और प्रकाशन विभाग
सीएपीआई	कंप्यूटर सहायक व्यक्तिगत साक्षात्कार
सीसी	संकलन श्रेणियाँ
सीएफक्यू	समेकित फील्ड क्वेरी
सीसीई	फसल कटाई प्रयोग
सीईओ	मुख्य कार्यकारी अधिकारी
सीएफसी	फिक्स्ड कैपिटल की खपत
सीएसआई	भारत के मुख्य सांख्यिकीविद्
सीएसओ	केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय
सीएसपी	कंप्यूटर स्क्रूटीनी कार्यक्रम
डीजी	महानिदेशक
डीईएस	आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय
डीडीजी	उप महानिदेशक
डीजीसीआईएस	वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय
डीपीडी	डाटा प्रोसेसिंग डिवीजन
एसएनए	राष्ट्रीय लेखों की विस्तारित प्रणाली
ईसी	आर्थिक जनगणना
ईबीएस	गणना ब्लॉक
ईएफसी	व्यय वित्त समिति
ईयूएस	रोजगार और बेरोजगारी सर्वेक्षण
एफओडी	क्षेत्र संकार्य प्रभाग
एफआईएस	फील्ड जांचकर्ता
एफएसयू	फर्स्ट स्टेज यूनिट
जीवीए	सकल मूल्य जोड़ा गया
जीएसडीपी	सकल राज्य घरेलू उत्पाद

जीआईएस	भौगोलिक सूचना प्रणाली
आईसीएटीयूएस	समय उपयोग सर्वेक्षण के लिए गतिविधियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण
जीएसडीपी	सकल राज्य घरेलू उत्पाद
आईसीपी	अंतर्राष्ट्रीय तुलना कार्यक्रम
आईसीएस	फसल सांख्यिकी में सुधार
आईएसएस	भारतीय सांख्यिकी सेवा
जेएसओ	कनिष्ठ सांख्यिकीय अधिकारी
केआई	कुंजी संकेतक
एलएचएस	भूमि और पशुधन होल्डिंग
एमसीए	कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय
एमएसएसपीआई	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
एनसीओ	व्यवसाय का राष्ट्रीय वर्गीकरण
एनसीएटीयूएस	समय उपयोग सर्वेक्षण के लिए गतिविधियों का राष्ट्रीय वर्गीकरण
एनआईसी	राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण
एनआरएससी	नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर
एनसीओ	व्यवसाय का राष्ट्रीय वर्गीकरण
एनसीएटीयूएस	समय उपयोग सर्वेक्षण के लिए गतिविधियों का राष्ट्रीय वर्गीकरण
एनआईसी	राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण
एनआरएससी	नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर
एसएनए	राष्ट्रीय लेखा प्रणाली
एनएससी	राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग
एनएसएस	राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण
एनएसएसओ	राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय
एनवीए	सकल मूल्य वर्धन
एनएसएसटीए	राष्ट्रीय सांखियकीय प्रणाली प्रशिक्षण अकेडमी
पीईआरटी / सीपीएम	कार्यक्रम (या परियोजना) मूल्यांकन और तकनीक समीक्षा / गंभीर पथ विधि
पीएलएफएस	आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण
पीपीएस	आकार के लिए आनुपातिक संभावना
आरडीबीएमएस	रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम
आरजीआई	भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त
आरएसई	सापेक्ष मानक त्रुटि

एसएएस	स्थिति आकलन सर्वेक्षण
एससीयूएफएस	शहरी फ्रेम सर्वेक्षण पर स्थायी समिति
एसआई	सर्वेक्षण उपकरण
एसएनए	राष्ट्रीय लेखा प्रणाली
एसडीआरडी	सर्वेक्षण अभिकल्प और अनुसंधान प्रभाग
एसएसबी	राज्य सांख्यिकी ब्यूरो
एसआरएसडब्ल्यूआर	सरल यादृच्छिक प्रतिदर्श के साथ प्रतिस्थापन
एसएसडी	सामाजिक सांख्यिकी प्रभाग
एसएसएस	सांख्यिकीय सुदृढीकरण के लिए समर्थन
टीओआर	संदर्भ की शर्तें
टयूएस	समय उपयोग सर्वेक्षण
एसएसबी	राज्य सांख्यिकी ब्यूरो
यूएनएसडी	संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकीय डिवीजन
यूएफएस	शहरी फ्रेम सर्वेक्षण
यूएसयू	अल्टीमेट स्टेज यूनिट

कार्यकारी सारांश

परिचय

1. राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग (एनएससी) में एक अंशकालिक अध्यक्ष, चार अंशकालिक सदस्य तथा एक पदेन सदस्य शामिल हैं, और यह आयोग 12 जुलाई 2006 से अस्तित्व में है। भारत के मुख्य सांख्यिकीविद् (सीएसआई) इस आयोग के सचिव हैं।

(पैरा 1.1 से 1.6)

2. एनएससी को 13-सूत्री दायित्व सौंपे गए हैं। इसके अलावा, एनएसएसओ की शासी परिषद (गवर्निंग काउंसिल) के कार्य एनएससी को सौंपे गए थे। केन्द्र में विभिन्न मंत्रालयों द्वारा आयोजित सांख्यिकीय सर्वेक्षणों के निरीक्षण की जिम्मेदारी भी एनएससी को सौंपी गई है।

(पैरा 1.7 से 1.9)

3. इस आयोग की वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान आठ बैठकें आयोजित हुई हैं। इन बैठकों में, आयोग ने इसे संदर्भित विषयों पर और इसे सौंपे गए कार्यों पर विचार-विमर्श किया। रियल, वित्त, राजकोष सेक्टर सांख्यिकी, ऑनलाइन डेटा रिपोर्टिंग तथा आंकड़ा विश्लेषण संबंधित पहलुओं को शामिल करते हुए एनएससी द्वारा 2016 में गठित पांच व्यावसायिक समितियों का कार्यकाल एनएससी के परामर्श पर सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा एक और वर्ष के लिए विस्तारित किया गया था।

(पैरा 1.10 से 1.14)

4. एनएससी की स्थापना के कारण वार्षिक व्यय संसद द्वारा पारित, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत मांग से पूरा किया जा रहा है।

(पैरा 1.15 से 1.16)

केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय की सांख्यिकीय गतिविधियों की समीक्षा

5. राष्ट्रीय सांख्यिकीय पद्धति प्रशिक्षण अकादमी (एनएसएसटीए) ने भारतीय सांख्यिकीय सेवा परिवीक्षाधीनों पर संदर्भ पुस्तिका प्रस्तुत की और प्रशिक्षण को बेहतर बनाने के लिए इस पुस्तिका में अपने प्रस्ताव दिए। एनएससी ने इस पुस्तिका में संशोधनों का सुझाव दिया और तत्पश्चात कार्यान्वयन के लिए उनका अनुमोदन किया।

(पैरा 2.2 से 2.5)

6. सीएसओ के सामाजिक सांख्यिकी प्रभाग ने राष्ट्र-व्यापी समय उपयोग सर्वेक्षण पर अधिकारियों के समूह द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट प्रस्तुत की। एनएससी ने आयोग के समक्ष प्रस्तुत साधनों के प्रयोग से सर्वेक्षण आरंभ करने की संस्तुति की।

(पैरा 2.6 से 2.17)

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय की गतिविधियों की समीक्षा

7. एनएससी, एनएसएसओ की पूर्ववर्ती शासी परिषद के कार्यों का निर्वहन करता रहा है। इन कार्यों में एनएसएस के प्रत्येक दौर में शामिल किए जाने वाले विषयों का निश्चय करना, कार्यविधि का निर्धारण करना, तथा एनएसएसओ द्वारा आंकड़ों के प्रक्रमण की और सर्वेक्षण रिपोर्टों/इकाई स्तरीय आंकड़ों के जारी किए जाने की निगरानी करना शामिल है। रिपोर्ट वाली अवधि के दौरान, एनएसएसओ ने एक रिपोर्ट तथा एनएसएस के 73वें दौर के इकाई स्तरीय आंकड़े जारी किए। इनके अतिरिक्त, एएसआई (2015-16) के अनंतिम परिणाम तथा शहरी ढांचागत सर्वेक्षण के लिए मेटाडेटा भी जारी किए गए और इन्हें मंत्रालय की वेबसाइट पर क्रमशः अपलोड किया गया। भारत में अनिगमित गैर-कृषि उद्यमों की प्रचालन विशेषताओं पर रिपोर्ट सं. 581 एनएससी द्वारा अनुमोदित की गई थी।

(पैरा 3.1 से 3.4)

8. सेवा सेक्टर पर एनएसएस 74वें दौर की प्राक्कलन प्रक्रिया तथा सारणीयन योजना को आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया था।

(पैरा 3.5 से 3.9)

9. आयोग ने निर्णय लिया है कि एनएसएस का 76वां दौर जुलाई, 2018-दिसंबर, 2018 की अवधि के दौरान छमाही सर्वेक्षण होगा और इसमें (i) निशक्तता तथा (ii) पेयजल, स्वच्छता, आरोग्य तथा आवासन स्थिति जैसे विषय शामिल होंगे। 76वें एनएसएस दौर के लिए कार्यविधि तथा सर्वेक्षण साधनों के निर्धारण हेतु कार्य-समूह का भी गठन किया गया था।

(पैरा 3.10 से 3.16)

10. 76वें एनएसएस दौर के कार्य-समूह द्वारा निर्धारित सर्वेक्षण साधनों को एनएससी द्वारा अनुमोदित किया गया था।

(पैरा 3.17 से 3.21)

11. एनएसएस 77वें दौर सर्वेक्षण के लिए विषय पर विचार-विमर्श किया गया था और यह निर्णय लिया गया था कि कैलेंडर वर्ष 2019 (जनवरी-दिसंबर, 2019) के दौरान एनएसएस 77वें दौर में कृषक परिवारों, अखिल भारतीय ऋण तथा निवेश सर्वेक्षण और भूमि तथा पशुधन स्वामित्व पर स्थिति मूल्यांकन सर्वेक्षण(एसएएस) कराए।

(पैरा 3.22 से 3.27)

12. एनएसएस 78वें दौर सर्वेक्षण के विषय पर आरंभिक चर्चा हुई थी और एनएससी ने 78वें दौर में विचारणीय विषयों को अंतिम रूप देने के लिए विभिन्न हितधारकों के साथ विचार-विमर्श करने का सुझाव दिया।

(पैरा 3.28)

13. एनएससी ने रिपोर्ट सं. 580 'भारत में घरेलू पर्यटन' को इस संस्तुति के साथ अनुमोदित किया कि तैयार की गई सभी सारणियों, चाहे वे रिपोर्ट में छपी हों अथवा नहीं, को भावी संदर्भ के लिए अभिलेखबद्ध किया जाए।

(पैरा 3.29)

14. एसडीआरडी तथा डीपीडी के कार्यकलापों की आयोग द्वारा समीक्षा की गई थी और एनएससी ने ब्योरेवार संस्तुतियां की जिनमें आंकड़ा संग्रहण के लिए सीएपीआई का प्रयोग शामिल है।

(पैरा 3.30 से 3.33)

15. शहरी ढांचागत सर्वेक्षण संबंधी स्थायी समिति की संस्तुतियां आयोग को प्रस्तुत की गई थी। आयोग का विचार था कि यूएफएस कार्य, यूएफएस ब्लॉकों का डिजीटीकरण तथा भूस्थानिक टैगिंग अपनाए जाने संबंधी सुझाव वाली नई कार्यविधि के अनुसार किया जाना चाहिए।

(पैरा 3.34 से 3.43)

16. आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण की सारणीयन योजना को आयोग ने एनएसएस सर्वेक्षणें के आंकड़ों/परिणामों और सर्वेक्षण संबंधित दस्तावेजों को पूर्णत: अभिलेखबद्ध किए जाने की बात दोहराते हुए अनुमोदित किया था।

(पैरा 3.44 से 3.47)

17. एनएसएसओ ने आगे की राह सहित, प्रतिदर्श सर्वेक्षणों की रिपोर्टें जारी करने में लगने वाले समय में कमी लाने की कार्यनीति और इन पहलों से होने वाले फायदों पर तथा एनएसएस सर्वेक्षणों के डिजीटीकरण पर एनएससी के समक्ष दो प्रस्तुतियां दी।

(पैरा 3.48 से 3.58)

अन्य केंद्रीय मंत्रालयों की सांख्यिकीय गतिविधियों की समीक्षा

18. वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशक (डीजीसीआईएस) ने सेवाओं में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर आंकड़ों के संकलन हेतु सांख्यिकीय सर्वेक्षण करवाए जाने के संबंध में आयोग को अवगत कराया। एनएससी ने डीजीसीआईएस का प्रस्ताव अनुमोदित किया।

(पैरा 4.1 से 4.3)

राज्यों की सांख्यिकीय गतिविधियों की समीक्षा

19. कर्नाटक, राजस्थान, पश्चिम बंगाल तथा उत्तर प्रदेश के अर्थ और सांख्यिकी निदेशालयों की सांख्यिकीय गतिविधियों की समीक्षा की गई थी।

(पैरा 5.1 से 5.50)

20. इस खंड में, आयोग की कार्यप्रणाली का मूल्यांकन तथा आगे की राह पर चर्चा की गई थी।

(पैरा 6.1 से 6.10)

अध्याय-1

परिचय

वर्ष 2017-18 के दौरान आयोग की गतिविधियों से संबंधित वर्तमान रिपोर्ट राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग की 12वीं वार्षिक रिपोर्ट है।

इस अध्याय में, आयोग की संक्षिप्त पृष्ठभूमि, आयोग के गठन में बदलाव तथा वर्ष के दौरान आयोग की कार्यप्रणाली से संबंधित गतिविधियां सम्मिलित हैं।

राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग (एनएससी) की स्थापना

1.1 भारत सरकार ने भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- III खंड - 4 में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 85 दिनांक 1 जून 2005 के द्वारा राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग की स्थापना का संकल्प पारित किया। इस अधिसूचना के अनुसार, आयोग में एक अंशकालिक अध्यक्ष, चार अंशकालिक सदस्य और योजना आयोग के सचिव के अलावा, नीति आयोग के मुख्य कार्यपालक अधिकारी इसके पदेन सदस्य के रूप में शामिल हैं।

1.2 2015 में, पूर्ववर्ती योजना आयोग के सरोकारों को आगे बढ़ाने के लिए नीति आयोग (नेशनल इन्स्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया) अस्तित्व में आया। तदनुसार, 1 जून 2005 की अधिसूचना को भारत के साप्ताहिक राजपत्र (9-15 मई 2015) में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 19 के द्वारा संशोधित किया गया था (अनुलग्नक -1)। इसके परिणामस्वरूप, योजना आयोग के सचिव के स्थान पर नीति आयोग के मुख्य कार्यपालक अधिकारी को 24 मार्च, 2015 से एनएससी का पदेन सदस्य बनाया गया है।

1.3 भारत के मुख्य सांख्यिकीविद् (सीएसआई) एनएससी के सचिव हैं। उनकी दोहरी भूमिका है, क्योंकि वह सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) में भारत सरकार के सचिव भी हैं। एनएससी को अपने कार्यों के निर्वहन में सहायता प्रदान करने में सीएसआई का

सहयोग करने के लिए, एक लघु सचिवालय है जिसमें एक उप महानिदेशक और अन्य सहायक स्टाफ के साथ ही एक निदेशक हैं।

1.4 एनएससी के अंशकालिक अध्यक्ष/सदस्यों और सीएसआई की सेवा-शर्तें भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड -3 उपखंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 465 दिनांक 10 मई 2006 में निर्धारित की गई हैं। सीएसआई की सेवा-शर्तें भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- III, खंड -4 में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 69 दिनांक 22 फरवरी, 2018 के द्वारा संशोधित की गई हैं।

आयोग की संरचना

1.5 उपर्युक्त अधिसूचनाओं के अनुसार, समय-समय पर गठित, एनएससी 12 जुलाई 2006 से काम कर रहा है। एनएससी के अंशकालिक अध्यक्ष/सदस्यों का अधिकतम कार्यकाल तीन वर्ष का होता है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, एनएससी में अंशकालिक पदों पर आसीन व्यक्तियों के नाम नीचे दिए गए हैं:

डॉ राधा बिनोद बर्मन	-	अध्यक्ष (04-05-2016 से)
डॉ. राजीव मेहता	-	सदस्य (06-11-2015 से)
डॉ. मनोज पांडा	-	सदस्य (09-11-2015 से)
श्री पी.सी. मोहनन	-	सदस्य (21 जून 2017 से)
डॉ. जे.वी. मीनाक्षी	-	सदस्य (28 जून, 2017 से)

1.6 डॉ. टी.सी.ए. अनंत सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव रहने के साथ ही, 31 जनवरी,2018 तक आयोग के सचिव थे। डॉ. अनंत का कार्यकाल समाप्त होने के पश्चात, श्री के.वी.ईपन, सचिव, प्रशासनिक सुधार तथा लोक शिकायत विभाग को 1 फरवरी, 2018 से सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था।

आयोग के दायित्व

1.7 1 जून 2005 के भारत सरकार के संकल्प के तहत एनएससी को निम्नलिखित दायित्व सौंपे गए हैं -

क) ऐसे सारभूत आंकड़ों की पहचान करना जो राष्ट्रीय महत्व के हों और अर्थव्यवस्था के विकास के लिए अहम हों;

ख) विभिन्न तकनीकी विषयों पर आयोग की सहायता के लिए व्यावसायिक समितियों या कार्य समूहों का गठन करना;

ग) सांख्यिकीय पद्धति से संबंधित राष्ट्रीय नीतियां और प्राथमिकताएं विकसित करना;

घ) सांख्यिकी के विभिन्न क्षेत्रों में मानक सांख्यिकीय अवधारणाओं, परिभाषाओं, वर्गीकरणों और रीतियों का विकास करना तथा सारभूत आंकड़ों पर राष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों का निर्धारण करना;

ङ) विभिन्न आंकड़ा समूहों के लिए रिलीज कैलेंडर सहित, सारभूत आंकड़ों के संग्रह, सारणीयन और प्रसार के लिए राष्ट्रीय रणनीतियां विकसित करना;

च) सांख्यिकीय पद्धति की सूचना प्रौद्योगिकी और संचार आवश्यकताओं सहित आधिकारिक सांख्यिकी पर मानव संसाधन विकास के लिए राष्ट्रीय रणनीतियां तैयार करना;

छ) आधिकारिक सांख्यिकी पर सार्वजनिक विश्वास में सुधार हेतु उपायों का विकास करना;

ज) मौजूदा संस्थागत तंत्रों को सुदृढ़ करने सहित सांख्यिकीय गतिविधियों पर राज्य सरकारों और संघ-राज्य क्षेत्र प्रशासनों के साथ प्रभावी समन्वय के उपायों का विकास करना;

झ) केंद्र सरकार के मंत्रालयों, विभागों और अन्य एजेंसियों के बीच सांख्यिकीय समन्वय का प्रयोग करना;

ञ) सांख्यिकीय उत्पादों की गुणवत्ता और प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए सांख्यिकीय गतिविधियों पर सांख्यिकीय लेखापरीक्षा करना;

ट) केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार, जैसी भी स्थिति हो, को खंड (ग) से (ज) के तहत विकसित मानकों, रणनीतियों और अन्य उपायों को प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु उपायों की सिफारिश करना;

ठ) राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग के लिए विधान सहित, सांख्यिकीय मामलों पर विधायी उपायों की आवश्यकता पर सरकार को सलाह देना; तथा

ड) निर्धारित की गई नीतियों, मानकों और रीतियों के आलोक में सांख्यिकीय पद्धति की कार्यप्रणाली की निगरानी तथा समीक्षा करना और बेहतर निष्पादन के लिए उपाय सुझाना।

1.8 उपर्युक्त के अतिरिक्त, केंद्रीय मंत्रिमंडल की 10 अगस्त 2006 को आयोजित अपनी बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) की शासी परिषद के सभी कार्य 30 अगस्त 2006 से एनएससी को सौंप दिए गए थे। ये कार्य मुख्य रूप से एनएसएसओ और राज्य अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय के माध्यम से विभिन्न सामाजिक-आर्थिक विषयों पर राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षणों (एनएसएस) के संचालन की निगरानी से संबंधित हैं जिनके लिए दौर होते हैं और आमतौर पर प्रत्येक दौर एक वर्ष की अवधि का होता है जो कृषि वर्ष के साथ-साथ चलता है। 68वें एनएसएस दौर से आगे, एनएससी ने तय किए गए विषयों पर इस तरह से कार्य समूहों का गठन किया गया है, जिससे ये कार्य समूह प्रत्येक दौर के लिए सर्वेक्षण की पूरी प्रक्रिया की निगरानी में एनएससी की सहायता करने में समर्थ हों।

1.9 एनएससी को केन्द्र में विभिन्न मंत्रालयों द्वारा आयोजित सांख्यिकीय सर्वेक्षणों के संबंध में कतिपय निरीक्षण कार्य भी सौंपे गए हैं। इस प्रयोजन के लिए, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- III, खंड-4 में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 232 दिनांक 5 दिसंबर, 2011 को दिशानिर्देश अधिसूचित किए जिसमें केन्द्र में संबंधित मंत्रालयों को किसी भी सांख्यिकीय सर्वेक्षण के संचालन के लिए एनएससी की सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। सहमति के अलावा, दिशानिर्देशों में एनएससी की निगरानी में विभिन्न सर्वेक्षण करने और एनएससी के परामर्श से सर्वेक्षण रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के लिए, एनएससी को रीतियों आदि की तैयारी हेतु समितियों का गठन करने के लिए विशेषज्ञों के नामों की सिफारिश करने का प्रावधान है।

आयोग की कार्यप्रणाली

1.10 आयोग की वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान आठ बैठकें आयोजित हुई। बैठकों की

तारीखें नीचे इंगित की गई हैं-

बैठक संख्या	बैठक की तारीखें
93	11 तथा 12 मई, 2017
94	29 मई, 2017
95	30 जून 2017
96	02 अगस्त, 2017
97	22 सितंबर, 2017
98	8 दिसंबर, 2017
99	8 तथा 9 जनवरी, 2018
100	28 फरवरी, 2018

1.11 इन बैठकों में, आयोग ने संदर्भित मुद्दों पर और अपने दायित्व के अंतर्गत आने वाले विषयों पर विचार-विमर्श किया। संबंधित क्षेत्रों में सांख्यिकीय पद्धति में सुधार लाने की दृष्टि से, आयोग ने शिक्षाविदों, संबंधित विषयों के विशेषज्ञों और अन्य हितधारकों के साथ विचार-विमर्श तथा गहन चर्चा भी की। आयोग की प्रत्येक बैठक के कार्यवृत्त अभिलेखबद्ध किए गए और इन्हें एनएससी के सभी सदस्यों में परिचालित किया गया था तथा एनएससी की उत्तरवर्ती बैठक में चर्चा के उपरांत उनकी पुष्टि की गई थी। आयोग द्वारा की गई सिफारिशें यथोचित कार्रवाई के लिए संबंधित सरकारी विभागों/कार्यालयों को भेजी गई थी।

1.12 रियल, वित्त, राजकोष सेक्टर सांख्यिकी, ऑनलाइन डेटा रिपोर्टिंग तथा आंकड़ा विश्लेषण संबंधित पहलुओं को शामिल करते हुए, एनएससी द्वारा 5 अक्तूबर, 2016 में गठित पांच व्यावसायिक समितियों का कार्यकाल एनएससी के परामर्श पर सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा एक और वर्ष के लिए विस्तारित किया गया था।

1.13 वर्ष 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15 तथा 2015-16 की वार्षिक रिपोर्टें और उनकी अनुपालन रिपोर्टें संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत की गई थी तथा इन्हें सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की वेबसाइट पर भी अपलोड किया गया है।

1.14 आगे के अध्यायों में, वर्ष के दौरान आयोग की गतिविधियां और उसके द्वारा की गई महत्वपूर्ण सिफारिशों को व्यापक तकनीकी बारीकियों से बचते हुए संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है। इनमें सीएसओ तथा एनएसएसओ की सांख्यिकीय गतिविधियों की एनएससी द्वारा समीक्षाएं तथा सिफारिशें शामिल हैं और ये क्रमशः अध्याय -2 एवं अध्याय-3 में हैं। अन्य केंद्रीय मंत्रालयों की सांख्यिकीय गतिविधियों की समीक्षा और उन पर एनएससी की सिफारिशें अध्याय-4 में दी गई हैं। एनएससी ने राज्यों में आधिकारिक सांख्यिकी की समीक्षा का भी पता किया है और यह अध्याय-5 में शामिल है। अध्याय-6 में आयोग की कार्यप्रणाली का मूल्यांकन और आगे की राह का विवरण दिया गया है।

आयोग का व्यय

1.15 राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना के कारण वार्षिक व्यय जिसमें आयोग का वेतन, घरेलू यात्रा, कार्यालय व्यय, व्यावसायिक सेवाओं, प्रशासनिक सेवाओं और दैनंदिन की प्रशासनिक आवश्यकताओं के लिए व्यय शामिल है, की पूर्ति संसद द्वारा पारित सांख्यिकी और कार्यकम कार्यान्यन मंत्रालय के अधीन मांग से की जा रही है।

1.16 वर्ष 2017-18 के बजट अनुमानों में, सांख्यिकी और कार्यकम कार्यान्यन मंत्रालय के राजस्व खंड के अधीन एनएससी के लिए 150 लाख रूपए का प्रावधान और वर्ष 2017-18 के दौरान 92 लाख रुपए का संशोधित बजट रखा गया था।

अध्याय 2
केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय की सांख्यिकीय गतिविधियों की समीक्षा

2.1 एनएससी को अन्य बातों के साथ-साथ, आधिकारिक सांख्यिकी में विभिन्न क्षेत्रों में मानक सांख्यिकीय अवधारणाएं, परिभाषाएं, वर्गीकरण तथा रीतियां तैयार करने, निर्धारित नीतियों, मानकों तथा रीतियों के आलोक में सांख्यिकीय पद्धति की कार्यप्रणाली की निगरानी तथा समीक्षा करने और बेहतर कार्यनिष्पादन के लिए उपायों का सुझाव देने का दायित्व सौंपा गया है। वर्ष के दौरान, एनएससी ने केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, जो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सांख्यिकीय स्कंध के अंतर्गत आता है, की कुछ सांख्यिकीय गतिविधियों की समीक्षा की है। आयोग की टिप्पणियां, सिफारिशों सहित दी गई हैं।

आईएसएस परिवीक्षा प्रशिक्षण संबंधी संदर्भ पुस्तिका

2.2 एनएससी की 93वीं बैठक के दौरान, सीएसओ के अधीन राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली प्रशिक्षण अकादमी (एनएसएसटीए) ने विकासमान आंकड़ा परिवेश में आधिकारिक सांख्यिकीविदों की भूमिका तथा उसका प्रौद्योगिकी पहलू, निर्णयकर्ताओं तथा हितधारकों की बढ़ती अपेक्षाओं और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक परिप्रेक्ष्य में भारत की उभरती स्थिति को उजागर करने वाली प्रस्तुति दी। भौगोलिक परिक्षेत्र, जनसांख्यिकी और अर्थव्यवस्था के आकार की आधिकारिक सांख्यिकी के प्रशासन की अग्रणी स्थिति के लिए तौर-तरीकों में ऐसे सुधारों तथा उन्नयन की आवश्यकता होगी जिसमें भारतीय सांख्यिकी पद्धति का प्रबंधन किया जाएगा । इसके अंग के तौर पर, भारतीय सांख्यिकी सेवा (आईएसएस) अधिकारियों को अपने 30-35 वर्ष के सेवाकाल में, विश्व के इर्द-गिर्द की सांख्यिकीय पद्धति में बहुत सारे बदलावों का अनुभव करना होगा। उन्हें इस तरह से प्रशिक्षित करना होगा ताकि वे आधिकारिक सांख्यिकी के बदलते विश्व में कारगर हो सकें। वेब आधारित प्रणालियां भविष्य में आंकड़ा अधिग्रहण तथा प्रसार में अहम भूमिका अदा करने

वाली होगी। आधिकरिक सांख्यिकीविदों के लिए यह जरूरी होगा कि ऐसे कौशल तथा दक्षता हासिल करें जिससे वे नियोजन तथा निर्णय लेने के लिए आंकड़ा-मूल्य वर्धन, व्याख्या तथा संप्रेषण की मौलिक सक्षमता वाले आंकड़ा वैज्ञानिक की तरह हों। भारतीय सांख्यिकी सेवा के अधिकारियों के प्रशिक्षण का विशेष जोर न केवल इस बात पर होना चाहिए कि वे वर्तमान में क्या कर रहे हैं बल्कि इस बात पर भी होना चाहिए कि उन्हें आने वाले वर्षों में क्या करना होगा। इस प्रकार, प्रशिक्षण इस तरीके से संचालित किया जाना चाहिए जिससे भारतीय सांख्यिकी सेवा के अधिकारी विश्वभर में हो रहे विभिन्न नवाचारों से अवगत रहें और उनका वर्तमान पद्धति में कारगर अनुकूलन कर सकें। संदर्भ पुस्तिका में निम्नलिखित प्रस्ताव किए गए थे :

क) परिवीक्षा प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल में सक्रिय आंकड़ों का उपयोग करते हुए परियोजना कार्य से जुड़े प्रशिक्षणार्थियों की व्यावहारिक जानकारी की पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए।

ख) प्रशिक्षणार्थियों को अपनी अनुसंधान अभिरूचि को बढ़ाने के लिए साहित्य समीक्षाएं करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

ग) आधिकारिक सांख्यिकी पर मॉड्यूल का आधिकारिक हिस्से से पहले आने वाले सैद्धांतिक आधारों के साथ पुनरविन्यास किया जाना चाहिए। इस प्रकार, पहले विषय से संबंधित अर्थशास्त्र की जानकारी सांख्यिकी के बारे में जानकारी दिए जाने से पहले दी जानी चाहिए, और उसके बाद व्यावहारिक कार्य होना चाहिए। उदहारण के लिए, औद्योगिक सांख्यिकी पर मॉड्यूल्स का विश्लेषण औद्योगिक अर्थशास्त्र तक किया जाना चाहिए और उसके बाद विषय पर व्यावहारिक कार्य से समाप्त होने वाले औद्योगिक सांख्यिकी आनी चाहिए। इसी तरह, अन्य मॉड्यूलों का भी पुनरविन्यास किया जाए।

घ) आंकड़ा विश्लेषण पर बड़ा मॉड्यूल होना चाहिए। प्रशिक्षणार्थियों को डेटा माइनिंग तथा डेटा वेयरहाउसिंग के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराया जाना चाहिए। आधिकारियों को आंकड़ों में पैटर्न और आंकड़ों में विभिन्न चरों के बीच विद्यमान संबंध की पहचान करने में समर्थ बनाया जाना चाहिए।

ङ) डिपेंडेंट तथा इंडिपेंडेंट स्टोकेस्टिक प्रक्रिया और नॉन-लिनीयर रिग्रेशन पर मॉड्यूल शामिल किए जाने चाहिए। सिद्धांत के साथ-साथ, सक्रिय आंकड़ों पर इन विधियों के व्यावहारिक अनुप्रयोग का निदर्शन किया जाना चाहिए।

च) प्रशिक्षण मॉड्यूल का अभिविन्यास यह निदर्शन के लिए होना चाहिए कि विभिन्न प्रकार के आंकड़ों तथा अनुपूरक सूचना को आंकड़ा एकीकरण का विकल्प देते हुए विभिन्न चरणों में किस तरह संगृहीत किया जा सकता है अर्थात वेब-आधारित प्रणाली के जरिए मूल प्राथमिक स्तर पर संगृहीत आंकड़ों को राष्ट्रीय स्तर के आंकड़े देने के लिए क्षैतिज तथा लंबवत एकीकृत किया जा सकता है।

छ) राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली प्रशिक्षण अकादमी (एनएसएसटीए) परिवीक्षा प्रशिक्षण के दौरान किए गए परियोजना कार्य, व्यावहारिक तथा प्रकरण अध्ययनों का प्रयोग करते हुए प्रकरण अध्ययनों का कोष विकसित कर सकता है ।

ज) आईएसएस अधिकारियों के लिए, विकसित देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों का अध्ययन-भ्रमण आवश्यक है।

झ) एनएसएसटीए को मेधावी परिवीक्षाधीनों के पुरस्कार के लिए परिवीक्षा प्रशिक्षण हेतु योग्यता-आधारित प्रणाली विकसित करनी चाहिए । परिवीक्षाधीनों की उचित ग्रूमिंग पर पर्याप्त ध्यान दिया जाना चाहिए।

ञ) परिवीक्षा प्रशिक्षण के अंत में, आधिकारिक सांख्यिकी तथा आंकड़ा विश्लेषण में स्नातकोत्तर डिग्री/पीजी डिप्लोमा प्रदान करने के लिए प्रयास किए जाएं। चूंकि भर्ती की पात्रता को कम करते हुए स्नातक किया गया है, अतः स्नातकोत्तर डिग्री से अधिकारियों को अपने कैरिअर में उच्च्तर अध्ययनों यथा-पीएचडी, डीएससी तथा पोस्टडॉक डिग्री के लिए मदद मिलेगी। यह आईएसआई, जे.एन.यू. आदि जैसे ख्यातिप्राप्त संस्थानों के सहयोग से किया जा सकता है।

ट) एनएसएसटीए को सूचना और ज्ञान के लिए एक पोर्टल तैयार करने की दिशा में भी काम करना चाहिए।

ठ) एनएसएसटीए को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच के लिए और-अधिक वेब-आधारित प्रशिक्षण विधियां उपयोग में लानी चाहिए।

एनएससी की सिफारिशें

2.3 आयोग ने प्रस्तावित प्रशिक्षण पुस्तिका का परीक्षण करके यह सुझाव दिया कि प्रस्तुति के दौरान प्राप्त सुझावों पर आधारित संशोधनों के उपरांत संदर्भ पुस्तिका डॉ. राजीव मेहता, सदस्य,

एनएससी को समीक्षा हेतु भिजवाई जाए। तत्पश्चात, एनएसएसटीए ने विषय-वस्तु तथा पाठ्य–विवरण के संबंध में अधिक सुझाव तथा टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए सांख्यिकी, अर्थशास्त्र, सूचना प्रौद्योगिकी तथा प्रबंधन के क्षेत्र में विख्यात लोगों के साथ संशोधित दस्तावेज का आदान-प्रदान किया था। फीडबैक के आधार पर, एनएसएसटीए ने दस्तावेज संशोधित किया और अनुमोदन के लिए एनएससी को भिजवाया।

2.4 इसके अतिरिक्त, एनएसएसटीए ने श्री पी.सी. मोहनन, सदस्य, एनएससी (जिन्होंने आयोग में जून 2017 में कार्यग्रहण किया) के साथ विस्तार से विचार-विमर्श किया और पुस्तिका में फिर संशोधन किए। एनएससी की 28 फरवरी, 2018 को आयोजित 100वीं बैठक के दौरान, आयोग ने महसूस किया कि सुझाए गए परिवर्तनों का भारतीय सांख्यिकी सेवा के अधिकारियों के परिवीक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा और इसलिए पुस्तिका की एक बार फिर से गहन जांच की जानी चाहिए। सभी सदस्यों के विचार चाहने के उपरांत, आईएसएस परीवीक्षा प्रशिक्षण के लिए पुस्तिका पर एनएससी के अनुमोदन की जानकारी एनएसएसटीए को 28.03.2018 को दी गई थी ।

2.5 एनएसएसटीए को पत्र सं 17(1)(100)/एनएसटी/2017-18 दिनांक 13 मार्च, 2018 के द्वारा अवगत कराया गया था।

(कार्रवाई: एनएसएसटीए, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय)

समय उपयोग सर्वेक्षण

2.6 समय उपयोग सर्वेक्षण, बदलते सामाजिक परिवेश के संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण सर्वेक्षण है और इससे जेंडर, आयु तथा जगह द्वारा अलग-अलग बिना भुगतान वाले घरेलू तथा देखरेख संबंधी कार्य पर व्यतीत किए गए समय की मात्रा के संबंध में आंकड़े मिलने की अपेक्षा की जाती है।

2.7 समय उपयोग सर्वेक्षण का उद्देश्य सामान्यत: किसी निर्धारित समयावधि के दौरान किसी व्यक्ति द्वारा किए गए भुगतान तथा गैर-भुगतान वाले कार्य की सीमा का अध्ययन करना है। सभी मानवीय गतिविधियों को निम्नलिखित तीन बड़ी श्रेणियों में रखा जा सकता है:

I. दर्ज आर्थिक गतिविधियां (एसएनए गतिविधयां): ऐसी गतिविधियां जो एसएनए उत्पादन सीमा के अंतर्गत आती हैं।

II. गैर-दर्ज आर्थिक गतिविधियां (विस्तारित एनएनए गतिविधियां): ऐसी गतिविधियां जिसमें परिवारों द्वारा अनिवार्यतः वसतुओं तथा सेवाओं का सृजन किया जाता है और बिना मौद्रिक लेन-देन के स्वयं उनका उपभोग किया जाता है। इन गतिविधियों को गैर-आर्थिक गतिविधियां भी कहा जा सकता है तथा इनमें मूलतः शारीरिक, शैक्षिक एवं मनोरंजन गतिविधियां आती हैं।

2.8 समय उपयोग सर्वेक्षण एसएनए गतिविधियों, विस्तारित एसएनए गतिविधियों तथा गैर-विस्तारित गतिविधियों के संबंध में आंकड़े उपलब्ध कराने का ऐसा महत्वपूर्ण साधन होगा जो परंपरागत सर्वेक्षणों के जरिए अन्य तरह से प्राप्य नहीं है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने भारत में पहली बार 1998-99 में छह राज्यों नामतः केरल, मेघालय, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा गुजरात में प्रायोगिक समय उपयोग सर्वेक्षण कराया। चूंकि देश में कोई पिछला वर्गीकरण उपलब्ध नहीं था, इसलिए प्रायोगिक सर्वेक्षण में संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी प्रभाग (यूएनएसडी) द्वारा विकसित 'ट्रायल क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज' का 1997 में उपयोग किया गया। यह वर्गीकरण राष्ट्रीय उद्योग वर्गीकरण (एनआईसी) तथा राष्ट्रीय व्यवसाय वर्गीकरण (एनसीओ) से मेल नहीं खाता था और इसलिए इन परिणामों की रोजगार तथा बेरोजगारी सर्वेक्षण (ईयूएस) के परिणामों से तुलना नहीं की जा सकती।

2.9 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने डॉ. के.सी. सील, पूर्व महानिदेशक, सीएसओ की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति गठित की जिसको मुख्यतः (i) प्रायोगिक समय उपयोग सर्वेक्षण में अपनाए गए वर्गीकरण की समीक्षा करना तथा (ii) मौजूदा वर्गीकरणों जिनका भारत में समय उपयोग सर्वेक्षण के लिए उपयोग किया जा सकता है, से मेल खाने वाले वर्गीकरण तैयार करने का दायित्व सौंपा गया था। इस समिति ने दिसंबर, 2005 में अपनी रिपोर्ट प्रसतुत की। सील समिति ने सभी मानव गतिविधियों के पांच-स्तरीय व्यापक वर्गीकरण का प्रस्ताव किया। सील समिति वर्गीकरण के प्रथम तीन खंडों (I, II तथा III) में ऐसी सभी एसएनए गतिविधियां दी गई हैं जो समय उपयोग सर्वेक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय वर्गीकरण

(आईसीएटीयूएस) का प्रथम प्रकार बनता है। सील समिति वर्गीकरण का चौथा तथा पांचवां भाग ठीक दूसरे तथा तीसरे प्रकारों के सदृश है जैसा आईसीएटीयूएस में चिह्नित है। सील समिति वर्गीकरण ने कार्मिक समय उपयोग वाली गतिविधियों की बजाए औद्योगिक गतिविधियों की सूची तैयार की। यही नहीं, चूंकि सील समिति वर्गीकरण एनआईसी 2004 पर आधारित था, इसलिए ढांचागत परिवर्तनों और एनआईसी 2008 के समावेश को ध्यान रखने के लिए सील समिति वर्गीकरण में संशोधन किया जाना जरूरी था।

2.10 राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की 29-30 अक्तूबर 2011 को आयोजित 45वीं बैठक की सिफारिशों के अनुसार, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने संशोधन करवाने के लिए प्रो. एस.आर. हाशिम की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समूह का गठन किया। इस समूह को विचार के लिए अन्य बातों के साथ-साथ, समय उपयोग सर्वेक्षण के लिए राष्ट्रीय गतिविधि वर्गीकरण को अंतिम रूप देने, प्रायोगिक सर्वेक्षण तथा राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण के लिए सर्वेक्षण रीति, एजेंसी, समय-सारणी तथा निर्देश पुस्तिका तैयार करने का दायित्व सौंपा गया था। 2012 से 2014 के दौरान आयोजित छह बैठकों में व्यापक विचार-विमर्श के उपरांत, विशेषज्ञ समूह ने समय-उपयोग सर्वेक्षण के राष्ट्रीय गतिविधि वर्गीकरण, समय-उपयोग सर्वेक्षण की समय-सारणी तथा अखिल भारतीय समय उपयोग सर्वेक्षण करवाने के लिए प्रतिदर्श डिजाइन को अंतिम रूप दिया। विशेषज्ञ समूह की सलाह के अनुसार, राष्ट्र-व्यापी समय उपयोग सर्वेक्षण करवाए जाने से संबंधित विषयों को शामिल करते हुए कार्यसूची-पत्र तैयार किया गया था और इसे राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की 25-26 नवंबर, 2014 को आयोजित 72वीं बैठक में प्रस्तुत किया गया। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने 25 नवंबर, 2014 को आयोजित अपनी 72वीं बैठक में विशेषज्ञ समूह द्वारा निर्धारित की गई सिफारिशों का परीक्षण किया और सिफारिश की कि राष्ट्र-व्यापी समय उपयोग सर्वेक्षण से संबंधित सभी पहलुओं की जांच के लिए अधिकारियों का समूह गठित किया जाए। एनएससी के निर्णय के अनुपालन में, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने महानिदेशक, सीएसओ की अध्यक्षता में 05.02.2015 को अधिकारियों का समूह गठित किया जिसमें समन्वय तथा प्रकाशन प्रभाग, सामाजिक सांख्यिकी प्रभाग, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग, क्षेत्र संकार्य प्रभाग,

आंकड़ा प्रकमण प्रभाग तथा सर्वेक्षण अभिकल्प एवं अनुसंधान प्रभाग से अधिकारी तथा सर्वेक्षण अभिकल्प एवं अनुसंधान प्रभाग से अधिकारी लिए गए।

2.11 सीएसओ के सामाजिक सांख्यिकी प्रभाग के अधिकारियों ने मौटे तौर पर निम्नलिखित तीन पहलुओं को शामिल करते हुए, राष्ट्र-व्यापी समय उपयोग सर्वेक्षण पर अधिकारियों के समूह द्वारा तैयार रिपोर्ट प्रसतुत की ।

क) समय उपयोग सर्वेक्षण के लिए राष्ट्रीय गतिविधि वर्गीकरण,

ख) प्रतिचयन डिजाइन तथा जांच-अनुसूची, एवं

ग) सारणीयन योजना

2.12 एनएससी ने एनसीएटीयूएस, प्रतिचयन डिजाइन, अनुसूची आदि को अंतिम रूप देने में अधिकारियों द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की। यह सूचित किया गया कि सीएपीआई विधि के प्रयोग से सर्वेक्षण करवाने के लिए एनएसएसओ को सुदृढ़ करने हेतु प्रस्ताव व्यय वित्त समिति (ईएफसी) को प्रस्तुत किया जाने वाला है। सर्वेक्षण पर लगभग 112.25 करोड़ रुपए का व्यय अनुमानित है।

2.13 आयोग ने नवंबर 2014 में आयोजित अपनी 72वीं बैठक में, सर्वेक्षण पर एनएससी द्वारा की गई सिफारिशों पर बिंदुवार जवाब मांगा था। यह सीएसओ के सामाजिक सांख्यकी प्रभाग द्वारा उपलब्ध करया गया था। आयोग ने अपेक्षित प्रतिदर्श आकार तथा समय विस्तार, तथा बाहरी विशेषज्ञों की भागीदारी के बारे में भी जानना चाहा था।

2.14 अधिकारियों ने बताया कि एफएसयू परिवारों की प्रसतावित संख्या 14 होने से, परिवारों की कुल संख्या 1,40,000 है जो कि एनएसएसओ के अन्य कई परिवार सर्वेक्षणों की अपेक्षा अधिक है और राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरों पर 5% से कम की सापेक्ष मानक त्रुटि (आरएसई) वाले व्यापक संकेतकों के लिए अनुमान तैयार किए जाने की अपेक्षा की जा सकती है। अधिकारियों के समूह को इस विषय पर पूर्व में आयोजित प्रायोगिक सर्वेक्षणों से प्राप्त अनुभवों पर समुचित ध्यानाकर्षण भी कराया गया था। तथापि, चूंकि वह सर्वेक्षण केवल छह राज्यों में कराया गया था, इसलिए इसमें लगने वाले समय जैसी चीजों पर पर्याप्त जानकारी राष्ट्र-व्यापी सर्वेक्षण के उपरांत ही उपलब्ध हो पाएगी और बाद के सर्वेक्षणों में इस सर्वेक्षण के परिणामों के आधार पर तालमेल

बैठाया जा सकता है। सर्वेक्षण करवाने के लिए अपेक्षित धनराशि का वित्तीय अनुमोदन प्राप्त होने के उपरांत, राष्ट्र-व्यापी सर्वेक्षण हेतु कार्य समूह का गठन किया जा सकेगा जिसमें हितधारकों तथा विषय विशेषज्ञों को शामिल किया जाएगा और वित्तीय संसाधनों को देखते हुए सर्वेक्षण विधि तथा साधनों में आवश्यकतानुसार परिवर्तन किए जा सकेंगे। अधिकारियों के समूह की रिपोर्ट में केवल व्यापक दिशा-निर्देश दिए गए हैं और यह सर्वेक्षण के प्रचालन तथा वित्तीय नियोजन के लिए आरंभिक बिंदु होगा।

2.15 परिवारों के चयन के संदर्भ में, आयोग का मानना था कि विभिन्न परिवारों में उनकी आय श्रेणी तथा परिवार साज-सामान के स्वामित्व और सप्ताह के भिन्न-भिन्न दिनों के अनुसार भी अलग-अलग समय लगेगा। यह अवगत कराया गया कि प्रत्येक आय श्रेणी से प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए स्तरीकरण किए जाने का प्रस्ताव है और समय- उपयोग में सप्ताहों में अंतर का ध्यान रखते हुए सप्ताह के प्रत्येक दिन दो परिवारों का सर्वेक्षण किए जाने का प्रस्ताव है।

2.16 आयोग इस बात से सहमत था कि देश में अनौपचारिक सेक्टर की बड़ी संख्या और श्रम बल भागीदारी दर में व्यापक जेंडर अंतर को देखते हुए, देश में समाज के विभिन्न वर्गों का ध्यान रखते हुए रोजगार तथा कल्याण कार्यक्रमों के लिए अनुमान लगाने की दृष्टि से राष्ट्र-व्यापी समय उपयोग सर्वेक्षण कराया जाना जरूरी है। 1998-99 में कराए गए प्रायोगिक सर्वेक्षण से नीति निर्माताओं तथा समाज विज्ञानियों में काफी रुचि पैदा हुई है और राष्ट्र-व्यापी समय उपयोग सर्वेक्षण शीघ्र आरंभ कराया जाना चाहिए।

2.17 सीएसओ (एसएसडी) को पूर्वोक्त सिफारिशें पत्र सं. 17(1)(97)/ एनएससी/2017-18 दिनांक 06 अक्टूबर,2017 के द्वारा अग्रेषित की गई थी।

(कार्रवाई: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय)

अध्याय-3

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय की सांख्यिकीय गतिविधियों की समीक्षा

3.1 एनएससी, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सांख्यिकी स्कंध के अंतर्गत राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) की पूर्व शासी परिषद के कार्यों का निर्वहन करता रहा है। इन कार्यों में, प्रत्येक एनएसएस दौर में शामिल किए जाने वाले विषयों का निश्चय करना, रीतियां निर्धारित करना, तथा आंकड़ा प्रक्रमण की और एनएसएसओ द्वारा सर्वेक्षण रिपोर्टों/इकाई-स्तरीय आंकड़ों के जारी किए जाने की निगरानी करना शामिल है। एनएससी ने इन कार्यों में अपनी सहायता के लिए समय-समय पर कार्य समूह गठित किए हैं। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, एनएसएसओ से संबंधित कई कार्यकलापों की समीक्षा की गई और उन पर एनएससी की सिफारिशें महानिदेशक, एनएसएसओ एवं उसके संबंधित प्रभागों को अग्रेषित की गई। इन समीक्षाओं तथा सिफारिशों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

3.2 एनएसएस रिपोर्टें जारी किया जाना

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, एनएसएसओ ने 73वें एनएसएस दौर तथा तिमाही ग्रामीण मूल्य संग्रहण पर आधारित निम्नलिखित रिपोर्टें जारी की –

(1) एनएसएस केआई (73)- भारत में अनिगमित और गैर-कृषि उद्यमों (निर्माण को छोड़कर) के अहम संकेतक

(2) एनएसएस रिपोर्ट सं. 581-'' भारत में अनिगमित और गैर-कृषि उद्यमों (निर्माण को छोड़कर) की प्रचालन विशेषताएं'' को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की वेबसाइट पर जारी किया गया है।

(3) अप्रैल-जून 2017, जुलाई-सितंबर, 2017 तथा अक्तूबर-दिसंबर-2017 की तिमाहियों के लिए ग्रामीण मूल्य संग्रहण (आरपीसी) बुलेटिन।

3.3 एनएसएसओ ने ''विनिर्माण, व्यापार तथा अन्य सेवाओं (निर्माण को छोड़कर) में अनिगमित गैर-कृषि उद्यमों'' पर एनएसएस 73वें दौर के संदर्भ में इकाई-स्तरीय आंकड़े भी जून 2017 में जारी किए।

3.4 उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण पर आधारित एएसआई 2015-16 के अनंतिम परिणाम।

एनएसएस के 74वें दौर की प्राक्कलन प्रक्रिया और तालिका योजना

3.5 आयोग की 94वीं बैठक में, एनएसएसओ ने एनएसएस के 74वें दौर के सर्वेक्षण के लिए प्राक्कलन प्रक्रिया और तालिका योजना का ब्योरा देने वाला प्रस्तुतीकरण दिया । आयोग को सूचित किया गया था कि सेवा क्षेत्र के सर्वेक्षण (अनुसूची 2.35) के आधार पर दो रिपोर्टें प्रकाशित की जाएंगी। प्रथम रिपोर्ट अर्थात सेवा क्षेत्र में प्रतिष्ठानों की प्रचालनात्मक विशेषताओं में प्रतिष्ठानों की अनुमानित संख्या, कामगारों, पारिश्रमिक, प्रचालित माह, संगठन का प्रकार, पंजीकरण का प्रकार, आईसीटी के उपयोग को व्यापक रूप से शामिल किया जाएगा तथा सेवा क्षेत्रों में प्रतिष्ठानों की आर्थिक विशेषताओं नामक दूसरी रिपोर्ट में नियत परिसम्पत्तियों, अवमूल्यन, इनपुट का मूल्य, आउटपुट का मूल्य, जीवीए/एनवीए, आदि को व्यापक रूप से शामिल किया जाएगा । इन दोनों रिपोर्टों के अलावा, "प्रचालनात्मक और आर्थिक विशेषताओं के प्रमुख संकेतकों का दस्तावेज" भी जारी किया जाएगा ।

3.6 उल्लिखित है कि बहुउद्योग प्रतिष्ठानों के मामले में, ऐसे प्रतिष्ठानों के मुख्यालयों को सर्वेक्षण के लिए चुना गया। ऐसे उद्यमों के अन्य राज्यों में प्रतिष्ठान हो सकते हैं । विभिन्न विशेषताओं के मूल्यों के राज्य-वार अनुमान उपलब्ध कराने के लिए प्रतिष्ठानों के पैरामीटरों के मूल्यों को राज्यों/संघ-राज्य क्षेत्रों के कामगारों के शेयर के आधार पर किया जाएगा । यदि आवश्यक हुआ तो प्रतिष्ठानों का राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र-वार शेयर उन राज्यों/संघ-राज्य क्षेत्रों में स्थित सभी इकाइयों (उद्यमों) में समान रूप से प्रभाजित किया जाएगा । चूंकि प्रतिष्ठानों का चयन और स्तर का गठन आर्थिक गणना (ईसी)/बिजनेस रजिस्टर ढांचों के लिए व्यापक क्रियाकलाप कोड का उपयोग करके तथा कार्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ढांचे हेतु उद्योग समूह का उपयोग करके किया गया था, नमूना प्रतिष्ठानों का पर्याप्त अभ्यावेदन पृथक्करण के विभिन्न स्तरों पर एनआईसी के 2/3 अंकीय पर सुनिश्चित नहीं किया जा सका । अत: निर्णय लिया गया कि सारणीयन योजना में वृहत क्रियाकलाप कोड का उपयोग करते हुए सारणियां तैयार की जाएंगी। तथापि, एनआईसी के 2 अंकीय स्तर तथा संकलन श्रेणियों का उपयोग करते हुए अखिल भारत स्तर पर आर्थिक विशेषताओं के अनुमान तैयार किए जाएंगे ।

3.7 बताया गया कि (i) उद्योगों की विशेषताओं तथा (ii) ढांचागत अनुपातों और तकनीकी अनुपातों के अनुमान बाजार उत्पादन में संलग्न तथा जो मुख्यत: गैर-बाजार उत्पादन में संलग्न प्रतिष्ठानों के लिए पृथक रूप से प्रस्तुत किए जाएंगे । बाजार उत्पादन में संलग्न प्रतिष्ठानों के संबंध में निवल मूल्य वर्धन के अनुमानों को प्रस्तुत नहीं किया जाएगा, चूंकि सर्वेक्षण में सूचित अवमूल्यन आंकड़े निर्धारित पूंजी उपभोग, जो इन अनुमानों के व्युत्पन्न करने हेतु अपेक्षित हैं, से भिन्न हैं । साथ ही, निवल आय के स्थान पर सकल आय प्रस्तुत की जाएगी तथा निवल लाभ के स्थान पर सकल लाभ प्रस्तुत किया जाएगा । मुख्यत: गैर-बाजार उत्पादन में संलग्न प्रतिष्ठानों के लिए सकल मूल्य वर्धन, निवल आय, निवल लाभ के मूल्यों को प्रस्तुत नहीं किया जाएगा ।

3.8 बाजार उत्पादन में संलग्न प्रतिष्ठानों तथा मुख्यत: गैर-बाजार उत्पादन में संलग्न प्रतिष्ठानों के लिए अलग से, राज्य/अखिल भारत स्तर पर सभी अभिलक्षणों (आर्थिक और रोजगार से संबंधित दोनों) और ढांचागत/तकनीकी अनुपातों के अनुमानों की संबंधित मानक त्रूटियों से तालिकाओं के उसी फार्मेट में तैयार किया जाएगा ।

3.9 एनएससी ने एनएसएस के 74वें दौर के प्राक्कलन प्रक्रिया और सारणीयन योजना को अनुमोदित का, जिसे पत्राचार सं. 17(I)(94)/एनएससी/2017-18, दिनांक 12 जून 17 के तहत एनएसएसओ को सूचित किया गया ।

(कार्रवाई : सां. और कार्य. कार्या. मंत्रा)

एनएसएस के 76वें दौर का सर्वेक्षण

विषय कवरेज

3.10 24.03.2017 को आयोजित 92वीं बैठक के दौरान, एनएससी ने अनुशंसा की थी कि एनएसएसओ एनएसएस के 76वें दौर जो कार्य बोझ, संसाधनों की कमी तथा अपेक्षित प्रतिदर्श आकार, आदि को ध्यान में रखते हुए 6 माह की अवधि का होगा के विषय कवरेज से संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए आन्तरिक बैठक आयोजित करेगा तथा एनएसएस के 76वें दौर में शामिल किए जाने वाले विषयों के प्रस्ताव पर स्पष्ट रूप से आगे बढ़ सकता है ।

3.11 उक्त अनुशंसा के अनुपालन में, एनएसएसओ के अधिकारियों की आन्तरिक बैठक डॉ. राजीव मेहता, सदस्य, एनएसएसी की अध्यक्षता में 19.04.2017 को कोलकाता में आयोजित की गई । संबंधित मंत्रालय से प्राप्त अनुरोधों के आधार पर, सुझाव दिया गया कि एनएसएस के 76वें दौर के दौरान (i) अक्षमता (ii) पेयजल, साफ-सफाई, स्वच्छता और घरों की स्थिति को शामिल किया जा सकता है।

3.12 इस संदर्भ में, आयोग को अवगत कराया गया कि अक्षमता सर्वेक्षण कुछ 15 वर्षों पूर्व किया गया था तथा उस समय जनगणना तथा एनएसएसओ में अनुपालित परिभाषाएं भिन्न रही थीं। जनगणना के अनुसार प्रकाशित अक्षमता सांख्यिकी पर चर्चा की गई। इसी बीच, अशक्तता जन अधिकार अधिनियम 2016 के अधिनियम जैसे नए कार्य किए गए हैं। अशक्तता आकलन पर अंतर्राष्ट्रीय मापदण्ड और दृष्टिकोणों में भी संशोधन हुआ । इस प्रकार, अशक्तता संबंधी आंकड़ों को और अधिक समसामयिक संदर्भ में अद्यतित किए जाने की जरूरत है । विशेष पहचान वाली अशक्तता की परिभाषा और अशक्तता का क्षेत्र तथा माप जटिल हो रहा है, अत: चिकित्सा व्यावसायियों और राष्ट्रीय सरोकारों से परिचित डोमेन विशेषज्ञों को जोड़ना उपयुक्त होगा जो सर्वेक्षण अभिकल्प में भी अंतर्राष्ट्रीय विकास करते हैं ।

3.13 आयोग की 94वीं बैठक में मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया तथा आयोग ने अनुशंसा की कि एनएसएस भारत सरकार के नीति परिप्रेक्ष्य में आवश्यकताओं के अनुकूल संगत रूप से आशोधित अवधारणाओं/परिभाषाओं के साथ 6 माह की अवधि वाले एनएसएस के 76वें दौर के दौरान अशक्तता संबंधी सर्वेक्षण करें । चूंकि विगत एनएसएस सर्वेक्षण 15 वर्ष पूर्व किया गया था, एनएसएस सभी हितधारकों के विचार-विमर्शों तथा सहभागिता से सर्वेक्षण करे । अंतर्राष्ट्रीय विकास कार्यों तथा राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुभव वाले विशेषज्ञों को सर्वेक्षण में शामिल किया जाना चाहिए । सर्वेक्षण का उद्देश्य आंकड़े जुटाना होगा, जो भारत सरकार की नीति आवश्यकताओं की आंकड़ा जरूरतों को पूरा करेगा ।

3.14 चूंकि पेयजल, स्वच्छता, साफ-सफाई और घरों की स्थिति पर विगत एनएसएस सर्वेक्षण एनएसएस के 69वें दौर (जुलाई-दिसम्बर, 2012) के दौरान आयोजित किया गया । आगे निर्णय लिया गया कि इन विषयों को स्वच्छता और आवास संबंधी राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों को ध्यान में रखते हुए एनएसएस के 76वें दौर के दौरान उठाया जाना चाहिए ।

3.15 आयोग ने भी बल दिया कि एनएसएस के 76वें दौर के लिए कार्यकारी समूह के विचारणीय मुद्दों को बनाते वक्त तुलनीयता और सततता नामक व्यापक मुद्दों में संतुलन रखते हुए मार्गदर्शक सिद्धांत बनाने चाहिए । तथापि, जहां पूर्ववर्ती दौर में अंगीकृत से भिन्न परिभाषा अंगीकार करने के लिए यह आवश्यक हो जाता है, वहां सावधानीपूर्वक स्पष्ट तकनीकी औचित्य से उपयोगकर्ता को संकेत मिलना चाहिए कि तुलनात्मक अनुमान कैसे प्राप्त किया जाए जिसे सर्वेक्षण आंकड़ों का उपयोग करके प्रकाशित की जाने वाली रिपोर्ट में उपलब्ध कराया जा सकता है।

3.16 एनएससी के ध्यान में लाया गया कि जिलों की संख्या तथा जिला स्तरीय अनुमानों की जरूरत में वृद्धि होने के कारण, एनएसएस प्रतिदर्श आकार और न्यूनतम आवंटन डिजाइन कमियों का सामना करता है । तदनुसार, निर्णय लिया गया कि कार्यकारी समूह की कार्यभार, संसाधन कमियों और साख के पर्याप्त स्तर को बनाए रखने की अपेक्षा के साथ अनुमानों के पृथक स्तर की जरूरत को ध्यान में रखते हुए प्रतिदर्श आकार की मांग करनी चाहिए ।

सर्वेक्षण साधनों का अनुमोदन

3.17 एनएसएस के 76वें दौर के सर्वेक्षण के सर्वेक्षण साधनों के ब्योरे पर 28 फरवरी 2018 को 100वीं बैठक के दौरान आयोग द्वारा विचार किया गया । इस दौर के प्रतिदर्श डिजाइन में उप-दौर बाधाएं नहीं हैं । तथापि, इस क्षेत्र में परिचालन सुविधा और कार्यभार को समझते हुए, यद्यपि, उप-दौर-वार आवंटन प्रतिदर्श डिजाइन में नहीं किया जाएगा । इस क्षेत्र में कार्य के समान रूप से विस्तार के लिए उप-दौर कार्य उपयोगी रहेगा । तथापि, एफएसयू का वितरण सर्वेक्षण की दो तिमाहियों की तुलना में एक समान रहेगा तथा प्रत्येक प्रतिदर्श एफएसयू के लिए प्रतिदर्श सूची में उप-दौरों की संख्या उपलब्ध कराई जाएगी।

3.18 इस दौर के दौरान, पूछताछ की तीन अनुसूचियों का प्रचार किया जाएगा:

अनुसूची 0.0 = परिवारों की सूची

अनुसूची 2.6 = अशक्तजनों का सर्वेक्षण

अनुसूची 1.2 = पेयजल, स्वच्छता और साफ-सफाई तथा घरों की स्थिति

3.19 राज्यों की भागीदारी: अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह, चण्डीगढ, दादर और नगर हवेली तथा लक्षद्वीप को छोड़कर सभी राज्यों और संघ-राज्य क्षेत्रों से इस दौर में भाग लेने की आशा है।

3.20 प्रतिदर्श डिजाइन की वृहत रूप-रेखा: 76वें दौर के सर्वेक्षण के लिए एक स्तरीकृत दो चरणीय प्रतिदर्श डिजाइन प्रस्तावित हैं । प्रथम चरणीय इकाई (एफएसयू) ग्रामीण और शहरी दोनों सेक्टरों में उप-इकाइयां होंगी । दोनों सेक्टरों में परिवार अंतिम चरणीय इकाइयां (यूएसयू) होंगी । सर्वेक्षण की अवधि तथा पूछताछ के विषयों को ध्यान में रखते हुए, इस दौर में न्यूनतम 9000 एफएसयू को शामिल करने का प्रस्ताव है । प्रतिदर्श एफएसयू की कुल संख्या प्रत्येक राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र को न्यूनतम प्रतिदर्श आवंटन के अध्यधीन जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या के अनुपात में राज्यों और संघ-राज्य क्षेत्रों को आवंटित की जाएगी।

3.21 आयोग ने नोट किया कि अनुमानों की तुलना में कुल जनसंख्या के अनुमानों में सुधार में उप-इकाई (एसयू-एसआरएसडब्ल्यूआर) दृष्टिकोण आकार (पीपीएस) (विलेज-पीपीएसडब्ल्यूआर) दृष्टिकोण से संभाव्य समानुपात के अनुसार निकाले गए । यह भी नोट किया गया कि 1000 से कम (<1000) जनसंख्या वाले गांवों के लिए, विलेज-पीपीएसडब्ल्यूआर दृष्टिकोण विभिन्नता के गुणांक (सीवी) के संबंध में अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है । अत: आयोग ने एनएसएसओ द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर सहमति जताई कि 1000 से कम जनसंख्या वाले गांवों के लिए, पीपीएसडब्ल्यूआर तथा शेष गांवों के लिए एसआरएसडब्ल्यूआर दृष्टिकोण का पालन किया जाए। आयोग ने सुझाव दिया कि यह देखने के लिए कि भावी सर्वेक्षणों में प्रतिचयन अभिकल्प में कोई और सुधार संभव हैं, इसकी जांच की जाए।

एनएसएस के 77वें दौर सर्वेक्षण के विषय को अंतिम रूप देना

3.22 आयोग ने 3 फरवरी 2017 को आयोजित अपनी 91वीं बैठक में निर्णय लिया कि एनएसएस का 77वां दौर कृषि परिवारों की स्थिति मूल्यांकन सर्वेक्षण तथा अखिल भारत त्रण और निवेश सर्वेक्षण सहित विषयों पर कैलेण्डर वर्ष 2019 (जनवरी-दिसम्बर, 2019) के दौरान किया जायेगा। बैठक के दौरान, एनएससी ने भूमि और पशुधन होल्डिंग पर सर्वेक्षण को शामिल करने के लिए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन के राष्ट्रीय लेखा प्रभाग की मांग का नोट भी लिया।

3.23 एनएसएस के 77वें दौर के दौरान कृषि परिवारों की स्थिति का मूल्यांकन सर्वेक्षण और अखिल भारत ऋण और निवेश सर्वेक्षण के साथ भूमि और पशुधन होल्डिंग पर सर्वेक्षण आयोजित करने की जरूरत पर कृषि और कृषक कल्याण मंत्रालय के पशुपालन, डेयरी और मत्स्य विभाग, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय लेखा प्रभाग और सामाजिक सांख्यिकी प्रभाग के मत मांगे गए।

3.24 आयोग को अवगत कराया गया कि भूमि और पशुधन होल्डिंग्स पर एनएसएसओ सर्वेक्षणों का उपयोग करके किचन गार्डन, घास आदि, निवल मूल्य वर्धन जैसे अर्थव्यवस्था के कृषि और सहायक सेक्टरों से संबंधित कतिपय मदों का अनुमान लगाया जाता है। अतः एनएडी ने प्रस्तावित 2019 एलएचएस सर्वेक्षण में (i) शहरी क्षेत्रों में भूमि होल्डिंग्स (ii) किचन गार्डन आदि में निवल बिजाई क्षेत्र पर सूचना के संग्रहण हेतु अनुरोध किया।

3.25 भूमि और पशुधन होल्डिंग्स संबंधी सर्वेक्षण के समावेशन के औचित्य पर सीएसओ के सामाजिक सांख्यिकी प्रभाग ने निम्नलिखित एसडीजी लक्ष्यों और संबद्ध संकेतकों के आंकड़ा अपेक्षा का उल्लेख किया:

i. एसडीजी का 1.4.2: विधिक रूप से मान्यता प्राप्त प्रलेखीकरण के साथ भूमि अधिकार के सुरक्षित अवधि के साथ तथा जो लिंग के माध्यम से और कार्यकाल के प्रकार के रूप में सुरक्षित होने के अपने भूमि के अधिकार को समझते हैं, का कुल वयस्क जनसंख्या का अनुपात

ii. 5.क.1: (क) लिंग के माध्यम से, कृषि भूमि पर स्वामित्व या सुरक्षित अधिकारों के साथ कुल कृषि जनसंख्या का अनुपात; तथा

iii. एसडीजी का 5.क.1: (ख) अवधि के प्रकार के माध्यम से कृषि भूमि के स्वामियों अथवा अधिकार-धारकों में महिलाओं का शेयर;

iv. एसडीजी का 2.3.1: फार्मिंग/चरागाह/वानिकी प्रतिष्ठान आकार के वर्गों के अनुसार प्रति श्रम इकाई उत्पादन का वाल्युम;

v. एसडीजी का 2.5.2: जोखिम स्तर पर, जिनमें जोखिम नहीं है अथवा जोखिम उन्मूलन के अज्ञात स्तर के रूप में स्थानीय वर्गीकृत नस्ल का अनुपात।

3.26 विचार-विमर्शों के आधार पर, एनएससी ने अनुशंसा कि एनएसएसओ एनएसएस के 77वें दौर कैलेन्डर वर्ष 2019 (जनवरी-दिसम्बर, 2019) के दौरान कृषि परिवारों की स्थिति का मूल्यांकन सर्वेक्षण, अखिल भारत ऋण और निवेश सर्वेक्षण तथा भूमि और पशुधन होल्डिंग्स पर सर्वेक्षण कर सकता है । समाप्त प्रासंगिक फील्डों के विशेषज्ञों वाले कार्यकारी समूह के गठन की भी अनुशंसा की तथा प्रख्यात कृषि अर्थशास्त्रियों द्वारा अध्यक्षता की जानी है।

3.27 आयोग ने विचार-विमर्श किया तथा टीओआर और एनएसएस के 77वें दौर के लिए कार्यकारी समूह के गठन पर सहमति दी । आयोग ने यह भी निर्णय लिया कि एनएसएस के 76वें और 77वें दोनों दौर के लिए, डॉ. जी. सी. मन्ना, भूतपूर्व महानिदेशक, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय सह-अध्यक्षता करेंगे तथा अध्यक्ष की अनुपलब्धता होने पर कार्यकारी समूह बैठकों की अध्यक्षता करेंगे ।

(कार्रवाई, सां. और कार्य. कार्या. मंत्रालय)

एनएसएस के 78वें दौर सर्वेक्षण के विषय पर प्राथमिक विचार-विमर्श

3.28 राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने 3 फरवरी 2017 को आयोजित अपनी 91वीं बैठक में निर्णय लिया था कि एनएसएस का 78वां दौर जनवरी-जून 2020 की अवधि के दौरान आयोजित किए जाने वाला छमाही सर्वेक्षण दौर होगा । एनएसएसओ ने अपने एनएसएस के 78वें दौर में जनजाति संबंधी सर्वेक्षण का प्रस्ताव किया। आयोग ने विषय की मैरिट पर जाए बिना 78वें दौर के दौरान विचार किए जाने वाले विषयों को अंतिम रूप देने के लिए विभिन्न हितधारकों के साथ परामर्श करने का सुझाव दिया तथा इसे आगामी तीन माहों के भीतर एनएससी के समक्ष रखा ।

(कार्रवाई, सां. और कार्य. कार्या. मंत्रालय)

एनएसएस 72वां दौर : रिपोर्ट संख्या 580 (भारत में घरेलू पर्यटन)

3.29 रिपोर्ट सं. 580 (एनएसएस का 72वां दौर, भारत में घरेलू पर्यटन) एनएसएसओ द्वारा अनुमोदन हेतु एनएससी को प्रस्तुत की गई । प्रारूप रिपोर्ट डॉ. राजीव मेहता, सदस्य एनएससी द्वारा बारीकी से समीक्षा की गई तथा टिप्पणियां/सुझाव दिए गए । सर्वेक्षण अभिकल्प और अनुसंधान प्रभाग (एसडीआरडी), एनएसएसओ द्वारा प्रश्नों के उत्तर भेजे गए तथा आयोग ने इस टिप्पणी के साथ रिपोर्ट सं. 580 (भारत में घरेलू पर्यटन) का अनुमोदन किया गया कि तैयार की गई सभी तालिकाएं (अंतिम रूपान्तरण), चाहे रिपोर्ट में मुद्रित हों या नहीं, भविष्य में संदर्भ हेतु आर्काइव किया जा सके ।

(कार्रवाई, सां. और कार्य. कार्या. मंत्रालय)

एसडीआरडी और डीपीडी के क्रियाकलापों की समीक्षा

3.30 आयोग ने एनएसएसओ के सर्वेक्षण अभिकल्प और अनुसंधान प्रभाग और डीपीडी के क्रियाकलापों की समीक्षा की । ये दोनों प्रभाग एनएसएसओ सर्वेक्षणों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सर्वेक्षण अभिकल्प और अनुसंधान प्रभाग, एनएसएसओ के कार्यकारी समूहों के सचिवालय के रूप में सेवा देते हैं तथा सर्वेक्षण अभिकल्प, सर्वेक्षण साधनों की तैयारी, प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण, आंकड़ा विश्लेषण और रिपोर्ट लेखन के लिए उत्तरदायी हैं । डीपीडी की भूमिका मुख्यत: आंकड़ा विधायन और सारणीयन तथा संबद्ध सॉफ्टवेयर विकास की है । किसी एनएसएस दौर के लिए, रिपोर्टों को जारी करने के लिए सर्वेक्षण की योजना बनाने से लेकर रिपोर्ट जारी में लगभग उसे 4 वर्षों का समय लगता है । इस प्रकार, उसे 3 से 4 दौर के कार्य इन दो प्रभागों में साथ-साथ प्रगति पर रहते हैं। एसडीआरडी के कार्य (क) सर्वेक्षण के विषय के चयन (ख) सर्वेक्षण साधनों की तैयारी (ग) सर्वेक्षण साधनों को अंतिम रूप देने (घ) सर्वेक्षण साधनों के मुद्रण और परिपत्रण (ड.) प्रतिदर्श सूची को अंतिम रूप देने (च) आंकड़ा गुणवत्ता प्रबंधन (छ) प्रमुख परिणामों को जारी करने (ज) विस्तृत सर्वेक्षण रिपोर्टों को तैयार करने के इर्द-गिर्द घुमते हैं ।

3.31 विभिन्न एनएसएस दौर में डीपीडी के क्रियाकलापों में निम्नलिखित कार्य शामिल हैं:-

i. लाक्षणिक एनएसएस दौर के लिए लगभग 12 मिलियन प्राइमरी डेटा रिकार्डों तथा अन्य सर्वेक्षणों के लिए आंकड़ा विधायन और सारणीयन का कार्य;
ii. सार्वजनिक उपयोग हेतु इकाई स्तरीय आंकड़ों की तैयारी;
iii. एनएसएस राज्य प्रतिदर्श आंकड़ों के विधायन और सारणीयन के लिए राज्य सांख्यिकीय ब्यूरो/डीईएस को तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना;
iv. आंकड़ा विधायन संबंधी प्रशिक्षण ।

3.32 केंद्रीय और राज्य प्रतिदर्शों के आंकड़ों की पूलिंग के संबंध में, क्षेत्र संकार्य प्रभाग (एफओडी), एसडीआरडी तथा डीपीडी ने आंकड़ा संग्रहण/विधायन संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने

के लिए तंत्र विकसित किया है। राज्यों ने अभी तक इस तरह का तंत्र विकसित नहीं किया है। आंकड़ों की पूलिंग में इसे मिलान योग्य बनाने के लिए विशिष्ट प्रोटोकोल अपेक्षित है। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु एनएसएसओ राज्यों से न केवल अनुसूचियों, संवीक्षा के लिए सॉफ्टवेयर, वैधीकरण आदि को शेयर करता है बल्कि प्रशिक्षण भी प्रदान करता है जिनमें राज्य के प्रत्येक जिले से क्षेत्र कार्यकर्ताओं को आंमंत्रित किया जाता है। एनएसएस में आंकड़ा संग्रहण में एक समानता लाने के लिए वरिष्ठ स्तर पर फील्ड में संयुक्त निरीक्षण का तंत्र भी है । यह अनुभव रहा है कि सामान्यतः राज्य एनएसएस के लिए निर्धारित समय-सीमा का पालन करने में सक्षम नहीं हैं । तथापि, छोटे स्तरों पर सुस्पष्टता में वृद्धि करने के लिए राज्य तथा केंद्र प्रतिदर्श आंकड़ों के मिलान करने का परम लक्ष्य तक पहुंच सुनिश्चित करने हेतु मामले का सतत रूप से अनुशीलन किया जा रहा है ।

3.33 आयोग ने सुझाव दिया कि

i. सभी फील्ड कार्यालयों तथा फील्ड अन्वेषकों की सुगम सुलभता हेतु अनुदेश पुस्तिका के साथ समेकित क्षेत्र जांच (सीएफक्यू) वेबसाइट पर अपलोड की जानी चाहिए । सारणीबद्ध परिणामों को बेहतर ढंग से समझने में शोधकर्ताओं के लिए उपयोगी भी रहेगी ।

ii. डेटा तथा समस्त अन्य सर्वेक्षण सामग्रियों का पुरालेखन को एसडीआरडी/डीपीडी में नियमित क्रियाकलापों का भाग बनाया जाना चाहिए ।

iii. पीईआरटी/सीपीएम की तकनीक एनएसएस दौर की योजना बनाने तथा कार्यकरण में एसडीआरडी और डीपीडी द्वारा उपयोग नहीं की जा रही है। पूर्ववर्ती क्रियाकलापों पर निर्भर न रहने वाले क्रियाकलापों का समानान्तर विधायन किया जाना चाहिए तथा न कि क्रमवार अर्थात आंकड़ा प्रविष्टि के लिए वेंडर का चयन फील्ड से भरी हुई अनुसूचियों के पहुंचना शुरू होने से पहले पूरा कर लिया जाना चाहिए।

iv. आंकड़ों की प्रविष्टि/वैधीकरण के लिए लगने वाले समय को कम्प्यूटर सहायता प्राप्त वैयक्तिक साक्षात्कार जैसे ऑनलाइन आंकड़ा संग्रहण तकनीकों का उपयोग करके न्यूनतम करना चाहिए । उन राज्यों जहां इन्हें उपयोग में लाया जा रहा है, से आंकड़ा प्रग्रहण में सर्वोत्तम पद्धतियों को शेयर करने को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ।

v. क्रियाकलापों के लिए लगने वाले समय की गंभीरता से जांच की जानी चाहिए तथा आगे, लगने वाले समय को कम करने के प्रयास किए जाने चाहिए । एनएसएसओ को एनएससी के साथ सर्वेक्षणों के विभिन्न प्रकारों के लिए रिपोर्टों की तैयार में लगे समय को कम करने के लिए दो माह में उपाय सुझाने एक योजना तैयार करनी चाहिए ।

प्रयोक्ताओं द्वारा तालिकाएं तैयार की जा सकें । इससे प्रयोक्ताओं को लचीलापन मिलेगा । ग्रेफिना नामक सॉफ्टवेयर आंकड़ों के प्रकार अभ्यावेदन के लिए उपयोग किया जाएगा ।

एनएसएसओ आंकड़ा भण्डारण पर दृष्टिकोण कागजात तैयार करेगा तथा इसे आयोग को प्रस्तुत करेगा ।

कार्रवाई (सां. और कार्य. कार्या. मंत्रालय)

शहरी ढांचा सर्वेक्षणों का आधुनिकीरण

3.34 राष्ट्रव्यापी शहरी ढांचा सर्वेक्षण (यूएफएस) एनएसएसओ द्वारा किए जा रहे बहुस्तरीय प्रतिदर्श सर्वेक्षणों में शहरी प्रखण्डों के लिए अद्यतित प्रतिचयन ढांचे की अनिवार्य अपेक्षा को पूरा करने के लिए जिसे विशेषकर वर्ष 1959-60 में किया गया । एनएसएसओ की अनिवार्य अपेक्षाओं को पूरा करने के अलावा यूएफएस के मानचित्रों की सरकार तथा सरकार से बाहर में विभिन्न सर्वेक्षण एजेंसियों से मांग रहती है । वर्ष 2017-18 के दौरान, एनएससी की अनुशंसाओं पर, दो महत्वपूर्ण उपाय यूएफएस में सुधार लाने के लिए किए गए, जो प्रयोक्ताओं द्वारा यूएफएस की बेहतर उपयोगिता तथा सर्वेक्षण परिणामों की बेहतर गुणवत्ता में योगदान देने के लिए अपेक्षित होते हैं ।

यूएफएस मेटाडेटा का प्रचार

3.35 यूएफएस डेटा के प्रचार के संबंध में एनएससी की अनुशंसाओं के अनुपालना में, एनएसएसओ ने मई 2017 के दौरान http://mospi.gov.in पर पब्लिक डोमेन में यूएफएस के मेटाडेटा को रखा । अपने प्रचारित तंत्र यूएफएस दिशा-निर्देश तथा प्रचार की आवधिकता पर संक्षिप्त नोट के साथ प्रचारित डेटा भी प्रदान कराए जाते हैं । इससे प्रयोक्ताओं को उनकी अपेक्षाओं के लिए यूएफएस मानचित्रों को सुलभ कराने में सूचित निर्णय लेने में सहायता मिलेगी। पब्लिक डोमेन में युएफएस मेटाडेटा के प्रचार की परिणामस्वरूप, एनएसएसओ से यूएफएस मानचित्रों के समुचित सेट की मांग में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई । इसने और अधिक संगठित तरीके से प्रयोक्ताओं को यूएफएस मानचित्रों की आपूर्ति के प्रबंधन में एनएसएसओ की सहायता भी की ।

यूएफएस मानचित्रों का अंकीकरण

3.36 राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने अगस्त 2014 को आयोजित अपनी 69वीं बैठक में अन्य चीजों के साथ यह इच्छा जताई कि वार्ड की प्रशासनिक सीमाओं को नवीनतम गणना की तुलना में सुकर बनाने के लिए यूएफएस मानचित्रों में शामिल किए जाने तथा सततता सुनिश्चित किए जाने की जरूरत है । गणना के अनुसार तैयार ईवी मानचित्रों के अलावा, परिगणना ब्लॉकों के

डिजीटाइज वार्ड मैप्स तथा साप्क्षित हाउस सूचीयन का ईवी और यूएफएस ब्लॉकों को समेकित करने की समस्याओं के समाधान को पाने के लिए उपयोग किया जाएगा ।

3.37 एनएससी की अनुशंसाओं के अनुसरण में अपर महानिदेशक की अध्यक्षता में एनएसएसओ शहरी ढांचा सर्वेक्षण संबंधी स्थायी समिति का गठन किया गया जिसमें सदस्य के रूप में एनएसएसओ, कम्प्यूटर सेन्टर, राष्ट्रीय दूरस्थ संवेदी केंद्र, दूरस्थ संवेदी और एनआरवी का जिओग्राफिक इन्फारमेशन सिस्टम तथा भारत के महापंजीयन का कार्यालय से अधिकारी शामिल थे ।

3.38 एनएससी की 96वीं बैठक में एनएसएसओ द्वारा एनएससी के समक्ष शहरी ढांचा सर्वेक्षण संबंधी स्थायी समिति की अनुशंसाओं पर एक प्रस्तुतीकरण दिया गया था । समिति की मुख्य अनुशंसाएं इस प्रकार थीं:-

क) वार्ड स्तर से नीचे के जिओग्राफिकल इकाइयों वाली यूएफएस का समेकन व्यवहार्य नहीं पाया जाता है । वार्ड स्तर पर यूएफएस का समेकन को सुकर बनाने के लिए, यूएफएस में अन्वेषक इकाई के रूप में वार्ड को समझा जाएगा ।

ख) चरण 2017-22 यूएफएस जुलाई 2017 से शुरू किया जाएगा । और अधिक छोटे कस्बों के संबंध में फील्ड कार्य पहले किया जाएगा ताकि वार्ड सीमाओं को चिह्नित करने वाली फील्ड समस्याओं को कम किया जा सके ।

ग) मोबाइल एप्पलीकेशन के माध्यम से अनुसूची का प्रचार करने के लिए एनआरएससी द्वारा उपयुक्त रूप से आयोजित मोबाइल एप्पलीकेशन का उपयोग करते हुए चरण 2017-22 के यूएफएस रिकार्डों को डिजिटाइज्ड किया जाएगा ।

3.39 एससीयूएफएस की अनशंसाओं की अनुशंसा के अनुसरण में, यूएफएस के ग्यारहवें चरण की शुरूआत के दो प्रस्ताव एनएसएसओ द्वारा प्रस्तुत किए गए ।

i) ब्लॉकों की संख्या में 5 प्रतिशत की वृद्धि को मानते हुए प्रथम प्रस्ताव सामान्य पंचवार्षिक चरण 2017-22 को पूर्ण करना था तथा नए सिरे से अन्वेषक इकाई के रूप में वार्ड के साथ ब्लॉक बनाने थे । वार्ड और अन्वेषण इकाई के समेकन के साथ नए मानचित्र बनाए जाएंगे । सभी ब्लॉक अंकीकृत किए जाएंगे । फील्ड कार्य पंचवर्षीय अवधि अर्थात 2017-22 में मौजूदा स्टॉफ संख्या के साथ पूरा किया जाएगा ।

i i) दूसरा प्रस्ताव अपेक्षाकृत छोटी अवधि अर्थात दो वर्षीय चरण 2017-19 के लिए था । जब फील्ड कार्य पांच वर्ष के चरण की तुलना में दो वर्ष में पूरा किया जाता है तो विभिन्न कस्बों में आबादी में सापेक्ष परिवर्तन विगत चरण के संदर्भ में तुलनात्मक रूप से कम रहेगा । मौजूदा 400 से 1000 प्राथमिक कामगारों तक स्टाफ का संवर्धन तथा आईएसएस अधिकारियों सहित

पर्यवेक्षणीय स्टॉफ में अनुपातिक संवर्धन करके दो वर्ष में अर्थात 2019 तक समग्र कार्य पूरा किया जा सकता है । सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षणों और व्यापक स्तर पर अन्य प्रतिदर्श सर्वेक्षणों तथा साथ ही, जनगणना के लिए अद्यतित यूएफएस ढांचे की उपलब्धता सुसाध्य होगी।

3.40 एनएससी ने यूएफएस कार्य के आधुनिकीकरण में एनएसएसओ को उनकी पहल के लिए सराहा है । आयोग ने एनआरएससी द्वारा उपलब्ध कराई गई प्रौद्योगिकी का उपयोग करके एससीयूएफएस के निर्देशों के अंतर्गत एनएसएसओ द्वारा की गई विस्तृत फील्ड ट्राइल्स को नोट किया तथा मौजूदा प्रक्रिया में प्रौद्योगिकी सुधार और इसके नए उपयोगों में यूएफएस मानचित्रों तथा इसके विस्तार में मूल्यवर्धन के क्षेत्र से अभिस्वीकृत किया । वस्तुतः इससे एनएसएस के सर्वेक्षण अवसंरचना तथा साथ ही अन्य सर्वेक्षण कार्यक्रम सुदृढ होंगे । इन ट्राइलों के निष्कर्षों ने यूएफएस तथा आरजीआई की मौजूदा परिगणना ब्लॉकों को जोड़ने की सीमाओं के अनेक दृष्टांतों को दर्शाया है । वार्ड सीमाओं के भीतर यूएफएस ब्लॉकों को बनाने की व्यवहार्यता भी स्थापित की ।

3.41 आयोग का मत था कि यूएफएस कार्य अंकीकरण सुझाई गई नई कार्यप्रणाली तथा प्रौद्योगिकी के अनुसार किया जाना चाहिए ।

3.42 इस तथ्य पर विचार करते हुए कि शहरी सीमाओं को जनगणना के बाद पुनः तैयार किया जाएगा तथा वार्ड सीमाएं जनगणना आप्रेशनों के दौरान स्थिर रखी जाएं, अनुशंसा की जाती है कि यूएफएस कार्य का नया ढांचा 2021 में आगामी जनगणना से पूर्व पूरा किया जाए। इसे अपेक्षित अवधि के लिए संवर्धन करने वाले स्रोतों द्वारा किया जा सकता है ।

3.43 अन्तर-गणना अवधि के दौरान यूएफएस के अद्यतनीकरण हेतु आयोग का मत है कि पूरी तरह से अद्यतनीकरण की आवश्यकता नहीं है, अद्यतनीकरण कार्य नए शहरीकरण और शहरी विकास के क्षेत्रों तक सीमित रखा जा सकता है । सैटेलाइट आंकड़ों के माध्यम से ऐसे क्षेत्रों का पता लगाने के लिए एनआरएससी की सहायता ली जा सकती है । इससे लम्बी अवधि तक संसाधनों को जारी करने की प्रत्याशा है ।

कार्रवाई (सां. और कार्य. कार्या. मंत्रालय)

आवधिक श्रमबल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) की सारणीयन योजना का अनुमोदन

3.44 एनएसएसओ ने पीएलएफएस की सारणीयन योजना पर एनएससी के समक्ष प्रस्तुतीकरण दिया । आयोग ने प्रारूप सारणीयन योजना और अन्य प्रासंगिक दस्तावेज की जांच की । पीएलएफएस की सारणीयन योजना आयोग द्वारा अनुमोदित की गई ।

3.45 पीएलएफएस पर प्रथम वार्षिक रिपोर्ट दिसम्बर 2018 में जारी की जाएगी। प्रथम त्रैमासिक बुलेटिन प्रथम वार्षिक रिपोर्ट के जारी होने के बाद जारी किया जाएगा ।

3.46 वार्षिक रिपोर्ट का शीर्षक वाल्यूम नम्बर के साथ सर्वेक्षण नाम होना चाहिए । उदाहरणार्थ रिपोर्ट को दो वॉल्यूम्स में भारत में रोजगार संबंधी रिपोर्ट के रूप में शीर्षक दिया जा सकता है । वॉल्यूम-1 में श्रम बल विशेषताओं संबंधी जानकारी हो सकती है तथा वॉल्यूम-।। में विशेष तालिकाएं रखी जा सकती हैं । प्रथम त्रैमासिक बुलेटिन में सभी अवधारणाओं और परिभाषाओं संबंधी व्याख्याएं होनी चाहिए ।

3.47 पीएलएफएस के इकाई स्तरीय आंकड़ों के प्रचार की कार्यनीति भी विकसित की जानी चाहिए तथा इसे पब्लिक डोमेन में रखा जाना चाहिए।

कार्रवाई (सां. और कार्य. कार्या. मंत्रालय)

रिपोर्टों को जारी करने में लगने वाले समय में कमी

3.48 एनएसएसओ ने प्रतिदर्श सर्वेक्षणों की रिपोर्टों को जारी करने में होने वाले विलम्ब में कमी लाने की कार्यनीति पर एनएससी के समक्ष एक प्रस्तुतीकरण दिया । एनएसएसओ द्वारा प्रस्तुत कार्यनीति की प्रमुख विशेषताएं नीचे दी गई हैं:-

3.49 एनएसएस के 66वें दौर (जुलाई 2004-जून 2005) से आगे, विस्तृत रिपोर्टों के प्रकाशन लम्बित रहते प्रमुख संकेतकों संबंधी दस्तावेज के साथ इकाई स्तरीय आंकड़ों का सर्वेक्षण के समाप्त होने एक वर्ष के भीतर प्रचार किया गया ।

3.50 चूंकि आंकड़ा प्रयोक्ता अब आईटी सुविधाओं तथा आंकड़ा विश्लेषण क्षमताओं से लैस हैं, इकाई स्तरीय आंकड़ों के प्रारंभिक प्रचार की मांग बढ़ रही है । इसने एनएसएस आंकड़ों के प्रकाशन में होने वाले विलम्ब को आगे कम करने की संभावनाओं को तलाशने की जरूरत का संचालन किया । इस मुद्दे पर, विभिन्न समितियों ने प्रमुख कारणों का पता लगाया तथा सुझाव दिए हैं । अनुशंसाएं की है जिनमें उप-दौर वार तालिका तैयार करना और जांच करना, सुगम सारणीयन हेतु सांख्यिकीय विश्लेषण सॉफ्टवेयर का उपयोग, डीपीडी में सॉफ्टवेयर समूह का सुदृढ़ीकरण, साथ-साथ एसडीआरडी आदि में मैनुअल फार्मेटिंग से बचने के लिए एमएस वर्ड फार्मेट में सीधे तालिकाएं तैयार करना, एसडीआरडी द्वारा आंकड़ा गुणवत्ता, उप-दौर वार सारणीयन और तालिका जांच में सुधार करने के लिए एसआरओ/एनएसआरओ में आंकड़ा प्रविष्टि और कम्प्यूटर सहायता प्राप्त आंकड़ा ट्रांसक्रिप्शन शामिल हैं ।

3.51 विलम्ब को कम करने के लिए एनएसएसओ कार्यनीति तीन चरणों में:-

I. समंक विधायन केंद्रों को पेपर अनुसूचियों भेजने में असतता । इसके लिए क्षेत्र अन्वेषकों/कनिष्ठ सांख्यिकी अधिकारियों को किसी एफएसयू के सर्वेक्षण को पूरा करने के लिए 6-8 दिन दिए जाएं तथा कम्प्यूटर सहायता प्राप्त आंकड़ा ट्रांस्क्रिप्शन और वैधीकरण को पूरा करने के लिए 1 या 2 दिन अतिरिक्त यदि अपेक्षित हो, तो क्षेत्र अन्वेषकों/जेएसओ को संविदा आधार पर डेटा-एन्ट्री आप्रेटर्स लगाकर आंकड़ा प्रविष्टि सहायता दी जाए । एसडीआरडी को अपने क्रियाकलापों की समग्र श्रेणियों को पुनः तैयार करने की आवश्यकता हो सकती है ताकि सर्वेक्षण साधनों फील्ड कार्य को शुरू करने के लिए छह माह पूर्व अंतिम रूप दिया जा सके । कम्प्यूटर संवीक्षा कार्यक्रम, प्राक्कलन प्रक्रिया सारणीयन योजना, विशेष्ज्ञ जांच आदि . .समय से पूर्व पूरे किए जाने होते हैं ताकि डीपीडी को सॉफ्टवेयर को विकसित और अंतिम रूप देने के लिए पर्याप्त समय मिल सके । तालिका जांचों और रिपोर्ट लेखन हेतु और अधिक अधिकारियों को शामिल करके रिपोर्टें एक के बाद एक के बजाए समान्तर/साथ-साथ तैयार की जाएं ।

II. केन्द्रीय आंकड़ा आधार का उपयोग करना: किसी स्थानीय आंकड़ा आधार में आंकड़ों के भंडारण की बजाए, एक वेब आधारित केंद्रीय आरडीबीएमएस आंकड़ा आधार सर्वर संबंधित डीपी-केंद्र में लगाया जा सकता है । एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक्सएमएल फार्मेट में डेटाअपलोड करके आरडीबीएमएस केंद्रीय आंकड़ा आधार के साथ सम्पर्क करना है । क्षेत्र कार्मिक आपूर्ति एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग करके आंकड़ों को प्रविष्ट कर सकते हैं तथा एक्सएमएल फाइल तैयार कर सकते हैं जिसे तब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर द्वारा सर्वर आंकड़ा आधार में अपलोड किया जाता है । तथापि, इसमें वेब सर्वर की वाइरिंग और स्थापना, सुचारू इन्टरसेट कनेक्शन हेतु उपयुक्त वैंडविड्थस की स्थापना, उपयुक्त आरडीबीएमएस आंकड़ा आधार की प्राप्ति और स्थापना तथा इसे कार्यात्मक बनाना, आंकड़ा आधार सुलभ कराने हेतु सर्वर साइड कार्यक्रम का विकास करने की मांग तथा अनेक अन्य सेवाएं शामिल होगी ।

III. वेबआधारित फार्म, एन्ड्राइड तथा हैन्डहेल्ड उपकरणों का उपयोग ।

i. आगामी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को ऑफलाइन विकल्प के रूप में एक्सएमएल फाइल के माध्यम से आंकड़ों को अपलोड करने के अलावा वेब आधारित केंद्रीय आंकड़ा आधार के साथ सीधे ही इन्ट्रेक्ट करने हेतु विस्तृत किया जाए । इस प्रक्रिया में शामिल कर्मचारियों/अधिकारियों को सचेत करने के लिए अधिसूचना आधारित तन्त्र विकसित किया जाए ।

संचाल विशेषताओं का उपयोग करते हुए सारणीयन का सूत्रपात किया जाए तथा प्रोसंसिंग/गुणक गणना/सारणीयन के घटकों को अंतिम रूप दिया जाए तथा एडवांस में आरडीबीएमएस मंच की ओर समेकित किया जाए ।

iii. स्वचालित गुणज तैयार करना तथा इसे सतत अद्यतन करना शुरू किया जाए ।

iv. आंकड़ों के प्रग्रहण हेतु बिण्डो आधारित एप्लीकेशन को वेब आधारित फार्मों में बदलने के लिए प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए । ब्राउजर्स के माध्यम से सुलभ वेब आधारित फार्म एप्लीकेशन को आप्रेटिव सिस्टम मंच के लिए स्वतंत्र बनाते हैं । आंकड़े किसी भी प्रकार के उपकरण, अर्थात, डेस्कटॉप पीसी,लेपटॉप, टेबलेट्स, आईपीड्स, मोबाइल फोन आदि जिनमें ओप्रेटिंग सिस्टम निरपेक्ष इन्टरनेट सुलभ कराने के लिए ब्राउजर का उपयोग करने की सुविधा हो, के माध्यम से सुलभ कराए जा सकते हैं।

v. सिस्टम में एक्सएमएल फाइलों का उपयोग करके ऑनलाइन आंकड़ा प्रग्रहण होना चाहिए था । सीएपीआई आदि का उपयोग करके साक्षात्कार के समय प्रत्यक्ष रूप से हैंड हैल्ड उपकरणों में आंकड़ा प्रग्रहण करके "फील्ड में आंकड़ा प्रग्रहण" किया जा सकता है।

vi. इस प्रणाली में इसके कार्यान्वयन पहले पूरी तरह से प्रयोग की जरूरत होगी क्योंकि यह डेटा संग्रह/विधायन के कार्य में परिवर्तन की मांग करती है । साथ-ही-साथ एन्ड्राइड आधरित डिवाइसों की विस्तृत श्रेणी की एन्ड्राइड आधारित एप्लीकेशन को विकसित करने के कदम उठाए जाने चाहिए, जो सस्ते में उपलब्ध हैं।

vii. सामान्यत: उपलब्ध एन्ड्राइड उपकरणों की आकृति और आकार की सीमा एन्ड्राइड आधारित एप्पस की विन्डोज आधारित एप्लीकेशन से भिन्न बनाती है । एनएसएस अनुसूची की कागज अनुकूल बनावट को एन्ड्राइड आधारित एप्पस में कार्यान्वयन हेतु पुन: अभिकल्पित किया जाए ।

3.52 इन पहलों के कारण अर्जित होने वाले फायदे इस प्रकार हैं:-

क) अवसंरचना विकास के लिए न के बराबर व्यय अथवा कोई अतिरिक्त व्यय अपेक्षित नहीं होगा चूंकि एसआरओ/एनएसआरओ पहले से ही कम्प्यूटरों/इन्टरनेट कनेक्शन्स से लैस हैं।

ख) एफओडी में मैनुअल एफएसपी का उन्मूलन करके कम्प्यूटर सहायता प्राप्त आंकड़ा प्रतिलेखन और संवीक्षा आंकड़ा गुणवत्ता में सुधार करने के लिए प्रत्याशित है ।

ग) ई-मेल के माध्यम से अंकीकृत शेड्यूल के ई-ट्रांसमिशन से डाकीय विलम्ब में कमी आएगी तथा डाक टिकट पर होने वाला भारी व्यय बचेगा ।

घ) डीपीडी में प्राप्त शेड्यूल के अंकीकृत आंकड़े आंकड़ा प्रविष्टि संवीक्षा, आंकड़ा प्रविष्टि वैधीकरण से पूर्व के चरणों का उन्मूलन होगा ।

ङ) डीपीडी को अपने सिस्टम में सीधे ही आंकड़ों को रखने में सक्षम बनाएगा ।

च) दस्तावेज़ वियंत्रण की आवश्यकता को न्यूनतम तक कम करेगा ।

छ) कवरेज जांच को भी न्यूनतम किया जाएगा यदि पूर्ण रूप से हटाया नहीं जा पाए।

ज) फील्ड कार्य पूरा होने के 3 माह के भीतर आंकड़ों को अंतिम रूप देने तथा तालिकाएं तैयार करने में डीपीडी को सक्षम बनाया जाएगा ।

झ) अन्य तीन माहों में, प्रमुख संकेतक और सर्वेक्षण परिणाम, इकाई स्तरीय आंकड़े पब्लिक डोमेन पर उपलब्ध कराए जा सकेंगे ।

ञ) प्रारंभ में अप्रत्याशित कार्यक्रमों का सामना करने के लिए 2-3 माह और अपेक्षित होंगे।

एनएसएसओ सर्वेक्षणों का अंकीकरण

3.53 एनएसएसओ ने एनएसएस सर्वेक्षणों के अंकीकरण के लिए अपनी योजनाओं को आयोग के समक्ष भी प्रस्तुत की । लगने वाले समय में कमी तथा आंकड़ों के संग्रहण की लागत के साथ सर्वेक्षण परिणामों को जारी करने के संबंध में हाल के वर्षों में कागज अनुसूचियों के माध्यम से आंकड़ा संग्रहण की परम्परागत प्रणाली के स्थान पर एनएसएसओ सर्वेक्षणों में आंकड़ा संग्रहण के लिए उन्नत/नवीनतम सूचना प्रौद्योगिकीय साधनों को प्रारंभ करने की आवश्यकता महसूस हुई । इन साधनों का अंगीकरण करने और प्रत्यक्ष डेटा प्रविष्टि को आगे बढ़ाने और तीव्रता से आंकड़ा विधायन करने, फील्ड आंकड़ा संग्रहण और सर्वेक्षणों की रिपोर्टों को जारी करने के बीच होने वाले विलम्ब में कमी करने में सक्षम बनाने में मदद मिलेगी ।

3.54 इस संदर्भ में, उल्लेख किया गया कि एनएसएसओ के विभिन्न सर्वेक्षणों को अंकीकृत किया गया है, जिनमें वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण (एएसआई), शहरी जनसंख्या का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई(यू)), थोक बिक्री मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई), अंतर्राष्ट्रीय तुलनात्मक कार्यक्रम (आईसीपी-2017), आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) तथा शहरी ढांचा सर्वेक्षण (यूएफएस)-(2017-2020) शामिल हैं । एनएसएसओ के विभिन्न अन्य सर्वेक्षण अंकीकरण की प्रक्रिया में हैं, जिनमें फसल सांख्यिकी का प्रचार (आईसीएस), सामाजिक-आर्थिक (एसई) सर्वेक्षण तथा ग्रामीण मूल्य संग्रहण शामिल हैं ।

3.55 एनएसएस सर्वेक्षणों के अंकीकरण की भावी आवधिक का निर्यण करने के लिए डीजीएण्डसीईओ, एनएसएसओ की अध्यक्षता में आईटी पर एनएसएसओ की स्थाई समिति गठित की गई । सूचित किया गया कि एनएसएस का 76वां दौर जिसके लिए 1. निशक्तता, पेयजल, साफ-सफाई, स्वच्छता और आवास स्थितियों विषयों को कवर किया जाएगा । स्थायी समिति ने निर्णय किया है कि फील्ड में आंकड़ा संग्रहण सामान्य पेपर शेड्यूलों का उपयोग किया जाएगा, आंकड़ा प्रविष्टि इन टाइप विकसित एमएस एक्सेस आधारित ई-शेड्यूल का उपयोग करते हुए अपने क्षेत्रीय कार्यालयों में की जाएगी । यह ई-शेड्यूल में शुरू किए गए सत्यापन और वैधीकरण के तरीकों से आंकड़ों की गुणवत्ता को बढ़ाने में सहायता मिलेगी । फील्ड कार्यालयों को आगे विधायन हेतु संमक विधायन प्रभाग को स्वच्छ आंकड़ा फाइलें ई-मेल की जाएंगी । इसके फील्ड स्तर पर आंकड़ा प्रविष्टि रिपोर्टों की निर्युक्ति में लगने वाले समय को कम करके इसके द्वारा संमक विधायन केंद्रों द्वारा आंकड़ा प्रविष्टि की जरूरत से मुक्त किया जाएगा ।

3.56 सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण का पूर्ण अंकीकरण एनएसएस के 77वें दौर (जनवरी-दिसम्बर 2019) से परिकल्पित है । अंकीय अनुसूचियों में पेपर शेड्यलों के सुधार को अपरिहार्य किया जाएगा । इस फील्ड में आंकड़ों को टेबलेट्स का उपयोग करके अंकीय रीति से सीधी प्रग्रहीत किया जाएगा । फील्ड डेटा की गुणवत्ता में सुधार करते हुए, इससे रिपोर्टों को करने में लगने वाले समय को आगे कम किया जाएगा।

3.57 इस समय, एनएसएसओ द्वारा कार्यान्वित ग्रामीण मूल्य संग्रहण के लिए आंकड़ा संग्रहण और ट्रांसमिशन श्रम ब्यूरों के लिए पेपर शेड्यूलों के माध्यम से दस्ती किया जाता । श्रम ब्यूरो आरपीसी सर्वेक्षण का अंकीकरण करने संबंधी कार्य कर रहा है ।

एनएससी की अनुशंसाएं

3.58 आयोग ने रिपोर्टों को जारी करने में लगने वाले समय को कम करने तथा साथ-साथ एनएसएसओ सर्वेक्षणों के अंकीकरण पर एनएसएसओ द्वारा चिह्नित मुद्दों पर विचार किया । आयोग ने सुझाया कि सामान्य समाधान वेब आधारित एपीआई आंकड़ों का प्रग्रहण करने के लिए सही दृष्टिकोण होगा । आयोग द्वारा स्थापित ऑनलाइन रिपोर्टिंग संबंधी समिति सर्वेक्षण आंकड़ों के अंकीकरण पर आगे मार्गदर्शन हेतु प्रस्ताव किया जाना चाहिए । एनएसएस विभिन्न प्रकार के सर्वेक्षण करता है तथा ये सर्वेक्षण पुनरावृत्तीय तथा मानकीकृत होते हैं। इन सर्वेक्षणों में यथेष्ट योजना और विकासात्मक कार्य अपेक्षित होते हैं । बहुत से मामलों में, क्षेत्र, अन्वेषक बातचीत के माध्यम से आंकड़ों का सार निकालते हैं, जो एक संरचित वार्तालाप होता है तथा जिसे वर्षों के काफी अनुभव से विकसित किया गया है । इसके लिए, अंकीय आंकड़ा प्रविष्टि तथा ट्रांसमिशन की विकसित करने वाला व्यवहारमूलक समाधान विकसित किया जाए परन्तु इससे काफी विकासात्मक कार्य की जरूरत होगी तथा कुछ समय बाद इसे मानकीकृत किया जाएगा ।

अध्याय-4

अन्य केंद्रीय मंत्रालयों की सांख्यिकीय गतिविधियों की समीक्षा

4.1 रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान एनएससी ने सांख्यिकी और कार्यकार्यान्वयन मंत्रालय के अलावा कुछ मंत्रालयों/विभागों द्वारा संचालित की जा रही सांख्यिकीय गतिविधियों की समीक्षा की।

सेवाओं में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर आंकड़ों के संकलन के लिए वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशक (डीजीसीआईएस) द्वारा सांख्यिकीय सर्वेक्षण कराया जाना ।

4.2 डीजीसीआईएस, वाणिज्य विभाग ने संवाओं में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सर्वेक्षण तथा संकलन कराए जाने के लिए एनएससी के समक्ष प्रस्ताव पर प्रस्तुति दी । कार्यसूची नोट में शामिल महत्वपूर्ण बातों का सार नीचे किया गया है ।

क) डीजीसीआईएस ने अवगत कराया कि वाणिज्य विभाग को भागीदार देश द्वारा महत्वपूर्ण सेक्टरों के लिए, वार्ता सूची डब्ल्यू/120 में यथानिर्धारित सेवाओं की श्रेणियों तथा उपश्रेणियों के आधार पर तथा सेवाओं की अदायगी की विधि के आधार पर सेवा व्यापार के आंकड़ों की आवश्यकता होती है । इन आंकड़ों की आवश्यकता द्विपक्षीय व्यापार पर उदारीकरण वचनबद्धताओं के प्रभाव के विश्लेषण और विभिन्न देशों तथा वयापारकर्ता ब्लॉकों के साथ सेवा वार्ता आगे बढ़ाने के लिए होती है ।

ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रकाशित भुगतान संतुलन के आंकड़े, सेवा व्यापार सांख्यिकी के लिए एक मात्र आंकड़ा स्रोत है । भारतीय रिजर्व बैंक के मासिक बुलेटिन में एकत्रित किए गए आंकड़े उपलब्ध होते हैं । भागीदार देश द्वारा सेवाओं की श्रेणियों तथा उप-श्रेणियों के आधार पर तथा सेवाओं की प्रदायगी की विधि के आधार पर दी जाने वाली सूचना, भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों में उपलब्ध नहीं रहती है ।

ग) यूएस, यू के, इत्यादि जैसेकई विकसित राष्ट्रों का अपना ऐसा संस्थागत ढांचा होता है जिसमें प्रशासनिक स्रोतों विनियामकों तथा अन्य भागीदार देशों से आंकड़ों के नियमित संग्रहण के लिए उपयुक्त नियमों, प्रक्रियाओं के द्वारा तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़े उद्यमों के आवधिक सर्वेक्षणों के द्वारा समर्थित सेवा व्यापार के आंकड़े रखे जाते हैं ।

भारतीय सेवा व्यापार आंकड़े वर्तमान में इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन रिपोर्टिंग सिस्टम पर आधारित है ।

घ) एनएसएसओ ने अपने 74वें दौर (जुलाई 2016 –जून 2017) में सेवा क्षेत्र पर राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण आरंभ किया था ।इस सर्वेक्षण की रिपोर्ट एनएसएसओ द्वारा अभी जारी की जानी है ।

ङ) सेवा संबंधी आंकड़ों के संकलन के लिए ग्यारह क्षेत्र चिह्नित किए हैं जिसमें आईटी तथा आईटी समर्थ सेवाएं, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, दूरसंचार, बीमा, दृश्य-श्रव्य, तथा व्यवसाय सेवाएं जैसे लेखा/विधिक/वास्तुकला/प्रबंधन परामर्श आदि तथा वित्तीय एवं विनिर्माण सेवाएं शामिल हैं ।

च) डीजीसीआईएस द्वारा स्वास्थ्य, शिक्षा, दूरसंचार, साजो-सामान आदि जैसे क्षेत्रों से प्रायोगिक सर्वेक्षण कराए गए हैं । सेवा क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर डीजीसीआईएस में कराए गए प्रयोगिक सर्वेक्षण सेवा विशेषज्ञ समूह के निर्णय के अनुपालन में, महानिदेशक, सीएसओ की अध्यक्षता वाले उप-समूह के पर्यवेक्षण में कराए गए थे । डीजीसीआईएस द्वारा भविष्य में कराए जाने वाले सेवा संबंधी अखिल भारतीय सर्वेक्षणों में वही रीति अपनाए जाने का विचार है जैसी प्रायोगिक सर्वेक्षणों में अपनाई गई थी ।

छ) क्षेत्र विशिष्ट उद्यम सर्वेक्षण कराए जाने के लिए पहली और सबसे महत्वपूर्ण जरूरत सेवा प्रदाताओं की व्यापक व्यवसाय डाइरेक्टरी की उपलब्धता है जिसके आधार पर क्षेत्रवार सर्वेक्षण कराए जा सकें । जीएसटीएन में ऐसे सभी उद्यमों के पंजीकरण का प्रावधान है जो कर-योग्य अंतर-राज्य आपूर्ति कर रहे हैं जिसमें वस्तुओं और सेवाओं दोनों का आयात तथा निर्यात शामिल है। डीजीसीआईएस सेक्टर-स्तर पर व्यवसाय डाइरेक्टरी तैयार करने और उसके अद्यतन के लिए सात अलग-अलग फार्मों की पहले ही पहचान कर ली है ।

ज) व्यापार वार्ताकारों के लिए अमुक वचनबद्धताओं के संबंध में भावी वार्ताओं के लिए है । प्रत्येक प्रकार की सेवा के संदर्भ में आर्थिक प्रभाव के मूल्यांकन एवं निगरानी के लिए दिशा-निर्देशक के तौर पर अलग-अलग आंकड़ों की जरूरत होती है । केंद्रीय उत्पाद वर्गीकरण (सीपीसी) अथवा इसके प्रकारों का उपयोग सेवाओं में श्रेणी तथा उप-श्रेणीवार

आंकड़ा संग्रहण को आसान बनाने और अंतर्राष्ट्रीय सुसंगति सुनिश्चित किए जाने के लिए किए जाने का विचार है ।

झ) एनएससी के समक्ष जो अन्य पहलू जाए गए हैं उनमें प्रतिदर्श डिजाइन, अनुसूची डिजाइन, आंकड़ा संग्रहण हेतु विधिक ढांचा, फील्ड स्तरीय पर्यवेक्षण, आंकड़ा प्रक्रमण, रिपोर्ट तैयार करना तथा आंकड़ा प्रसार शामिल है ।

4.3 एनएससी ने सेवाओं में अलग-अलग स्तरीय सांख्यिकीय की जरूरत को पूरा करने के लिए डीजीसीआईएस द्वारा सेवाओं में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अखिल भारत सेक्टर-विशिष्ट नियमित सांख्यिकीय सर्वेक्षणों के आयोजन के प्रस्ताव को अनुमोदित किया है । इसमें सुझाव दिया गया है कि वाणिज्य विभाग सेवाओं में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर आवधिक सांख्यिकीय सर्वेक्षणों तथा तत्संबंधी परिणामों को जारी करने के सभी पहलुओं पर डीजीसीआईएस को तकनीकी परामर्श तथा आवश्यक मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के लिए एक तकनीकी समिति/कार्यकारी समूह का गठन करें ।

(कार्रवाई: डीजीसीआईएस, एमओसीएंडआई)

अध्याय- 5

राज्य डीईएस की सांख्यिकी गतिविधियों की समीक्षा

5.1 एनएससी को अन्य बातों के साथ-साथ, वर्तमान संस्थागत ढांचे के सुदृढ़ीकरण के राज्य सरकारों तथा संघ-राज्य प्रशासनों के साथ सांख्यिकी गतिविधियों पर प्रभावशाली समन्वय के लिए उपाय विकसित करने का दायित्व भी सौंपा गया है । इसके लिए आयोग ने कुछ राज्यों की सांख्यिकी गतिविधियों की समीक्षा की । इस अध्याय में इन राज्यों की आयोग द्वारा की गई समीक्षा की सांख्यिकी गतिविधियों का ब्यौरा है ।

कर्नाटक की राज्य सांख्यिकीय प्रणाली की समीक्षा

5.2 एनएससी की 93वीं बैठक के दौरान कर्नाटक की राज्य सांख्यिकीय प्रणाली की समीक्षा की गई । समीक्षा के दौरान आयोग को राज्य की सांख्यिकीय प्रणाली से अवगत कराया गया। राज्य में विविध सांख्यिकीय गतिविधियों के संचालन हेतु नोडल कार्यालय आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय है । डीईएस में सात विभाग कार्यरत हैं । डीईएस प्रमुखतः कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित आंकड़ों का संग्रहण, संकलन तथा प्रकाशन करता है । डीईएस प्रमुख रूप से सकल राज्य घरेलू उत्पादन (जीएसडीपी) तथा औद्योगिक उत्पादन के आंकड़ों (आईआईपी) का संकलन करता है । इन गतिविधियों के अलावा आर्थिक तथा सांख्यिकी निदेशालय के निदेशक राज्य कृषि गणना आयुक्त के तौर पर पंचवर्षीय कृषि गणना का संचालन करते हैं । निदेशालय अलग-अलग अवधि के 19 प्रकाशन जारी करता है। डीईएस राज्य सरकार के अन्य विभिन्न विभाग जैसे ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण की सांख्यिकीय गतिविधियों में सहायता कर रहा है ।

5.3 विभिन्न गतिविधियां जैसे फसल कटाई प्रयोग (सीसीई), मां तथा बच्चे की देखभाल, जन्म तथा मृत्यु का पंजीकरण आदि के आंकड़ों की गुणवत्ता, विश्वसनीयता तथा समयबद्धता सुधारने तथा इसके प्रसारण में समय अन्तराल कम करने के लिए वेब/मोबाइल आधारित ऐप्लिकेशन का उपयोग किया जाता है ।

5.4 राज्य सरकार के पास राज्य में पंजीकृत उद्योगों को लाइसेंस देने के लिए वेब आधारित प्रणाली है । यह सूचित किया गया था कि लाइसेंस नंबर ही युजर आईडी है जिसके माध्यम से एएसआई की विवरणियां भरी जाती हैं । राज्य सरकार ने सूचित किया था कि यह एप्लीकेशन सीएसओ (आईएसविंग) की आवश्यकताओं के अनुकूल है ।

5.5 राज्य सरकार ने सूचित किया था कि उन्होंने अल्पसंख्यक तथा पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के हॉस्टल पर सर्वेक्षण किया था तथा रिपोर्ट शीघ्र ही जारी की जायेगी ।

5.6 एनएसएस डाटा डिजिटल रूप से प्राप्त करने में राज्यों की तैयारी के संबंध में यह सूचना दी गई थी कि राज्य तैयार है तथा कर्मचारी वर्ग इस तरह की गतिविधियों को पूरा करने में तकनीकी रूप से सक्षम है । यह भी सूचना दी गई थी कि हिमाचल प्रदेश तथा तेलंगाना राज्यों ने कर्नाटक का दौरा किया था तथा उन्हें राज्य सरकार द्वारा मोबाइल एप के माध्यम से फसल कटाई प्रयोग (सीसीई) दिखाया गया ।

राजस्थान की राज्य सांख्यिकीय प्रणाली की समीक्षा

5.7 राजस्थान की राज्य सांख्यिकीय प्रणाली की समीक्षा एनएससी की 95वीं बैठक के दौरान की गई थी ।

5.8 राज्य में विविध सांख्यिकी गतिविधियों के संचालन हेतु नोडल कार्यालय आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय है । निदेशक, डीईएस ने प्रभावी अनुवीक्षण तथा शासन हेतु सांख्यिकी आसूचना को विकसित करने के लिए आईटी मंच तथा एकीकृत सूचना का प्रयोग कर लोगों तक पहुचने के लिए ई-शासन के व्यापक प्रयोग के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा उठाए गए नये कदमों पर प्रकाश डालते हुए प्रस्तुतीकरण दिया था । राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में कार्यरत अधिकारियों ने बड़ी संख्या में सरकारी कार्यक्रम जैसे भामाशाह योजना को राजस्थान के सुदूर स्थानों में लोगों तक पहुचना, के समर्थन में सूचना तकनीकी के फायदों को दिखाते हुए उदाहरण प्रस्तुत किया है ।

5.9 डीईएस ने आयोग को अवगत कराया कि वर्ष 2013 में राज्य सांख्यिकीय प्रणाली के लिए लगभग 1750 पद सृजित किए गए थे तथा छः महीने के भीतर लोगों को प्रवेश दिया गया तथा और अधिक भर्तियां की जा रही हैं ।

5.10 आयोग को अवगत कराया गया था कि राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान (आरआईपीए) कर्मचारियों के लिए आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित कर रहा है तथा भारतीय सांख्यिकी सुदृढ़ीकरण परियोजना निधि (आईएसएसपी) की सहायता से डीईएस में प्रशिक्षण सुविधा दी गई है । ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण वीडियों कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित किया जा रहा है ।

5.11 आयोग ने सांख्यिकीय उत्पादन प्रक्रिया में सुधार करने हेतु विशेषकर भामाशाह योजना के माध्यम से प्रशासनिक डाटाबेस पहुंच, संभावित फायदों तथा समान प्रशासनिक ढ़ांचे के अधीन होने के नाते राज्य सरकार के आईटी विभाग तथा डीईएस के मध्य स्थापित तालमेल की प्रशंसा की । डीईएस के मौजूदा ढांचे में सुधार के लिए सांख्यिकी सुदृढ़ीकरण सहायता निधि का उपयोग प्रशंसनीय था ।

उत्तर प्रदेश की राज्य सांख्यिकीय प्रणाली की समीक्षा

5.12 उत्तर प्रदेश की राज्य सांख्यिकीय प्रणाली की समीक्षा एनएससी की 98वीं बैठक के दौरान की गई थी । राज्य की सांख्यिकीय प्रणाली की समीक्षा के दौरान, आयोग को बताया गया कि डॉक्टर सी रंगराजन आयोग की कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें राज्य के द्वारा अभी भी लागू की जानी हैं । इसका विशेष रूप से उल्लेख किया गया था कि निम्नलिखित सिफारिशें, जो राज्य सांख्यिकीय प्रणाली के विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं, 16 वर्ष से अधिक अन्तराल होने के बावजूद अभी भी लागू की जानी है ।

क) डीईएस की स्वतंत्रता-

डीईएस सांख्यिकी के अलग विभाग में रूपान्तरित होने चाहिए तथा डीईएस के निदेशक का पद सचिव स्तर तक बढ़ाया जाना चाहिए ।

ख) निदेशक, सरकार के सलाहकार के रूप में-

राज्य सरकार को निदेशक, डीईएस को निर्णयन प्रक्रिया में शामिल करना चाहिए ।

यह निदेशक, डीईएस को वास्तविक क्षेत्रों: कृषि, ग्रामीण विकास, सिचाई, उद्योग, शिक्षा तथा इसी तरह के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में योजना, कार्यक्रम तथा निर्णय संबंधी औपचारिक या अनौपचारिक रूप से बनी समितियों तथा समूहों के सदस्य, या स्थायी आमंत्रित सदस्य बनाकर की जा सकती है ।

5.13 सांख्यिकी तथा आर्थिक अनुसंधान ब्यूरो की राज्य में स्थापना 1931 में हुई थी, जिसका उद्देश्य योजना प्रक्रिया में उपयोग के लिए आंकड़ों का संग्रहण तथा संकलन करना था । वर्तमान में राज्य डीईएस का अध्यक्ष निदेशक होता है तथा इसके स्टाफ की संख्या 2844 है जिसमें 1934 सांख्यिकीय कर्मचारी शामिल हैं ।

5.14 लाइन विभाग जैसे कृषि, वानिकी तथा स्वास्थ्य आदि की अपनी विभागीय आवश्यकताओं के अनुसार आंकड़े संगृहीत तथा संकलित करने के लिए संबंधित मुख्यालय स्तर पर सांख्यिकीय इकाईयां होती हैं । तथापि, लाइन विभाग में कार्यरत सांख्यिकीय कर्मचारी राज्य के आर्थिक तथा सांख्यिकी संवर्ग से संबंध नहीं रखते हैं ।

5.15 राज्य में जीएसडीपी 1950-51 से तैयार किया जा रहा है । राज्य प्रतिदर्श के आधार पर मिलान करने वाले एनएसएस के सर्वेक्षणों में 9वें दौर (1955) से अब तक भाग ले रहा है ।

5.16 केन्द्र तथा राज्य के प्रतिदर्श आंकड़ों का एकत्रीकरण लगातार किया जा रहा है तथा 66वें दौर के एकत्रित आंकड़ों के आधार पर प्रथम रिपोर्ट 2015 में जारी की थी । वर्तमान में 69वें दौर के आंकड़ों का एकत्रीकरण लगभग पूरा होने वाला है तथा परिणाम शीघ्र ही जारी कर दिए

जाएंगे। डीईएस ने सूचित किया था कि केन्द्र तथा राज्य के प्रतिदर्श आंकड़ों के एकत्रीकरण के बावजूद सटीक स्तर की अनेक विशेषताओं का आकलन करने में डीईएस समर्थ नहीं है ।

5.17 आयोग को सूचित किया गया था कि उत्तर प्रदेश में गरीबी तथा सामाजिक अनुवीक्षण प्रणाली (यूपी पीएसएमएस) चार गुना उद्देश्यों के साथ 1999 में आरंभ की गई थी ।

क) राज्य में जनसंख्या के जीवन स्तर तथा गरीबी से संबंधित प्रमुख क्षेत्रों में प्रगति को मापना तथा अनुवीक्षण

ख) वर्तमान में किए जा रहे सुधारों के संदर्भ में, उत्पन्न होती हुई समस्याओं जो गरीबों तथा अन्य कमजोर समूहों पर विपरीत प्रभाव डाल सके, को पहचानना

ग) इस सूचना का प्रयोग अधिक सुविचारित नीति निर्णयन, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों, विशेषकर गरीबों को सेवा प्रदान करने वाली, के प्रदर्शन तथा निष्पादन में सुधार करने में सहायता करना है ।

घ) जनता को राज्य में प्रमुख विकास उद्देश्यों को प्राप्त करने से संबंधित प्रगति तथा परेशानियों की बेहतर सूचना देना ।

5.18 शुरुआत से अब तक इस प्रकार के 5 सर्वेक्षण किए गए हैं, पांचवां तथा नवीनतम 2016 में संचालित किया गया है । यह सर्वेक्षण डीईएस द्वारा अकेले ही आयोजित, अभिकल्पित तथा पूरा किया गया था । यह सबसे बड़ा परिवार सर्वेक्षण है तथा इसका उद्देश्य जिला स्तर के अनुमान उपलब्ध करवाना है ।

5.19 राज्य वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण में 1960-61 से भाग ले रहा है तथा केन्द्र तथा राज्य के इकाई स्तर के आंकड़ों का उपयोग करते हुए रिपोर्ट तैयार की जाती है । एएसआई के आंकड़ों के संग्रहण हेतु सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम (सीओएस) वर्ष 2015-16 में कार्यान्वित किया गया था ।

5.20 डीईएस औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) को तैयार करने के लिए आधार वर्ष 2004-05 से बदलकर 2011-12 करने जा रहा है। परंतु उनका विचार था कि अब आधार संशोधित करते हुए 2017-18 किया जाना ज्यादा उपयोगी होगा । अध्यक्ष, एनएससी ने परामर्श दिया था कि अब समय आ गया है कि डीईएस को चेन-आधार सूचकांक की ओर बढना चाहिए।

5.21 निदेशालय 16 नियमित प्रकाशन जारी करता है तथा क्षेत्रीय स्तर पर सात अन्य प्रकाशन अलग-अलग अवधि के छापे जाते हैं ।

5.22 सभी जिला कार्यालय डीईएस के तकनीकी उन्नयन के भाग के रूप में राज्य वृहद क्षेत्रीय नेटवर्क के माध्यम से जुड़े हुए हैं ।

5.23 यह सूचित किया गया था कि 20वीं पशुधन गणना का हस्त-चालित उपकरणों (टेबलेट कम्प्यूटर) के द्वारा किया जाएगा ।

5.24 यह विभिन्न लाइन विभागों का सामान्य विचार था कि राज्य में सभी सांख्यिकीय कर्मचारी राज्य में स्थापित एकल निकाय द्वारा शासित होने चाहिए ।

5.25 कृषि विभाग ने बताया कि प्रत्येक खरीफ, रबी तथा जायद मौसम के क्षेत्रीय आंकड़े राजस्व विभाग के लेखपाल द्वारा प्रत्येक मौसम के पडताल समय में प्रत्येक खेत के वास्तविक सर्वेक्षण (पडताल) द्वारा संग्रहित किए जाते हैं । गांव से राज्य स्तर तक के फसल विवरण एक विशिष्ट समय सीमा में एकत्रित किए जाते हैं । राजस्व निरीक्षक अपने क्षेत्र में प्रत्येक फसल के चुने हुए नमूनों के एक हिस्से से अनावृष्टि प्रयोग करते हैं तथा अनावृष्टि कारक के आधार पर फसल की औसत उपज निकाली जाती है । इस प्रकार प्राप्त हुई उपज का उपयोग राज्य में फसल उत्पादन अनुमानों को तैयार करने में किया जाता है ।

5.26 फसल एकड़ क्षेत्र के शीघ्र तथा विश्वसनीय अनुमान उपलब्ध करवाने के लिए कृषि गणना, आर्थिक व्यवस्था तथा सांख्यिकी संबंधी एकीकृत योजना के अन्तर्गत फसल आंकड़ों में सुधार के लिए समयबद्ध रिपोर्टिंग योजना कार्यान्वित की जा रही है ।

5.27 आयोग को बताया गया था कि राज्य में फसल बीमा योजना कार्यान्वित होने से पहले 2000-01 तक प्रत्येक वर्ष लगभग कुल 55,000 फसल कटाई प्रयोग (सीसीईएस) संचालित किए गए थे जिससे जिला स्तरीय फसलों के उपज अनुमान तैयार किए जा सके । राज्य में राष्ट्रीय फसल बीमा योजना का कार्यान्वयन वर्ष 2013-14 के रबी मौसम से आरंभ किया गया था । फसल बीमा योजना के उचित तरीके से कार्यान्वित करने के लिए, खेती समुदाय की मांग उपज अनुमानों को ग्रामीण पंचायत स्तर पर उपलब्ध करवाना था । इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रयोगों की संख्या प्रतिवर्ष 600000 सीसीईएस से अधिक बढाई गई थी । वर्ष 2013-14 के रबी मौसम में ग्रामीण पंचायत स्तर पर उपज दरों के साथ फसल बीमा योजना को लागू करने वाला उत्तर प्रदेश देश का प्रथम राज्य था ।

5.28 विश्वसनीय तथा समयबद्ध सीसीई परिणामों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कृषि (सांख्यिकी) विभाग के फील्ड स्टाफ तथा राज्य के राजस्व विभाग के प्रत्येक प्राथमिक फील्ड कार्यकर्ता को स्मार्ट फोन उपलब्ध करवाने का कार्य आरंभ किया गया है । स्मार्ट फोन का

उपयोग भारत सरकार के केन्द्रित सर्वर को आंकड़े तथा फसल की फोटो भेजने तथा फसल कटाई प्रयोग के समय फसल की स्थिति की रिकार्डिंग करने में किया जायेगा ।

5.29 आयोग ने अन्य लाइन विभाग जैसे व्यापार टैक्स, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण, परिवहन में भी सांख्यिकी गतिविधियों की समीक्षा की थी ।

5.30 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसएण्डपीआई), भारत सरकार की एक योजना "सांख्यिकी सुदृढीकरण हेतु समर्थन" (एसएसएस) कार्यान्वित कर रह है । इस योजना को पूर्व में आईएसएसपी के रूप में जाना जाता था जिसका प्राथमिक उद्देश्य एनएससी द्वारा सुझाए गए कुछ उपायों के अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में सांख्यिकी प्रणाली को सुदृढ़ करना था ।

5.31 डीईएस, उत्तर प्रदेश ने उल्लेख किया कि सांख्यिकी सुदृढ़ीकरण हेतु समर्थन योजना राज्य में सांख्यिकीय क्रियाकलापों के लिए अवसंरचना के निर्माण हेतु बहुत उपयोगी है, वे गरीबी तथा सामाजिक अनुवीक्षण सर्वेक्षण का संचालन करने में समर्थ थे तथा भविष्य में आरंभ किए जाने वाले कुछ अध्ययनों/सर्वेक्षणों पर विचार कर चुका है । निदेशक (एसएसएस), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने राज्य में योजना के कार्यान्वयन की स्थिति संक्षिप्त में स्पष्ट की थी ।

5.32 दिनांक 3.11.2015 को उत्तर प्रदेश राज्य के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन में विचारित गतिविधियों के आधार पर उत्तर प्रदेश राज्य में एसएसएस योजना के अन्तर्गत 43.76 करोड़ की अनुमोदित स्वीकृत राशि के बजाय वर्ष 2015-16 में 6.00 करोड़ रुपये जारी किए गए थे । इसके पश्चात, योजना को केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में श्रेणीबद्ध किया गया था । इसके परिणामस्वरूप राज्य को एक नये राज्य के रूप में माना गया तथा दी गई समय सीमा मार्च 2020 तक बढ़ाई गई थी तथा कुल आवंटन को 42.84 करोड़ रुपये में संशोधित किया गया था । चूकि 6.00 करोड़ रुपये की राशि पूर्व में ही राज्य को दी जा चुकी थी, 36.84 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि मार्च, 2020 तक की बढ़ी हुई अवधि के दौरान जारी की जानी है ।

5.33 केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं के लिए लागू दिशा-निर्देशों का अनुसरण करते हुए राज्यों को भविष्य में सांख्यिकीय गतिविधियां बढ़ाने तथा वास्तविक ढ़ांचे के निर्माण एवं आईटी हार्डवेयर की खरीद छोड़ते हुए राज्यों को अपने कार्यक्रमों में सुधार की सलाह दी गई ।

5.34 वास्तविक तथा वित्तीय प्रगति- राज्यों को दी गई 6.00 करोड़ रुपये की राशि के बजाय, वर्ष 2015-16 में योजना के अन्तर्गत पूरी की गई गतिविधियों का व्यय 1.94 करोड़ रुपये था तथा वर्ष 2016-17 में 1.23 करोड़ रुपये था । इस प्रकार मार्च 2017 तक किया हुआ कुल व्यय केवल 3.17 करोड़ रुपये था ।

5.35 निदेशक (एसएसएस), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने आयोग को बताया था कि एमएसएस के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के पारस्परिक परामर्श से पूरे किए गए राज्य कार्यक्रमों में और अधिक सांख्यिकीय गतिविधियों को शामिल किए जाने की गुंजाईश है । अपर मुख्य सचिव तथा सचिव (योजना) उत्तर प्रदेश से उनके विचारों को प्रकट करने तथा राज्य कार्यक्रम को शीघ्रातिशीघ्र पूरा करने हेतु मार्गदर्शन देने का अनुरोध किया गया है ।

5.36 यह देखा गया था कि सर्वेक्षणों/अध्ययनों की बढ़ती हुई संख्या स्वागतयोग्य है परन्तु राज्य सांख्यिकीय कर्मचारियों के क्षमता विकास को भी पर्याप्त महत्व दिया जा सकता था क्योंकि यह एसएसएस योजना का अनिवार्य हिस्सा है तथा डीईएस एवं लाइन विभाग के सांख्यिकीय कर्मचारियों की क्षमता विकास के लिए एचआरडी घटक के अंतर्गत पर्याप्त निधि उपलब्ध करवाई गई है । डीईएस एवं लाइन विभागों के द्वारा किए गए संकेतकों, सर्वेक्षणों/अध्ययनों के संकलन से अनुभव बढ़ाने तथा क्षमता संवर्द्धन में योगदान देने की आशा की जाती है । तथापि, यह चिंता का कारण है कि डा. सी रंगराजन आयोग की अनुशंसाएं राज्य में अभी तक लागू नहीं की जा सकी है तथा सिफारिशों को यथाशीघ्र कार्यान्वित करने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता है ।

5.37 आयोग ने अवलोकन किया था कि सांख्यिकीय एजेंसियां 'नागरिक सेवा' हेतु जनता की भलाई के रूप में सरकारी सांख्यिकी के उत्पादों को निष्पक्ष रूप से संकलित करने तथा उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध हैं । संग्रहित आंकड़ों की पर्याप्तता तथा यथार्थता के साथ गुणवत्ता, विश्वसनीयता तथा समयबद्धता में सुधार करने की आवश्यकता है । सूचना की एकरूपता की ओर प्रयास करते हुए आधुनिक तकनीकी के प्रयोग वाली एकीकृत सूचना प्रणाली की आवश्यकता है । यह सभी हितधारकों जैसे सरकार, व्यवसाय तथा सामान्य जनता को मुश्किल तथ्यों पर आधारित सामाजिक आर्थिक विकास के बारे में सूचना देने में सहायता करेगा । बाजार के सूक्ष्म ढ़ांचे की कुशल कार्यपद्धति के साथ-साथ उत्पादकता तथा प्रतिस्पर्द्धा में सुधार के लिए अलग-अलग आंकड़ों तथा विभिन्न स्तर पर उनके विश्लेषण की आवश्यकता है ।

सरकारी आंकड़ों के संग्रहण, संकलन तथा प्रसारण का आधुनिकीकरण करने वाली प्रणाली को विकसित करना संभव है । वस्तुतः हमें अब शासन के सभी स्तरों पर सूचनाबद्ध निर्णय लेने हेतु इंटेलीजेंट डेसबोर्ड के लिए प्रणाली के उपयोग के बारे में सोचना चाहिए ।

5.38 आयोग ने नोट किया कि एसएसएस योजना के अन्तर्गत उपलब्ध करवाई गई सहायता से आयोग के द्वारा दौरा किये गए गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान राज्यों को लाभ हुआ है। इन राज्यों ने उप-जिला स्तर पर डेटा प्राप्त करने के लिए ई-गवर्नेंस के तहत योजनाओं का उपयोग अपने लाभ के लिए किया था और आशा जताई कि यूपी बिजनेस इंटेलिजेंस के लिए एक आधुनिक प्रणाली के लिए जाकर एक उदाहरण स्थापित करेगा, इसे प्राथमिक डेटा के साथ पॉपुलेट करने के लिए पुन: उपयोग की आवश्यकता के साथ सुविधाओं और उपकरणों के विभिन्न स्तरों पर इन आंकड़ों के विश्लेषण के लिए उपकरण के रूप में पुनर्प्राप्ति के लिए एक उदाहरण स्थापित करेगा।

पश्चिमी बंगाल की राज्य सांख्यिकीय प्रणाली की समीक्षा

5.39 आयोग ने 9 जनवरी 2018 को 99वीं बैठक के दौरान कोलकाता स्थित योजना, सांख्यिकी तथा कार्यक्रम अनुवीक्षण विभागों (डीओपीएसपीएम) के साथ पश्चिम बंगाल राज्य की सांख्यिकीय पद्धति की समीक्षा की ।

5.40 आयोग को अवगत कराया गया था कि 2010 में डीओपीएसपीएम को राज्य में सभी सांख्यिकीय गतिविधियों की नोडल एजेंसी बनाया गया था तथा यह विभिन्न विभागों की सांख्यिकीय गतिविधियों का समन्वय करती है । अनुप्रयुक्त अर्थशास्त्र तथा सांख्यिकी ब्यूरो (बीएईएस) भी इस विभाग के अधीन है । एक नोडल एजेंसी के रूप में इसे सर्वेक्षणों में डिजायन तैयार करने, विभिन्न विभागों द्वारा उपयोग किए जाने वाले विशेष प्रारूपों का विकास करने का कार्य सौंपा गया है ।

5.41 विभाग की प्रमुख गतिविधियां प्राथमिक आंकड़ों तथा गौण आंकड़ों के संग्रहण में बांटी गई हैं । प्राथमिक आंकड़ों के संग्रहण में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) तथा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) के अलावा कृषि संबंधी आंकड़े, सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण, उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण (एएसआई) तथा आर्थिक गणना शामिल है । जबकि गौण आंकड़ों में राज्य घरेलू उत्पादों (एसडीपी), जिला घरेलू उत्पादों (डीडीपी) का आकलन तथा आर्थिक समीक्षा आदि शामिल है ।

5.42 राज्यों के आंकड़ों की तुलना करने के लिए सीएसओ द्वारा चिन्हित 20 प्रमुख सांख्यिकीय गतिविधियों में से, डीओपीएसपीएम पहले 12 से 13 गतिविधियां देख रहा है तथा शेष कुछ

लाइन विभागों द्वारा संग्रहित की जा रही है । डीओपीएसपीएम 8 वार्षिक प्रकाशन तथा 6 अन्य नियमित प्रकाशन अलग-अलग समय पर जारी करता है ।

5.43 विभाग ने विभिन्न गतिविधियां जिनमें कृषि संबंधी आंकड़े, आईआईपी, रोजगार तथा बेरोजगारी संबंधी सर्वेक्षण, कार्य गतिविधियों से संबंधी आंकड़े आदि शामिल हैं । के लिए ई-एप्लीकेशन विकसित किए हैं । एएसआई, सीपीआई, जिला स्तरीय आंकड़ों के एकीकरण, राज्य स्तरीय आंकड़ों के एकीकरण आदि के लिए भी इसी प्रकार के एप्लीकेशन विकसित किए जा रहे हैं । इससे आंकड़ों के एकीकरण परेशानी-रहित, सहल तथा पारदर्शी हुए है तथा आंकड़ों का केन्द्रीकृत भण्डारण आंकड़ों की सुरक्षा बढ़ायेगा तथा उनमें नियमित बैक-अप को सुविधाकर बनायेगा ।

5.44 भारत सरकार ने राज्य सांख्यिकीय प्रणाली को समृद्ध बनाने के लिए एसएसएस के माध्यम से 18.796 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की है, जिसमें से 15.306 करोड़ रु. राज्य द्वारा व्यय कर दिए गए हैं । यह सूचना दी गई थी कि राज्य सांख्यिकीय प्रणाली में सुधार के लिए राज्य सरकार वर्ष 2012-13 से 33 करोड़ रु. का व्यय कर चुकी है ।

5.45 सांख्यिकी सुदृढ़ीकरण (एसएसएस) हेतु समर्थन के अन्तर्गत किए जाने वाले सर्वेक्षणों तथा अध्ययनों में रोजगार तथा बेरोजगारी से संबंधी सर्वेक्षण, वृद्धावस्था का अध्ययन, पश्चिम बंगाल की विधवा तथा विकलांगता पेंशन, चारा फसलों संबंधी अध्ययन आदि शामिल है ।

अन्य विभागों में सांख्यिकीय गतिविधियां

5.46 पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग ने पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) के सभी तीन स्तरों के नियमित खातों के कम्प्यूटरीकरण को पूरा कर लिया है तथा ये 2005 से संपूर्ण राज्य में सफलता पूर्वक चलाए जा रहे हैं । ग्राम पंचायत प्रबंधन प्रणाली (जीपीएमएस)- एक ऑफलाइन खाता सॉफ्टवेयर, नियमित खातों का रख-रखाव करती है तथा खातों की सभी सांविधिक बहियां तथा ग्राम पंचायत हेतु आवश्यकता के आधार पर परिवर्तित रिपोर्ट तैयार करती है । जीपीएमएस पूर्णतः मॉडल लेखा प्रणाली (एमएएस) के अनुसार है तथा 2010-11 पंचायती राज्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए राष्ट्रीय लेखा कोड (एनएसी) से अंतः स्थापित है ।

5.47 महिला तथा बाल विकास (डब्ल्यु सीडी) तथा सामाजिक कल्याण विभाग ने लाभार्थियों को बेहतर तथा गुणवत्तायुक्त सेवा देने के लिए कन्याश्री पोर्टल विकसित किया है । अन्य पोर्टल

जो पश्चिम बंगाल के गुमशुदा बच्चों का पता लगाने के लिए विकसित की गई, 'ट्रेक चाईल्ड 2.0' है । सभी हितधारकों तथा आईसीपीएस निकायों जैसे सीपीएसयू, एससीपीएस/राज्य बाल संरक्षण इकाई, बाल संरक्षण समाज/इकाई तथा डीसीपीयू, सीसीआईएस, पुलिस स्टेशन, सीडब्ल्युसीएस, जेजेबीएस आदि के लिए यह एक एकीकृत सही स्थान है ।

5.48 अन्य पहल आंगनवाड़ी केन्द्र की ढांचा स्थिति रिपोर्ट (आईएसएसी) की वेबलिंक्ड रिपोर्टिंग है । इन आंगनवाड़ी केन्द्रों को जीओटैग किया गया है जिससे विभिन्न प्रकार की सेवाओं का पूर्ण अनुवीक्षण संभव हो सका है ।

5.49 अन्य लाइन विभाग जैसे वित्त तथा वाणिज्यिक कर, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण, मत्स्यन, भूमि एवं भूमि सुधार तथा परिवहन की सांख्यिकीय गतिविधियों की प्रणाली तथा सांख्यिकीय गतिविधियों की उनको तैयार करने की प्रणाली तथा सांख्यिकी का प्रयोग का विवरण देते हुए समीक्षा की गई थी ।

5.50 आयोग ने तैयार किए जाने वाले आंकड़ों के अकीकरण बेहतर शासन तथा संसाधनों के उपयोग के लिए अन्तः विभागीय एकीकरण की अवश्यकता पर भी बल दिया था ।

अध्याय-6

आयोग की कार्यविधि का मूल्यांकन तथा आगामी रणनीति

6.1 आयोग द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2016-17 की वार्षिक रिपोर्ट में डॉ रंगराजन आयोग रिपोर्ट की पृष्ठपूमि में राष्ट्रीय सांख्यिकीय प्रणाली में आयोग का योगदान तथा उसके बाद भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना की आलोचनात्मक रूप से जांच की गई थी । आयोग ने अवधि के दौरान प्रणाली को मजबूत करने तथा इसे आधुनिक आंकड़ा प्रबंधन ढ़ांचा पर स्थापित करने के लिए चुनिंदा क्षेत्रों में व्यापक रूप से गहराई में जाने का प्रयत्न किया था । यह उच्च स्तर के राष्ट्रीय विशेषज्ञ तथा आधिकारिक सांख्यिकी में कार्य कर रहे सांख्यिकीविदों वाली समितियों द्वारा गहन अध्ययन के माध्यम से प्राप्त किया जाना था । इन विशिष्ट समितियों का प्रयोजन रियल सेक्टर सांख्यिकी, वित्तीय सेक्टर सांख्यिकी, राजकोषीय सांख्यिकी, ऑन-लाइन डाटा रिपोर्टिंग, आंकड़ा विश्लेषण में अधिक आधुनिक तथा समसामयिक सांख्यिकीय प्रणाली के लिए रूपरेखा उपलब्ध करवाना था । इन समितियों द्वारा विशेष प्रयास करने से पहले ही इनके मूल कार्यकालों की अवधि समाप्त हो चुकी थी अत: कार्यकाल आगे बढ़ाने पड़े थे। तथापि ये समितियां 2017-18 के दौरान अपना कार्य समाप्त नहीं कर सकी थी और 2018-19 के दौरान अपना कार्य पूरा किये जाने की आशा की जाती है ।

6.2 विश्वभर में आधिकारिक सांख्यिकी तैयार करने के लिए प्रशासनिक रिपोर्ट का उपयोग आंकड़ों की सततता, आंकड़ा संग्रहण की घटी हुई कीमत तथा उत्तरदायित्व भार एवं आंकड़ों के प्रत्यक्ष संग्रहण से संबंधित विषयों में सुधार करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है । सरकार द्वारा उत्साहपूर्वक प्रोन्नत डिजिटल अर्थव्यवस्था भारत प्रशासनिक आंकड़ों के उन्नत उपयोग हेतु मजबूत आधार उपलब्ध करवाती है । इसके लिए राष्ट्रीय तथा प्रादेशिक सामाजिक तथा आर्थिक सूचकांकों को तैयार करने के लिए आधिकारिक सांख्यिकीविदों को अपनी कुशलता तथा विशेषज्ञता प्रशासनिक आंकड़ों के उचित व्यवस्था में अनुकूलन की आवश्यकता है । ऑनलाइन डाटा संग्रहण, निष्कर्षण तथा रिपोर्टिंग तकनीकी के उपयोग को आंकड़े तैयार करने वाली

प्रशासनिक प्रणाली के गहरी समझ के साथ उन्नत बनाया जाना चाहिए । भारतीय सांख्यिकीय प्रणाली ने राष्ट्रीय लेखा के संकलन हेतु एमसीए 21 डाटाबेस को अपनाने के साथ इस दिशा में कुछ पहल की है । हालांकि पर्याप्त क्षमता तथा आईटी तैयारी अभी भी पूर्ण रूप से विकसित की जानी शेष है । इस समिति के कार्य के परिणाम सांख्यिकीय प्रणाली के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है । सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जैसे ही आयोग द्वारा सिफारिशें उपलब्ध करवाई जाती हैं, समिति की सिफारिशें लागू करवा देनी चाहिए । हालांकि, सर्वेक्षण तथा गणना संबंधी आंकड़ों जिनमें काफी लचीलापन होता है, के स्थान पर प्रशासनिक आंक़ड़ों के प्रयोग संबंधी जटिलताओं को स्पष्ट अध्ययन की विशेषकर क्षेत्रीय सांख्यिकी और हमारे विकेन्द्रीकृत ढ़ांचे में अपेक्षित अन्य पृथकीकरण पर होने वाले पर इसके प्रभावों के बारे में आवश्यकता है । इस बिन्दु को पिछली रिपोर्ट में भी नोट किया गया था।

6.3 अन्य प्रमुख क्षेत्र सारभूत सांख्यिकी है । यद्यपि सारभूत सांख्यिकी को इसकी विशेषताओं को परिभाषित करते हुए रंगराजन आयोग द्वारा स्पष्ट किया गया है कि वो जो राष्ट्रीय महत्व के है तथा सभी स्तरों पर संग्रह एवं प्रसार हेतु सरकार के लिए आवश्यक है । इससे अधिक ये विहित परिभाषाओं, धारणाओं तथा मानकों से मिलान करने चाहिए तथा समय-समय पर नवीनीकरण होना चाहिए,तथा जो समुच्च्य तथा विसमुच्च्य स्तरों पर उपलब्ध है । आयोग का एक आदेश सारभूत सांख्यिकी को चिन्हित करना है । सांख्यिकीय प्रणाली की क्षैतिज तथा उर्ध्वाधर विकेन्द्रीकृत प्रकृति तथा प्रशासनिक ढांचे का आकार तथा जटिलताओं ने विशिष्ट सांख्यिकी के समूह को परिभाषित करने के कार्य को अंतिम अभ्यास बना दिया गया है । वैश्विक आवश्यकताओं के संदर्भ में आधिकारिक सांख्यिकी के उभरते हुए क्षेत्र जैसे सतत विकास लक्ष्यों तथा देश में विकास संबंधी भिन्न-भिन्न प्राथमिकताएं सेक्टरवार आश्वश्यकताओं के लचीलेपन को रोके बिना सारभूत सांख्यिकी के रूप में सांख्यिकी की सूची को विशेषीकृत करने में आने वाली समस्याओं के निर्विवाद सूचक हैं ।

6.4 आयोग ने भूतकाल में आधिकारिक सांख्यिकी के कुछ क्षेत्रों को सारभूत सांख्यिकी का बनाया है। इसमें सांख्यिकीय उत्पाद तथा प्रकिया दोनों शामिल हैं । प्रमुख सांख्यिकीय की गतिविधियां जैसे जनगणना तथा अनेक अन्य राष्ट्रीय गणनाएं सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्व्यन मंत्रालय के अलावा अन्य मंत्रालयों द्वारा संचालित की जाती है। इन प्रशासनिक जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए इन एजेंसियों की सांविधिक शक्तियों का उल्लंघन किए बिना इन अभ्यासों से उत्पादों को निर्दिष्ट करने में कठिनाई स्पष्ट है। सांख्यिकीय सर्वेक्षणों और सेंसस के मामले में सभी एजेंसियों के लिए दिशानिर्देश प्रदान करना महत्वपूर्ण होगा। यह, सरकार ने आधिकारिक नीति और दिशानिर्देशों के माध्यम आयोग के के साथ परामर्श से और उसके पूर्व अनुमोदन से करने की कोशिश की है । हालांकि, यह सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र है कि सिंचाई जनगणना, पशुधन जनगणना, कृषि जनगणना आदि जैसे विभिन्न सेंसस से डेटा को सामंजस्य वर्गीकरण के माध्यम से एकीकृत किया जा सकता है और कोडिंग योजनाओं और स्थानिक लिंकिंग की कमी है। कुछ हद तक, यह विभिन्न मंत्रालयों और एमओएसपीआई में सांख्यिकीय सलाहकारों के बीच समन्वय तंत्र की विफलता के कारण है।

6.5 सेक्टरवार आवश्यकताओं की जटिलताओं पर ध्यान दिए बिना एक केंद्रीकृत तरीके से निश्चित सांख्यिकी सारभूत सांख्यिकी के रूप में परिभाषित करना सूची पर प्रश्न खड़े कर देगा। तथापि, वह तरीका जिससे अनेक राष्ट्रीय महत्व के सांख्यिकी प्रकाशित किए जाते है, प्राय: उचित व्याख्या को कठिन बनाते है । प्राय: प्रकाशित सांख्यिकी की सीमा पर कमजोर व्याख्या के कारण प्रकाश नहीं डाला जाता है । आयोग के पास इसमें हस्तक्षेप करने के लिए स्वयं के साधन सीमित हैं । अत: सम्पूर्ण आधिकारिक सांख्यिकी का सहयोग करने के लिए राष्ट्रीय स्तर के मेटाडाटा मानकों को विकसित करना महत्वपूर्ण माना गया था । इस संदर्भ में आयोग ने इच्छा व्यक्त की थी कि कार्य संहिता पर एक छोटे समूह को रिपोर्ट करनी चाहिए जो आधिकारिक सांख्यिकी में नवीकरण की कुछ मात्रा तथा गुणवत्ता आश्वासन उपलब्ध कराएगा । अभी इस समूह का गठन होना शेष है ।

6.6 वर्तमान आयोग की स्थापना वर्ष 2006 में एक मंत्रिमंडल निर्णय के माध्यम से इस शर्त के साथ की गई कि थी आयोग की अनुशंसाओं तथा अनुभव के आधार पर एक वर्ष के भीतर एक वैधानिक आयोग की स्थापना की जाएगी । तथापि आयोग ने सन 2008 में सिफारिश की है तथा विधि विशेषज्ञों वाली एक उच्च समिति ने भी इस विषय का अध्ययन किया था, मंत्रालय ने आयोग को इस प्रक्रिया के परिणामों के बारे में अवगत नहीं कराया है । परिणामस्वरूप, आयोग के पास अपने आदेशों को पूरा करने के लिए संसाधन तथा साधन चिंताजनक रूप से अपर्याप्त बचे हुए है । कई वर्षों के उपरांत आयोग के मानव संसाधन धीरे धीरे कम हुए हैं क्योंकि स्थानांतरित तथा पदोन्नत हुए स्टाफ के प्रतिस्थापन्न के लिए प्रयास नहीं किए गए हैं ।

6.7 आयोग ने बड़े दुख के साथ बताया है कि आयोग में संसाधनों की कमी के अलावा, आयोग की सिफारिशों का सरकार के लिए कोई महत्व नहीं है क्योंकि इन अनुशंसाओं पर की गई कार्रवाई की कोई रिपोर्ट आयोग को कभी उपलब्ध नहीं करवाई गई है । यहां तक कि आयोग के कार्यक्षेत्र के मामले में भी मंत्रालय इसके विचारों के प्रति अनिच्छुक रहा है तथा स्वयं की अधिसूचनाओं की अवहेलना करते हुए देखा गया है । उदाहरण के लिए, वर्ष 2011 में सरकार द्वारा जारी सर्वेक्षणों के संचालन हेतु राजपत्रित दिशा-निर्देश निर्दिष्ट करते हैं कि किसी भी सर्वेक्षण को आरंभ करने के लिए एनएससी की सहमति आवश्यक है, यह देखा गया है कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने आयोग को बिना कोई संदर्भ दिए स्वयं ही सर्वेक्षणों/गणनाओं की घोषणा की है ।

6.8 सरदार पटेल भवन में स्थित आयोग का कार्यालय पुष्पा भवन स्थानांतरित कर दिया गया था जबकि कार्यालय को कार्यकारी स्थिति में लाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया था । माननीय मंत्री जी के साथ आयोग के अध्यक्ष की मुलाकात के बाद भी मंत्रालय द्वारा सुविधाओं में कोई सुधार या बेहतर जगह का प्रावधान नहीं किया गया है । परिणामस्रूप आयोग अपनी बैठकों की मेजबानी के लिए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन या राज्य सरकारों के अन्य

कार्यालयों पर निर्भर है तथा अध्यक्ष एवं सदस्य आयोग के कार्यालय से कार्य करने में असमर्थ हैं ।

6.9 आयोग की स्थापना संयुक्त राष्ट्र तथा अन्य सुस्थापित अंतर्राष्ट्रीय प्रयोगों के द्वारा अपनाए गए आधिकारिक सांख्यिकी पर आधारभूत सिद्धांतों के माध्यम से व्यक्त की गई आधिकारिक सांख्यिकी संबंधी मौजूदा सोच के अनुसार की गई थी । विश्वसनीयता, जनता का भरोसा तथा व्यवसायिक एकरूपता की धारणाओं को निहित करते हुए एक आधारभूत आंकड़ा गुणवत्ता ढांचे वाले आधिकारिक सांख्यिकी तैयार करने की इच्छा रखने वाले लगभग सभी देशों की उच्च स्तर पर समान प्रणाली अधिकांशतः देशों में ठोस कानूनों द्वारा समर्थित है । आयोग को उसकी अपेक्षित भूमिका को निभाने के लिए मजबूत किए जाने की आवश्यकता है तथा वैधानिक समर्थन के साथ उचित महत्व दिया जाना चाहिए ।

6.10 भारतीय आधिकारिक सांख्यिकीय प्रणाली समय के जाल में घिरी हुई है, इसमें पूर्ण सुधार की आवश्यकता है । सिलोस भूतकाल की एक विरासत प्रणाली के रूप में केवल कुशल ही नहीं है बल्कि इसने प्रणालियों तथा प्रक्रियाओं जिनकी संग्रहित आंकड़ों की उच्च गुणवत्ता, सतत्ता, सम्बद्धता तथा सामयिकता को बनाए रखने में आवश्यकता है, का आधुनिकीरण करने के लिए तकनीकी को अपनाने में कठिनाईयां उत्पन्न की है तथा विश्वसनीय तथा प्रतिक्रियात्मक लोक नीति पर बेहतर समस्या समाधान क्षमता प्रदान करते हुए एक सहयोगात्मक दृष्टिकोण भी शासन के सभी स्तरों पर निर्णयन का समर्थन आवश्यक है । हितधारक जो उद्यम, सामान्य लोग, तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, उन्हें भी विश्वसनीय डाटा की आवश्यकता है जनता के हित के लिए हो । संक्षिपत में, संगठनात्मक पुनर्गठन, आंकड़ों के संग्रहण, मिलान, प्रसार तथा विश्लेषण की प्रक्रिया में पूर्ण बदलाव, राज्य सांख्यिकी प्रणाली का सुदृढ़ीकरण, एनएससी तथा उच्च अधिकार प्राप्त अन्य समितियों की सिफारिशों के कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व तथा शासन के उच्च स्तरों पर प्रगति का अनुवीक्षण के माध्यम से क्षमता सुदृढ़ीकरण की महती आवश्यकता है । हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि आधिकारिक सांख्यिकी से संबंधित संयुक्त राष्ट्र के

आधारभूत सिद्धांतों की अनुपालना की जाए, जैसा कि हमसे उम्मीद है, ताकि हमसे अपेक्षित विश्वसनीयता बनाए रखी जा सके । इसके लिए हमें सांख्यिकी अभ्यास संहिता लागू करने में समर्थ होना चाहिए,यह तभी संभव है जब हमारे पास प्रणालियां तथा पद्धतियां, जो कठिन गुणवत्ता जांच की अनुमति देती है, जो वर्तमान में संभव नहीं है । चूंकि यह उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए, हमें संयुक्त राष्ट्र के प्रति हमारी प्रतिबद्धता के अनुसार प्रणाली का सुधार तथा आधुनिकीकरण करने के लिए हमें तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए ।

अनुबंध 1

रजिस्ट्री सं. डीएल—(एन)-04/0007/2003—05 REGISTERED No. DL—(N)-04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 19] नई दिल्ली, शनिवार, मई 9—मई 15, 2015 (वैसाख 19, 1937)

No. 19] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 9—MAY 15, 2015 (VAISAKHA 19, 1937)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

दी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटैन्ट्स ऑफ इंडिया
(चार्टर्ड एकाउंटैन्ट्स)

नई दिल्ली, दिनांक 6 अप्रैल 2015

स0 1– सीए(7)/(168)/2015—चार्टर्ड एकाउंटैन्ट्स अधिनियम, 1988 के विनियम 159(1) के अनुसरण में भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान की परिषद्, मध्य भारत प्रादेशिक परिषद् की एक शाखा की दिनांक 10–02–2015 से हरिद्वार शहर, उत्तराखंड में स्थापना को अधिसूचित करती है।

यह शाखा मध्य भारत प्रादेशिक परिषद् की हरिद्वार शाखा के नाम से जानी जायेगी।

इस शाखा के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत हरिद्वार, रूड़की, ऋषिकेश, कोटद्वार तथा उत्तराखंड के अन्य सभी शहर/स्थान आयेंगे जो कि हरिद्वार शहर के शहरी सीमा के 50 किलोमीटर दूरी के अन्तर्गत स्थित हैं।

परिणामस्वरूप, हरिद्वार तथा रूड़की, उत्तराखंड में जो कि अधिसूचना स01–सी0ए0(7)/(48)/2000 दिनांक 7 अप्रैल, 2000 के कारण अब तक सहारनपुर शाखा, उत्तर प्रदेश के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते थे, अब सहारनपुर शाखा से अलग कर दिए गये हैं तथा सहारनपुर शाखा के संशोधित क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सहारनपुर तथा उत्तर प्रदेश के अन्य शहर/स्थान जो कि सहारनपुर शहर की शहरी सीमा के 50 किलोमीटर दूरी के अंतर्गत हैं, आयेंगे। तदनुसार, अधिसूचना स01–सी0ए0(7)/(48)/2000 दिनांक 7 अप्रैल, 2000 संशोधित मानी जाए।

जैसा कि विनियम 159(3) में विहित किया गया है, हरिद्वार एवं सहारनपुर शाखाएं परिषद् के नियंत्रण, पर्यवेक्षण तथा निर्देशों के अधीन रहते हुए मध्य भारत प्रादेशिक परिषद् की मार्फत कार्य करेगी तथा ऐसे निर्देशों का पालन करेगी, जो परिषद् द्वारा समय–समय पर जारी किये जायेंगे।

वी. सागर
कार्यकारी सचिव

स0 1– सीए(7)/(169)/2015––चार्टर्ड एकाउंटैन्ट्स अधिनियम, 1988 के विनियम 159(1) के अनुसरण में भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान की परिषद, मध्य भारत प्रादेशिक परिषद् की एक शाखा की दिनांक 10–02–2015 से हल्द्वानी शहर, उत्तराखंड में स्थापना को अधिसूचित करती है।

यह शाखा मध्य भारत प्रादेशिक परिषद् की हल्द्वानी शाखा के नाम से जानी जायेगी।

इस शाखा के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत हल्द्वानी, काठगोदाम, नैनीताल, पन्तनगर, रूद्रपुर तथा अन्य सभी शहर/स्थान आयेंगे, जो कि हल्द्वानी शहर के शहरी सीमा के 50 किलोमीटर दूरी के अंतर्गत स्थित हैं।

जैसा कि विनियम 159(3) में विहित किया गया है, यह शाखा परिषद् के नियंत्रण, पर्यवेक्षण तथा निर्देशों के अधीन रहते हुए मध्य भारत प्रादेशिक परिषद् की मार्फत कार्य करेगी तथा ऐसे निर्देशों का पालन करेगी, जो परिषद् द्वारा समय–समय पर जारी किये जायेंगे।

वी. सागर
कार्यकारी सचिव

स0 1– सीए (7)170/2015––चार्टर्ड एकाउंटैन्ट्स अधिनियम, 1988 के विनियम 159(1) के अनुसरण में भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान की परिषद् दक्षिण भारत प्रादेशिक परिषद् की एक शाखा की दिनांक 10–02–2015 से कालाबुरगी (गुलबरगा जिले) में स्थापना को अधिसूचित करती है।

यह शाखा दक्षिण भारत प्रादेशिक परिषद् की कालाबुरगी (गुलबरगा) शाखा के नाम से जानी जायेगी।

इस शाखा के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कालाबुरगी (गुलबरगा जिले) के सभी स्थान आयेंगे।

जैसा कि विनियम 159(3) में विहित किया गया है, यह शाखा परिषद् के नियंत्रण, पर्यवेक्षण तथा निर्देशों के अधीन रहते हुए दक्षिण भारत प्रादेशिक परिषद् की मार्फत कार्य करेगी तथा ऐसे निर्देशों का पालन करेगी, जो परिषद् द्वारा समय–समय पर जारी किये जायेंगे।

वी. सागर
कार्यकारी सचिव

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 7 अप्रैल 2015

सं.1/एनएससी-2014-खण्ड.III—भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-III, खण्ड-4 में दिनांक 1 जून, 2005 को अधिसूचना सं. 85 के रूप में प्रकाशित सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार के संकल्प सं.ए11011/1/2005-प्रशा.I में निम्नलिखित संशोधन किए जाते हैं:

1) **पैरा 2 के अंतर्गत उप पैरा (ग) में 'सचिव, योजना आयोग' के स्थान पर 'मुख्य कार्यकारी अधिकारी नीति आयोग (राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था)' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएं ।**

2) **पैरा 3 के अंतर्गत उप पैरा (i) में 'उपाध्यक्ष योजना आयोग' के स्थान पर 'उपाध्यक्ष नीति आयोग' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएं ।**

2. **यह संशोधन 24 मार्च, 2015 के तिथि से लागू होगा ।**

अरुण कुमार यादव
संयुक्त सचिव

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA
(CHARTERED ACCOUNTANTS)

New Delhi, the 6th April 2015

No.1-CA(7)/(168)/2015—In pursuance of Regulation 159(1) of the Chartered Accountants Regulations 1988, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India is pleased to notify the setting up of a branch of Central India Regional Council at Haridwar, Uttrakhand with effect from 10th February, 2015.

The Branch shall be known as Haridwar Branch of the Central India Regional Council.

The jurisdiction of the Branch shall include Haridwar, Roorkee, Rishikesh, Kotdwar and all cities/places within a distance of 50 Km. from Haridwar city limits.

Consequently, Haridwar and Roorkee in Uttrakhand which hitherto been under jurisdiction of Saharanpur Branch in Uttar Pradesh (U.P.) by virtue of notification bearing no. 1-CA(7)/48/2000 dated 07th April, 2000, henceforth have been ceded from jurisdiction of Saharanpur Branch and revised jurisdiction of Saharanpur Branch will include Saharanpur and other cities/places in U.P. within a distance of 50 Km. from Saharanpur city limits. Accordingly, notification bearing no.1-CA(7)/(48)2000 dated 7th April, 2000 stands amended.

As prescribed under Regulation 159(3), both Haridwar and Saharanpur Branches shall function subject to the control, supervision and directions of the Council through the Central India Regional Council and shall carry out such directions as may, from time to time, be issued by the Council.

V. SAGAR
Acting Secretary

No.1-CA(7)/(169)/2015— In pursuance of Regulation 159(1) of the Chartered Accountants Regulations 1988, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India is pleased to notify the setting up of a branch of Central India Regional Council at Haldwani, Uttrakhand with effect from 10th February, 2015.

The Branch shall be known as Haldwani Branch of the Central India Regional Council.

The jurisdiction of the Branch shall include Haldwani, Kathgodam, Nanital, Pantnagar, Rudrapur and all cities/places within a distance of 50 Km. from Haldwani city limits.

As prescribed under Regulation 159(3), the Branch shall function subject to the control, supervision and directions of the Council through the Central India Regional Council and shall carry out such directions as may, from time to time, be issued by the Council.

V. SAGAR
Acting Secretary

No.1-CA(7)/(170)2015—In pursuance of Regulation 159(1A) of the Chartered Accountants Regulations 1988, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India is pleased to notify the setting up of a branch of Southern India Regional Council in Kalaburgi (Gulbarga District), Karnataka with effect from 10th February, 2015.

The Branch shall be known as Kalaburgi (Gulbarga) Branch of the Southern India Regional Council.

The jurisdiction of the Branch shall include all the places within Kalaburgi (Gulbarga) District.

As prescribed under Regulation 159(3), the Branch shall function subject to the control, supervision and directions of the Council through the Southern India Regional Council and shall carry out such directions as may, from time to time, be issued by the Council.

V. SAGAR
Acting Secretary

MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION

New Delhi-110 001, the 7th April 2015

No. 1/NSC-2014-Vol.III.—In the Government of India, Ministry of Statistics and Programme Implementation Resolution No. A-11011/1/2005-Ad-I, published as Notification No. 85 on 1st June 2005 in the Gazette of India, Extraordinary, Part-III Section 4, the following amendments are made:

(1) In sub-paragraph (c) under paragraph 2, in place of the words 'Secretary, Planning Commission', the words 'Chief Executive Officer of the NITI Aayog (National Institution for Transforming India)' shall be substituted.

(2) In sub-paragraph (i) under paragraph 3, in place of the words 'Deputy Chairman of the Planning Commission', the words 'Vice-Chairperson of the NITI Aayog' shall be substituted.

2. This amendment comes into effect from 24th March, 2015.

ARUN KUMAR YADAV
Joint Secy.

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2015
PRINTED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T. FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2015

www.dop.nic.in

DOPGIPF—[PART III—SEC.4]—121 +1 + 1 = 123 Copies

अनुबंध 2

फाइल सं. 8 (64)/2010-एनएससी

एफ. न. 8(64)/2010-एनएससी
भारत सरकार
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग सचिवालय

द्वितीय तल, सरदार पटेल भवन,
संसद मार्ग, नई दिल्ली
5 अक्टूबर 2016

<u>आदेश</u>

विभिन्न तकनीकी मुद्दों पर राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग (एनएससी) की सहायता के लिए व्यावसायिक समितियां गठित करने का मुद्दा काफी समय से इसके विचाराधीन है। अब एनएससी द्वारा 5 व्यावसायिक समितियों का गठन करने का निर्णय लिया गया है। प्रत्येक समिति की संरचना तथा विचारार्थ विषयों का ब्यौरा अनुबंध में उपलब्ध है।

2. इन समितियों से एसएनए 2008 तथा उस पर पैरा 1.59 के अनुसार जीडीपी का अनुमान लगाने, संकलित डाटा एवं आहरित अनुमानों की गुणवत्ता, समयबद्धता एवं विश्वसनीयता के लिए डाटा अनुमान के लिए सांख्यिकी की आवश्यकता को शामिल करने, सूचना प्रौद्योगिकी, वितरित नेटवर्क एवं क्लाउड का पूर्ण लाभ उठाकर डाटा के प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय सांख्यिकीय प्रणाली एवं अधुनातन प्रणाली का लेखा परीक्षा ट्रायल एवं डाटा सत्यनिष्ठा प्रदान करने की अपेक्षा है। प्रणाली से यथासंभव उद्योग, भूगोल, समय, आकार, वर्ग आदि के विभिन्न आयामों के अनुसार विखंडित स्तर पर डाटा एवं अनुमान उपलब्ध कराने की भी अपेक्षा है जिससे वास्तविक प्रेक्षणों के आधार पर नीति तथा उनके मूल्यांकन के लिए गहरी समझ प्राप्त होगी।

3. शुरू में सभी व्यावसायिक समितियों का कार्यकाल 1 वर्ष होगा। एनएससी तिमाही आधार पर प्रत्येक समिति द्वारा की गई प्रगति की निगरानी करेगी। प्रत्येक समिति एनएससी के अनुमोदन के अधीन आवश्यकता के आधार पर सदस्य (सदस्यों) को सहयोजित कर सकती है।

4. समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए गैर सरकारी सदस्य 1000 रुपए प्रतिदिन की दर से बैठक शुल्क के लिए हकदार होंगे। समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए गैर सरकारी सदस्यों के लिए टीए / डीए की पात्रता तथा यात्रा व्यय की लागत केन्द्र सरकार के संयुक्त

सचिव के समान होगी।

5. समितियों को सचिवालयी सहायता संबंधित कार्यालयों द्वारा प्रदान की जाएगी, जहां समितियों के सदस्य सचिव काम कर रहे हैं। समितियों पर व्यय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा एनएससी को आवंटित योजनेतर बजट से वहन किया जाएगा।

6. यह संस्वीकृति मुख्य लेखांकन प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी की जा रही है। आंतरिक वित्त प्रभाग की सलाह डायरी संख्या 1113/एएस एंड एफए दिनांक 4 अक्टूबर 2016 के माध्यम से सूचित की गई है।

7. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू है।

(दीपक मेहरा)
निदेशक, एनएससीएस,
टेलीफैक्स : 011-23367127, 28
ईमेल : depak.mehra36@gov.in,
nsc.secretariat@nic.in

वितरण :

1. समतियों के अध्यक्ष, सह अध्यक्ष एवं सदस्य
2. समिति में सदस्य नामित करने के लिए अनुरोध के साथ सचिव, डीआईपीपी
3. समिति में सदस्य नामित करने के लिए अनुरोध के साथ सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
4. समिति में सदस्य नामित करने के लिए अनुरोध के साथ सचिव, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय
5. समिति में सदस्य नामित करने के लिए अनुरोध के साथ सचिव, वित्त मंत्रालय
6. समिति में सदस्य नामित करने के लिए अनुरोध के साथ सचिव, कृषि मंत्रालय
7. समिति में सदस्य नामित करने के लिए अनुरोध के साथ सचिव, शहरी विकास मंत्रालय
8. समिति में सदस्य नामित करने के लिए अनुरोध के साथ सचिव, वित्तीय सेवा विभाग
9. समिति में सदस्य नामित करने के लिए अनुरोध के साथ अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड, रेलवे मंत्रालय
10. डॉ. संतोष मैथ्यू, संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय
11. डॉ. पिनाकी चक्रबर्ती, राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान
12. समिति में सदस्य नामित करने के लिए अनुरोध के साथ महानिदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र
13. महानिदेशक, वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय

14. महानिदेशक, श्रम ब्यूरो, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
15. समिति में सदस्य नामित करने के लिए अनुरोध के साथ सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
16. समिति में सदस्य नामित करने के लिए अनुरोध के साथ महालेखा नियंत्रक
17. कार्यपालक निदेशक, सांख्यिकी एवं सूचना प्रबंध विभाग (डीएसआईएम), भारतीय रिजर्व बैंक
18. कार्यपालक निदेशक, आर्थिक विश्लेषण एवं नीति विभाग (डीईएपी), भारतीय रिजर्व बैंक
19. प्रधान मुख्य महाप्रबंधक, राजकीय लेखा विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक
20. समिति में सदस्य नामित करने के लिए अनुरोध के साथ अध्यक्ष, बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण
21. समिति में सदस्य नामित करने के लिए अनुरोध के साथ महानिदेशक, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय
22. समिति में सदस्य नामित करने के लिए अनुरोध के साथ महानिदेशक, केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय
23. मुख्य महाप्रबंधक, आर्थिक अनुसंधान, सेबी
24. कार्यपालक निदेशक, सूचना प्रणाली प्रभारी, जीवन बीमा निगम
25. संयुक्त सचिव, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय
26. मुख्य महाप्रबंधक, सूचना प्रबंध प्रणाली, नाबार्ड
27. समिति में सदस्य नामित करने के लिए अनुरोध के साथ प्रधान सचिव, वित्त, महाराष्ट्र सरकार
28. समिति में सदस्य नामित करने के लिए अनुरोध के साथ प्रधान सचिव, वित्त, उत्तर प्रदेश सरकार
29. समिति में सदस्य नामित करने के लिए अनुरोध के साथ प्रधान सचिव, वित्त, तमिलनाडु सरकार
30. समिति में सदस्य नामित करने के लिए अनुरोध के साथ प्रधान सचिव, वित्त, पश्चिम बंगाल सरकार
31. समिति में सदस्य नामित करने के लिए अनुरोध के साथ प्रधान सचिव, वित्त, असम सरकार
32. अपर महानिदेशक, राष्ट्रीय लेखा प्रभाग, सीएसओ
33. निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, गुजरात
34. निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, उत्तर प्रदेश
35. निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, पुड्डूचेरी
36. निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, आंध्र प्रदेश
37. निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, पंजाब

38. निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, महाराष्ट्र
39. निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, कर्नाटक
40. निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, ओडिशा
41. अपर महानिदेशक, एफओडी, एनएसएसओ
42. महाप्रबंधक, सूचना प्रौद्योगिकी, सेबी
43. मुख्य महाप्रबंधक, सूचना प्रौद्योगिकी प्रभारी, नाबार्ड
44. अपर महानिदेशक, कंप्यूटर केंद्र
45. सूचना प्रबंध के प्रभारी सलाहकार, सांख्यिकी एवं सूचना प्रंबंध विभाग (डीआईएसएम), भारतीय रिजर्व बैंक
46. अपर महानिदेशक, डीपीडी, एनएसएसओ

प्रतिलिपि सूचनार्थ :

1. अध्यक्ष, एनएससी के प्रधान निजी सचिव
2. सदस्य, राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग
3. सचिव, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के प्रधान निजी सचिव
4. महानिदेशक, सीएसओ के प्रधान निजी सचिव
5. निदेशक एवं विभागाध्यक्ष, एमओएसपीआई
6. निदेशक (समन्वय), एमओएसपीआई
7. निदेशक (आईएफडी), एमओएसपीआई
8. प्रधान भुगतान एवं लेखा अधिकारी
9. उप लेखा नियंत्रक, एमओएसपीआई
10. भुगतान एवं लेखा अधिकारी, एमओएसपीआई, नई दिल्ली / कोलकाता / नागपुर
11. अनुभाग अधिकारी, एमओएसपीआई, रोकड़ अनुभाग / सामान्य अनुभाग / प्रशासन अनुभाग

(दीपक मेहरा)

अनुबंध

I. रीयल सेक्टर सांख्यिकी पर समिति

संरचना :

1.	डॉ. बी बी भट्टाचार्य, पूर्व वाइस चांसलर, जेएनयू ए-44, सर्वे सांझी, प्लाट नंबर 8, सेक्टर 9, द्वारका ईमेल : bbbhattacharya1@gmail.com	अध्यक्ष
2.	डॉ. प्रताप नारायण,"(पूर्व में एनएडी, सीएसओ से)"बी 286, योजना विहार, दिल्ली - 110092	सह अध्यक्ष
3.	डॉ. ए सी कुलश्रेष्ठ पूर्व अपर डीजी, सीएसओ (एनएडी) 208 ई, एमआईजी फ्लैट्स राजौरी गार्डन, नई दिल्ली - 110027 टेलीफोन नंबर : 011-25972191 ईमेल : ackulshreshtha@yahoo.com	सह अध्यक्ष
4.	प्रो. विमल के राय भारतीय सांख्यिकी संस्थान, 203, बीटी रोड, कोलकाता-700108	गैर सरकारी सदस्य
5.	प्रो. विश्वनाथ गोल्डर आर्थिक विकास संस्थान, दिल्ली विश्वविद्यालय एंक्लेव, नार्थ कैंपस, दिल्ली - 110007 टेलीफोन नंबर : 011-27677101 मोबाइल : 919811443161 ईमेल :bng@iegindia.org	गैर सरकारी सदस्य
6.	डॉ. रतिन राय, निदेशक, राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान, 18/2, सत्संग विहार मार्ग, विशेष संस्थानिक क्षेत्र (जेएनयू के पास), नई दिल्ली - 110067	गैर सरकारी सदस्य

	टेलीफोन नंबर : 26569303, 26569780, 26569784 ईमेल : rrl@nipfp.org.in	
7.	श्री अशोक कुमार विशनदास पूर्व उप महानिदेशक, केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय ईमेल : avishandass@gmail.com	गैर सरकारी सदस्य
8.	श्री आलोक कार, अतिथि वैज्ञानिक, भारतीय सांख्यिकी संस्थान (प्रतिदर्श एवं आधिकारिक सांख्यिकी यूनिट), द्वितीय तल, एएन कोलमोगोरोव भवन (नया अकादमिक भवन), 203, बैरकपुर ट्रंक रोड, कोलकाता - 700108 मोबाइल : 91-9038003368 ईमेल :alokekar@gmail.com	गैर सरकारी सदस्य
9.	डॉ. एस चंद्रशेखर, एसोसिएट प्रोफेसर, इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान, जनरल ए के वैद्य मार्ग, गोरेगांव पूर्व, मुंबई - 400065 ईमेल :chandra@igidr.ac.in Mob. 9594031318	गैर सरकारी सदस्य
10.	प्रो. पामी दुआ, प्रोफेसर एवं हेड, अर्थशास्त्र विभाग, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली - 110007 ईमेल : dua@econdse.org Mob. : 9810153341	गैर सरकारी सदस्य
11.	औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग से प्रतिनिधि	सदस्य
12.	वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से प्रतिनिधि	सदस्य
13.	कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय से प्रतिनिधि	सदस्य
14.	वित्त मंत्रालय से प्रतिनिधि	सदस्य
15.	सांख्यिकी एवं सूचना प्रबंध विभाग (डीएसआईएम), आरबीआई से प्रतिनिधि	सदस्य
16.	आर्थिक विश्लेषण एवं नीति विभाग (डीईएपी), आरबीआई से प्रतिनिधि	सदस्य
17.	कृषि मंत्रालय से प्रतिनिधि	सदस्य
18.	बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण से प्रतिनिधि	सदस्य

19.	राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय से प्रतिनिधि	सदस्य
20.	शहरी विकास मंत्रालय से प्रतिनिधि	सदस्य
21.	वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय से प्रतिनिधि	सदस्य
22.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग से प्रतिनिधि	सदस्य
23.	निदेशक, डीईएस, गुजरात	सदस्य
24.	निदेशक, डीईएस, उत्तर प्रदेश	सदस्य
25.	निदेशक, डीईएस, पुड्डूचेरी	सदस्य
26.	एडीजी (एनएडी), सीएसओ	सदस्य सचिव

विचारार्थ विषय :

1. एसएनए 2008 के अनुसरण में क्षेत्रीय सांख्यिकी सहित रीयल सेक्टर की सांख्यिकी में सुधार के लिए कार्रवाई हेतु अपेक्षित क्षेत्रों की पहचान करने के लिए राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग तथा परवर्ती समितियों की सिफारिश के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा करना।

2. समयबद्धता में सुधार की संभावना के साथ इन सांख्यिकी के संग्रहण, मिलान एवं प्रसार के लिए प्रणालियों एवं प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करने हेतु उपयुक्त उपायों की सिफारिश करना।

3. प्राथमिक स्रोतों से ग्रैनुलर डाटा के संग्रहण के लिए मौजूदा सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग का जायजा लेना और समेकित प्रणाली के गहन अभियान के माध्यम से (1) प्रोसेसिंग एवं (2) आवधिक लेखा परीक्षा के लिए प्रणाली स्थापित करने हेतु उपयुक्त उपायों की सिफारिश करना तथा डाटा आधान के लिए नोडल एजेंसी की सिफारिश करना।

4. डाटा के प्रसार के लिए वर्तमान प्रणाली की जांच करना और अंतर्राष्ट्रीय मानक अर्थात एसडीडीएस के अनुसार सुधार के लिए उपायों की सिफारिश करना।

II. वित्तीय क्षेत्र सांख्यिकी पर समिति

संरचना :

1.	प्रो. रवीन्द्र एच ढोलकिया, भारतीय प्रबंध संस्थान, अहमदाबाद ईमेल : rdholkia@iima.ae.in	अध्यक्ष
2.	प्रो. जयंत आर वर्मा, भारतीय प्रबंध संस्थान, अहमदाबाद ईमेल : irvarma@iima.ac.in	गैर सरकारी सदस्य
3.	प्रो. दीपक सेतिया,	गैर सरकारी सदस्य

	भारतीय प्रबंध संस्थान, इंदौर ईमेल :sethiad@iimidr.ac.in	
4.	प्रो. केजीके सुब्बा राव, पूर्व सलाहकार, डीएसआईएम, आरबीआई मोबाइल : 9869720819	गैर सरकारी सदस्य
5.	प्रो. एन आर भानूमूर्ति, राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान,18/2, सत्संग विहार मार्ग, विशेष संस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली – 110067 ईमेल : nrbmurthy@gmail.com	गैर सरकारी सदस्य
6.	राष्ट्रीय लेखा प्रभाग, सीएसओ से प्रतिनिधि	सदस्य
7.	सीजीएम, आर्थिक अनुसंधान, सेबी से प्रतिनिधि	सदस्य
8.	सूचना प्रणाली, एलआईसी के प्रभारी कार्यपालक निदेशक	सदस्य
9.	महानिदेशक, वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय	सदस्य
10.	संयुक्त सचिव, आईटी प्रणालियां, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय	सदस्य
11.	बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण से प्रतिनिधि	सदस्य
12.	सीजीएम, सूचना प्रबंध प्रभारी, नाबार्ड	सदस्य
13.	वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय से प्रतिनिधि	सदस्य
14.	सांख्यिकी एवं सूचना प्रबंध विभाग (डीएसआईएम), आरबीआई से प्रतिनिधि	सदस्य
15.	आर्थिक विश्लेषण एवं नीति विभाग (डीईएपी), आरबीआई से प्रतिनिधि	सदस्य
16.	सांख्यिकी एवं सूचना प्रबंध विभाग, आरबीआई के प्रभारी कार्यपालक निदेशक	सदस्य सचिव

विचारार्थ विषय :

1. ग्रैनुलर डाटा प्राप्त करने के लिए एकीकृत प्रणाली हेतु उपायों का सुझाव देने के उद्देश्य से निधि सांख्यिकी के प्रवाह की प्रोसेसिंग, संग्रहण के लिए मौजूदा प्रणाली की समीक्षा करना;
2. राज्य स्तर पर अनुमान उपलब्ध कराने के लिए संभावना की तलाश करना एवं उपयुक्त विधि एवं तंत्र का सुझाव देना;
3. समयबद्धता में सुधार के लिए संभावना के साथ इन सांख्यिकी के संग्रहण, मिलान एवं प्रसार के लिए प्रणाली एवं प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करने हेतु उपयुक्त उपायों की सिफारिश करना;
4. प्राथमिक स्रोतों से ग्रैनुलर डाटा के संग्रहण के लिए मौजूदा सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग का जायजा लेना और समेकित प्रणाली के गहन अभियान के माध्यम से (1) प्रोसेसिंग एवं (2)

आवधिक लेखा परीक्षा के लिए प्रणाली स्थापित करने हेतु उपयुक्त उपायों की सिफारिश करना तथा डाटा आधान के लिए नोडल एजेंसी की सिफारिश करना;

5. डाटा के प्रसार के लिए वर्तमान प्रणाली की जांच करना और अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार सुधार के लिए उपायों की सिफारिश करना।

III. राजकोषीय सांख्यिकी पर समिति

संरचना :

1.	डॉ. डी के श्रीवास्तव, पूर्व निदेशक, मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, डी 85, सिंगल टन फ्लोर, साउथ सिटी 2, गुड़गांव मोबाइल : 9560065860 ईमेल : dkscloud@gmail.com	अध्यक्ष
2.	मुख्य आर्थिक सलाहकार, वित्त मंत्रालय	सह अध्यक्ष
3.	प्रो. पुलिन नायक, दिल्ली स्कूल आफ इकोनॉमिक्स, नई दिल्ली ईमेल :pulin@econdse.org	गैर सरकारी सदस्य
4.	डॉ. एरोल डिसूजा भारतीय प्रबंध संस्थान, अहमदाबाद ईमेल : errol@iima.ac.in	गैर सरकारी सदस्य
5.	डॉ. संतोष मैथ्यू, संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय ईमेल : asmathew@ias.gov.in	सदस्य
6.	राष्ट्रीय लेखा प्रभाग, सीएसओ से प्रतिनिधि	सदस्य
7.	राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र से प्रतिनिधि	सदस्य
8.	कार्यपालक निदेशक, आर्थिक नीति एवं अनुसंधान विभाग (डीईपीआर), आरबीआई	सदस्य
9.	लेखा महानियंत्रक का आईटी प्रमुख	सदस्य
10.	आईटी प्रभारी (बजट), महाराष्ट्र	सदस्य
11.	आईटी प्रभारी (बजट), उत्तर प्रदेश	सदस्य
12.	आईटी प्रभारी (बजट), तमिलनाडु	सदस्य
13.	आईटी प्रभारी (बजट), पश्चिम बंगाल	सदस्य
14.	आईटी प्रभारी (बजट), असम	सदस्य
15.	रेल मंत्रालय से प्रतिनिधि	सदस्य
16.	प्रधान सीजीएम, सरकारी लेखा विभाग, आरबीआई	सदस्य
17.	डॉ. पिनाकी चक्रवर्ती, राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान	सदस्य सचिव

विचारार्थ विषय :

1. राजकोषीय सांख्यिकी में सुधार के लिए कार्रवाई हेतु अपेक्षित क्षेत्रों की पहचान करने के लिए राजकोषीय सांख्यिकी के आधान के लिए संस्थानिक तंत्र पर राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग तथा एनएससी की परवर्ती समितियों की सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा करना;

2. समयबद्धता में सुधार की संभावना के साथ इन सांख्यिकी के संग्रहण, मिलान एवं प्रसार के लिए प्रणालियों एवं प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करने हेतु उपयुक्त उपायों की सिफारिश करना;

3. प्राथमिक स्रोतों से ग्रैनुलर डाटा के संग्रहण के लिए मौजूदा सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग का जायजा लेना और समेकित प्रणाली के गहन अभियान के माध्यम से (1) प्रोसेसिंग एवं (2) आवधिक लेखा परीक्षा के लिए प्रणाली स्थापित करने हेतु उपयुक्त उपायों की सिफारिश करना तथा डाटा आधान के लिए नोडल एजेंसी की सिफारिश करना;

4. डाटा के प्रसार के लिए वर्तमान प्रणाली की जांच करना और अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार सुधार के लिए उपायों की सिफारिश करना।

IV. ऑनलाइन रिपोर्टिंग प्रणाली पर समिति

संरचना :

1.	डॉ. अशोक नाग, निदेशक, विश्लेषण में उत्कृष्टता केन्द्र, एनएम विश्वविद्यालय, मुंबई ईमेल : ashok.nag@gmail.com	अध्यक्ष
2.	प्रो. अभिमान दास, भारतीय प्रबंध संस्थान, अहमदाबाद ईमेल : abhiman@nma.ac.in	गैर सरकारी सदस्य
3.	कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय से प्रतिनिधि	सदस्य
4.	वित्त मंत्रालय से प्रतिनिधि	सदस्य
5.	एनएडी, केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय से प्रतिनिधि	सदस्य
6.	राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र से प्रतिनिधि	सदस्य
7.	श्रम ब्यूरो से प्रतिनिधि	सदस्य
8.	औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग से प्रतिनिधि	सदस्य

9.	अपर महानिदेशक, एफओडी, एनएसएसओ	सदस्य
10.	सांख्यिकी एवं सूचना प्रबंध विभाग (डीएसआईएम), आरबीआई से प्रतिनिधि	सदस्य
11.	महाप्रबंधक, आईटी, सेबी	सदस्य
12.	आईटी प्रभारी सीजीएम, नाबार्ड	सदस्य
13.	रेल मंत्रालय से प्रतिनिधि	सदस्य
14.	निदेशक, डीईएस, आंध्र प्रदेश	सदस्य
15.	निदेशक, डीईएस, पंजाब	सदस्य
16.	एडीजी, कंप्यूटर केन्द्र	सदस्य सचिव

विचारार्थ विषय :

1. आउटपुट, इनपुट, कीमत, व्यय, रोजगार आदि पर ग्रैनुलर डाटा प्राप्त करने की ऑनलाइन प्रणाली के लिए उपायों का सुझाव देने के उद्देश्य से मूल आधिकारिक सांख्यिकी अर्थात आईआईपी, सीपीआई, डब्ल्यूपीआई, एएसआई, उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण, रोजगार एवं बेरोजगारी सर्वेक्षण आदि के संग्रहण के लिए मौजूदा प्रणाली की समीक्षा करना।

2. गुणवत्ता एवं समयबद्धता में सुधार की संभावना के साथ इन सांख्यिकी के ऑनलाइन स्वचालित संग्रहण के लिए उपयुक्त उपायों की सिफारिश करना।

3. प्राथमिक स्रोतों से ग्रैनुलर डाटा के ऑनलाइन संग्रहण के लिए टेम्प्लेट का सुझाव देना और उनकी तैनाती हेतु अवसंरचना सृजित करने के तरीकों का सुझाव देना।

V. विश्लेषण पर समिति

संरचना :

1.	प्रो. एन एल शारदा, कंप्यूटर विज्ञान विभाग, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मुंबई ईमेल : nls@cse.iib.ac.in	अध्यक्ष
2.	डॉ. के आर मुरली मोहन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ईमेल : krmm@nic.in	सह अध्यक्ष
3.	डॉ. ए सी कुलश्रेष्ठ पूर्व अपर डीजी, सीएसओ (एनएडी)	गैर सरकारी सदस्य

	208 ई, एमआईजी फ्लैट्स राजौरी गार्डन, नई दिल्ली - 110027 टेलीफोन नंबर : 011-25972191 ईमेल : ackulshreshtha@yahoo.com	
4.	प्रो. पुलक घोष, प्रेसीडेंसी विश्वविद्यालय, कोलकाता मोबाइल : 9742065806	गैर सरकारी सदस्य
5.	श्री प्रमोद वर्मा, पूर्व मुख्य वास्तुकार, यूआईडीएआई प्रौद्योगिकी केन्द्र, एनटीआई लेआउट, टाटा नगर, कोडिगीहल्ली, बेंगलुरू - 560092 ईमेल : pramodkvarma@gmail.com	गैर सरकारी सदस्य
6.	डॉ. अशोक के. नाग, निदेशक, विश्लेषण में उत्कृष्टता केन्द्र, एनएम विश्वविद्यालय, मुंबई ईमेल : ashok.nag@gmail.com	गैर सरकारी सदस्य
7.	डॉ. प्रवीण श्रीवास्तव, डीडीजी (रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय), श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	सदस्य
8.	एडीजी, एनएडी, केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय	सदस्य
9.	राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र से प्रतिनिधि	सदस्य
10.	सूचना प्रबंध के प्रभारी सलाहकार, डीएसआईएम, आरबीआई	सदस्य
11.	एडीजी, पीडीपी, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय	सदस्य
12.	महानिदेशक, वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय	सदस्य
13.	वित्त मंत्रालय से प्रतिनिधि	सदस्य
14.	कृषि मंत्रालय से प्रतिनिधि	सदस्य
15.	वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से प्रतिनिधि	सदस्य
16.	निदेशक, डीईएस, महाराष्ट्र	सदस्य
17.	निदेशक, डीईएस, कर्नाटक	सदस्य
18.	निदेशक, डीईएस, उत्तर प्रदेश	सदस्य
19.	निदेशक, डीईएस, ओडिशा	सदस्य
20.	एडीजी, कंप्यूटर केन्द्र	सदस्य सचिव

विचारार्थ विषय :

1. राष्ट्रीय सांख्यिकीय प्रणाली के लिए आधान पर सर्वोत्तम प्रथाओं का सर्वेक्षण करना;

2. विश्लेषण की दृष्टि से केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय तथा वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय में डाटा संग्रहण, मिलान एवं प्रसार की मौजूदा प्रणाली की समीक्षा करना। कम से कम एक राज्य पर भी विचार किया जा सकता है, यदि संभव हो;

3. मूल सांख्यिकी जो राष्ट्रीय लेखा का अंग है, विशेष रूप से कॉर्पोरेट सांख्यिकी, राजकोषीय सांख्यिकी आदि के लिए (1) डाटा अभिशासन और (2) डाटा के बहुआयामी प्रेक्षण के लिए प्रणालियों और प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करने हेतु उपयुक्त उपायों की सिफारिश करना;

4. सीएसओ, एनएसएसओ तथा डीजीसीआईएस एवं अप्लीकेशन साफ्टवेयर और हार्डवेयर प्रापण प्रक्रिया में प्रवाहित होने वाली मूल सांख्यिकी पर डाटा आधान के लिए प्रौद्योगिकी संरचना के लिए विस्तृत दृष्टिकोण का सुझाव देना;

5. उपर्युक्त विभागों द्वारा विश्लेषण के निर्माण के लिए व्यावहारिक अनुभव हेतु उपर्युक्त संबंधित विभागों द्वारा संचालित की जाने वाली प्रायोगिक परियोजना का मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण करना। प्रायोगिक परियोजना से पूर्ण विकसित आधान के निर्माण की संभावना पर भी विचार किया जा सकता है।

सं.19020/294/ई.4
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग)

नई दिल्ली : 10 अगस्त 1994

कार्यालय ज्ञापन

विषय : आयोगों / समितियों के आउटस्टेशन गैर सरकारी सदस्यों को टीए / डीए का भुगतान

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार द्वारा गठित उच्चाधिकार प्राप्त समितियों / आयोगों में नामित आउटस्टेशन, गैर सरकारी सदस्यों के संबंध में 'क' श्रेणी के शहरों में होटल में प्रवास के लिए दैनिक भत्ता (डीए) इस विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 19020/294/ई.4 दिनांक 23 जून 1986 के माध्यम से 300 रुपए प्रतिदिन निर्धारित किया गया था। पिछले वर्षों में होटलों के कमरों के किरायों में वृद्धि के फलस्वरूप विभिन्न मंत्रालयों / विभागों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि आउटस्टेशन गैर सरकारी सदस्यों के लिए महानगरों में 300 रुपए प्रतिदिन की दर से अच्छे होटल में एकल कमरा प्राप्त करना कठिन हो रहा है।

2. इस विभाग में मामले पर विचार किया गया है तथा निर्णय लिया गया है कि भारत सरकार द्वारा गठित उच्चाधिकार प्राप्त समितियों / आयोगों में नामित आउटस्टेशन, गैर सरकारी सदस्यों को एकल कमरे के किराए की प्रतिपूर्ति की अनुमति प्रदान की जाएगी तथा 23 जून 1986 के कार्यालय ज्ञापन में निहित अनुदेशों में आंशिक संशोधन करते हुए दैनिक भत्ता निम्नानुसार होगा :

(i) किसी राज्य अतिथि में रेंट या मीडियम रेंज के आईटीडीसी होटल जैसे कि लोधी होटल, कुतुब होटल, जनपथ होटल, अशोक यात्री निवास या राज्य सरकार के स्वामित्व वाले टूरिस्ट होटल / हॉस्टल या इंडिया इंटरनेशनल सेंटर तथा इंडिया हैबिटेट सेंटर जैसी पंजीकृत सोसाइटी द्वारा प्रदान किए गए आवासीय आवास में एकल कमरा के लिए रेंट की प्रतिपूर्ति

अथवा

(ii) प्राइवेट लॉज / होटल में प्रवास के लिए रूम रेंट की उपलब्धता निर्धारित सीमा तक जारी रहेगी।

(iii) बोर्डिंग के प्रयोजनार्थ सर्वोच्च श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों को यथाग्राह्य डीए की साधारण दरों के 90 प्रतिशत की दर से दैनिक भत्ता।

(iv) उपर्युक्त के अलावा आउटस्टेशन, गैर सरकारी सदस्य संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय / विभाग के निर्णय के अनुसार बैठक शुल्क के लिए हकदार होंगे।

3. तथापि, वाहन प्रभारों की दर वही बनी रहेगी जो कार्यालय ज्ञापन संख्या 8 (64)/2010-एनएससी दिनांक 28 जुलाई 1992 में वर्णित है।

4. ये सुविधाएं केवल उच्चाधिकार प्राप्त समितियों / आयोगों के नामित आउटस्टेशन, गैर सरकारी सदस्यों पर लागू होंगी तथा तत्काल प्रभाव से लागू होंगी।

5. 23 जून 1986 के कार्यालय ज्ञापन में उल्लिखित अन्य शर्तों एवं नियमों में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

(पी के शर्मा)
अवर सचिव, भारत सरकार

प्रतिलिपि :
1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय / विभाग
2. सभी वित्तीय सलाहकार

अनुबंध 3

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 69] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 22, 2018/फाल्गुन 3, 1939
No. 69] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 22, 2018/PHALGUNA 3, 1939

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 फरवरी, 2018

(भारत के मुख्य सांख्यिकीविद् की सेवा शर्तें)

सं.1/एनएससी-2017.— सक्षम प्राधिकारी, भारत के मुख्य साख्यिकीविद् के लिए सेवा शर्तें निम्नानुसार अनुमोदित करते हैं:—

1. चयन प्रक्रिया: भारत के मुख्य सांख्यिकीविद् के पद के लिए ऐसे भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित की जाएं जिन्हें किसी बड़े सांख्यिकीय संगठन में प्रमाणित सांख्यिकी तथा प्रबंधकीय अनुभव हो। भारत सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए समय-समय पर गठित खोज समिति, रिक्ति भरने के लिए आवेदकों में से नामों के पैनल की संस्तुति करेगी। आवेदकों के अतिरिक्त, खोज समिति पद के लिए उपयुक्त समझे जाने वाले अन्य व्यक्तियों के नामों की भी संस्तुति कर सकती है।

2. भारत के मुख्य सांख्यिकीविद् के पद के लिए विचार-योग्य आवेदक, पद के लिए आवेदन की अंतिम तिथि को 55 वर्ष की आयु से अधिक नहीं होना चाहिए, जैसा खोज समिति द्वारा निर्धारित किया जाए।

3. भारत के मुख्य सांख्यिकीविद् का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा जिसे अगले दो वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा, अर्थात कुल पांच वर्ष अथवा उसके अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो और वह पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा/होगी।

4. भारत के मुख्य सांख्यिकीविद् भारत सरकार के सचिव के लिए यथा स्वीकार्य वेतन तथा भत्तों और सरकारी आवास जैसी अन्य सुविधाओं के हकदार होंगे।

5. सक्षम प्राधिकारी को, यदि आवश्यक समझें, तो आपवादिक मामलों में उपर्युक्त दिए गए अर्हता मापदंडों में यथोचित छूट देने का अधिकार होगा।

6. उपर्युक्त सेवा शर्तें तत्काल प्रभावी होंगी और भारत के मुख्य सांख्यिकीविद् के लिए उपबंधों के संदर्भ में असहमति की सीमा तक, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-III, खंड-4 में प्रकाशित संकल्प सं. 85, दिनांक 1 जून, 2005, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3-उपखंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना सं. 465 दिनांक 10.05.2006 तथा भारत के राजपत्र साप्ताहिक (9-15 मई 2015) में प्रकाशित अधिसूचना सं.19 में दिए गए उपबंधों का अधिक्रमण करेंगी।

अरुण कुमार यादव, संयुक्त सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./441/17]

MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th February, 2018

(Service Conditions for the Chief Statistician of India)

No.1/NSC-2017.—The Competent Authority approves the service conditions for the Chief Statistician of India, as under:—

1. Selection procedure: Applications may be invited for the position of Chief Statistician of India from Indian Nationals with proven statistical and managerial experience in a large statistical organization. A Search Committee constituted by the Government of India from time to time for the purpose will recommend a panel of names for filling a vacancy from amongst the applicants. Besides the applicants, the Search Committee may also recommend names of other persons considered suitable for the position.

2. The applicants considered for the position of Chief Statistician of India should not be more than 55 years of age as on the last date for application to the position, as may be determined by the Search Committee.

3. Chief Statistician of India, will have a tenure of three years extendable by a further period of two years, i.e. a total of five years or till he/she attains the age of superannuation, whichever is earlier and will be eligible for reappointment.

4. Chief Statistician of India will be entitled to salary and allowances and other facilities like Government accommodation, as admissible to a Secretary to the Government of India.

5. The Competent Authority reserves the right to suitably relax the eligibility criteria given above, if considered necessary, in exceptional cases.

6. The above service conditions will come into immediate effect and shall, to the extent of disagreement in respect of provisions for Chief Statistician of India, supersede the provisions given in the Resolution No. 85, dated 1st June, 2005 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-III-Section-4, in the Notification No. 465 dated 10.05.2006, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II-Section-3-Sub-Section (ii) and in the Notification No. 19 published in the Gazette of India Weekly (9-15 May 2015).

ARUN KUMAR YADAV, Jt. Secy.

[ADVT.-III /4/Exty. /441/17]

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL Date: 2018.02.23 22:17:57 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग
भारत सरकार
नई दिल्ली